



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त



बिहार सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कांडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय - I राज्य सरकार का वित्त		
बिहार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	15
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1.5	16
संसाधनों का उपयोग	1.6	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	21
राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	23
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.9	26
ऋण प्रबंधन	1.10	29
राजकोषीय असंतुलन	1.11	31
अनुवर्ती	1.12	34
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.13	34
अध्याय - II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	38
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	39
बजटीय प्रावधान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण	2.4	44
असमाशोधित व्यय	2.5	45
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	46
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.7	46
अनुदान संख्या-1 “कृषि विभाग” की समीक्षा	2.8	47
अनुदान संख्या-39 “आपदा प्रबंधन विभाग” की समीक्षा	2.9	50
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.10	52

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन			
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब		3.1	55
असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र		3.2	57
निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों का विवरण		3.3	58
प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब		3.4	59
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शोष		3.5	59
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन		3.6	60
प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन		3.7	60
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 का परिचालन		3.8	61
व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का स्थानांतरण		3.9	61
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ		3.10	62
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	65
1.2	भाग–क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	66
1.2	भाग–ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	66
1.3 भाग–क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ0आर0बी0एम0)	1.1	69
1.3 भाग–ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति	1.1	70
1.4	वर्ष 2015–16 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार	1.1.1, 1.6.2	71
1.5	वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	75
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधे हस्तांतरण	1.2.2	76
1.7	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.3, 1.3.1.1	84
1.8	31 मार्च 2016 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.9.1	86

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1	विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.1	87
2.2	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.3	89
2.2 (क)	₹ 10 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.3	91
2.3	वर्ष 2011–16 के दौरान सतत बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची	2.3.4	92
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.5	93
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.6	95
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.6	100
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.7	106
2.8	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.7	113
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत की विवरणी	2.3.9	118
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण के मामले	2.3.9	119
2.11	माह मार्च 2016 में सघन व्यय	2.3.10	122
2.12	बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.4	123
2.13	शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.4	125
2.14	वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	126
2.15	नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	128
2.16	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आधिक्य भुगतान की विवरणी	2.7.1	131

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.17	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान के पक्ष में अभिश्रवों का समर्पण नहीं होना	2.7.2	133
2.18	अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं0 1)	2.8.2	135
2.19	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)	2.8.4	137
2.20	निधि के अनुपयोग के कारण श्त–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)	2.8.5	144
2.21	निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोग (अनुदान सं0 39)	2.9.2	145
2.22	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0 39)	2.9.3 (i)	147
2.23	अनुपयोगित प्रावधान (अनुदान सं0 39)	2.9.4	148
2.24	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं0 39)	2.9.5	150
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.1.1	151
3.2	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के तहत चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	3.3	152
3.3	प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतिकरण में विलंब	3.4	153
3.4	लघु शीर्ष 800–‘अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन’	3.8	155
3.5	लघु शीर्ष–800–‘अन्य व्यय का परिचालन’	3.8	156
3.6	पी0डी0 खातों की विवरणी जहाँ राशि लगातार तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अव्ययित पड़ी रही	3.6	157
संकेताक्षरों की शब्दावली			159

प्रावक्थन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है। जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है।
3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2015–16 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2016 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज, भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय—II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है। इसमें “अनुदान संख्या—01 कृषि विभाग” तथा “अनुदान संख्या—39 आपदा प्रबंधन विभाग” नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय—III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 12,507.16 करोड़ था जो पिछले वर्ष से ₹ 6,660 करोड़ ज्यादा और बजट अनुमान से ₹ 526 करोड़ ज्यादा मुख्यतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था।

(कांडिका 1.1.2)

- राज्य का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण इत्यादि में वृद्धि के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,061 करोड़ हो गया। तथापि यह बजट अनुमान (₹ 13,584 करोड़) से ₹ 1,523 करोड़ कम था। यह जी0एस0डी0पी0 के 2.92 प्रतिशत, एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रतिमान तीन प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग (एफ0 एफ0 सी0) द्वारा अनुशंसित 3.5 प्रतिशत के अंदर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.11.1)

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 96,123 करोड़) में वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.58 प्रतिशत (₹ 17,706 करोड़) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः केंद्रीय करो के राज्यांश (₹ 11,959.61 करोड़) और अपना कर राजस्व (₹ 4,698.95 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

- राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत वृद्धि के कारण जी0 एस0 डी0 पी0 के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता 0.77 (2014–15) से बढ़कर 2.13 (2015–16) हो गई।

(कंडिका 1.3)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 792.71 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत अधिक था।

(कंडिका 1.2.2)

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय (सी0ई0) वर्ष 2014–15 के ₹ 18,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 23,966 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 के ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 8,012.63 करोड़ के वृद्धि के कारण हुई। चुनिंदा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 के 51.99 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015–16 में 43.13 प्रतिशत हो गया। जबकि सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 8.70 प्रतिशत हो गई।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.7.2)

- राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली नगण्य थी जिसके कारण पुनर्भुगतान हेतु मार्च 2016 के अंत तक बहुत शेष (₹ 20,857.73 करोड़) हो गया। ऋणों की पुनर्भुगतान वर्ष 2014–15 के ₹ 1,493.06 करोड़ से बहुत मात्रा में घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- आंतरिक ऋण में बढ़ोतरी के कारण मुख्यतः राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2014–15 के ₹ 99,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,16,578 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.9.2)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध वृहत् बचत ₹ 35,013.80 करोड़ (23.61 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों से ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक के सतत् बचत भी 10 विभागों में पाये गये।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.4)

निधियों का अभ्यर्पण

- कुल बचत ₹ 35,013.80 करोड़ में से ₹ 24,455.96 करोड़ (69.85 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2016) को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़) था जो कुल अभ्यर्पित राशि का 65.07 प्रतिशत था। यह भी पाया गया कि 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत–प्रतिशत निधियों (कुल ₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.7)

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का नियमितिकरण अपेक्षित

- वर्ष के दौरान प्रावधानित राशि से आधिक व्यय की गयी राशि ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण कराना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 1,065.07 करोड़ की राशि नियमितिकरण करना बाकी था।

(कंडिका 2.3.1 एवं 2.3.2)

विभागीय आँकड़ों का समाशोधन

- वर्ष 2015–16 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार के पुस्त के साथ 76 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया। 21116 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी0डी0ओ0) में से केवल 3317 (16 प्रतिशत) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने ही अपने लेखाओं का समाशोधन मार्च 2016 तक किया था।

(कंडिका 2.5 एवं 3.7)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 6,117.60 करोड़ के 139 आहरण हुए थे। इसमें से ₹ 2,927.07 करोड़ (47.85 प्रतिशत) के 80 आहरण नित्य व्यय के प्रयोजन हेतु थे। इसमें ₹ 897.07 करोड़ (16 आहरण) शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षकों के वेतन इत्यादि पर व्यय, ₹ 640 करोड़ (3 आहरण) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्री–मैट्रीक छात्रवृत्ति के राज्यांश इत्यादि के लिए और ₹ 600.88 करोड़ (8 आहरण) सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा स्थापना व्यय, शामिल था।

(कंडिका 2.6)

कृषि एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कमी

- मूल प्रावधान में वृहद बचत (कृषि विभाग में 54.25 प्रतिशत और आपदा प्रबंधन विभाग में 85.91 प्रतिशत) के बावजूद अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन के जरिए विभागों द्वारा निधियों का प्रबंधन किया गया। फिर भी विभागों द्वारा बचतों को ससमय अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(कांडिका 2.8 एवं 2.9)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध आहरित ₹ 29,399.87 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2016 तक लंबित था। जिसमें से तीन विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ के 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र), पंचायती राज विभाग (₹ 7,414.19 करोड़ के 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र) और शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ के 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुति के लिए लंबित था।

(कांडिका 3.1)

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 12,074.32 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2016 तक लंबित थे इसमें ₹ 2,190.02 करोड़ मूल्य के 14147 विपत्र तीन वर्षों से अधिक से लंबित थे।

(कांडिका 3.2)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठनों द्वारा 31 मार्च 2016 तक आहरित ₹ 191.23 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय समायोजित होने शेष थे।

(कांडिका 3.6)

व्यक्तिगत खाते में जमा राशि का हस्तांतरण

- मार्च 2016 तक व्यक्तिगत जमा खातों में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों का ₹ 4,126.37 करोड़ रूपये अव्ययित पड़े थे। व्यक्तिगत जमा खातों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने अव्ययित शेष को समेकित निधि में वापस नहीं किया था।

(कांडिका 3.9)

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

बिहार का परिचय

बिहार भू-भाग से धिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि०मी०) के दृष्टिकोण से यह भारत का तेरहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी (2001) से बढ़कर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2006–07 से 2015–16 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसा कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.99 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों¹ का विकास दर 15.75 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि² 12.24 प्रतिशत की तुलना में 12.89 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2006–07 से 2015–16 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 15.42 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.27 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2015–16 की समाप्ति पर ₹ 36,964 (त्वरित) रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12) के वार्षिक विकास की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8736039	9951344	11272764	12488205	13576086
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)		13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	247144	282368	317101	373920	413503
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)		14.25	12.30	17.92	10.59

(स्रोत: केन्द्र एवं राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर से ज्यादा है।

¹ ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मु और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

² सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिवृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (बी.एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि **परिशिष्ट-1.3 भाग 'क'** में दर्शाया गया है। बी.एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.3 के भाग 'ख'** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2014–15) की तुलना में चालू वर्ष (2015–16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2015–16 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	गैर योजना	योजना	योग
खण्ड-'क' राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417.54	96,123.10	राजस्व व्यय	72,569.98	53,965.28	29,650.66	83,615.94
कर राजस्व	20,750.23	25,449.18	सामान्य सेवाएँ	26,408.18	27,824.35	147.95	27,972.30
करेतर राजस्व	1,557.98	2,185.64	सामाजिक सेवाएँ	31,712.71	13,386.74	22,556.30	35,943.04
संघीय कर / शुल्कों का अंश	36,963.07	48,922.68	आर्थिक सेवाएँ	14,445.05	12,749.98	6,946.41	19,696.39
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	19,146.26	19,565.60	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.04	4.21	0.00	4.21
खण्ड-'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	18,150.41	36.27	23,929.75	23,966.02
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,493.06	18.50	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	368.71	469.43	151.80	621.23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,917.53	18,383.01	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,608.95			4,124.85
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	1,650.00	4,477.41	आकस्मिकता निधि	1,650.00			4,477.41
लोक लेखा प्राप्तियाँ	40,251.12	49,105.88	लोक लेखा संवितरण	39,200.48			45,922.84
प्रारंभिक नकद शेष	6,156.39	6,337.11	अंतिम नकद शेष	6,337.11			11,716.72
योग	1,41,885.64	1,74,445.01	योग	1,41,885.64			1,74,445.01

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015–16)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत ($\text{₹ } 17,705.56$ करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 32.36 प्रतिशत ($\text{₹ } 11,959.61$ करोड़) एवं स्वयं के कर राजस्व में 22.65 प्रतिशत ($\text{₹ } 4,698.95$ करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का कर राजस्व ($\text{₹ } 25,449.18$ करोड़) चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारण ($\text{₹ } 31,881$ करोड़) से 20.17 प्रतिशत ($\text{₹ } 6,431.82$ करोड़) कम तथा बजट प्राक्कलन ($\text{₹ } 30,875$ करोड़) से 17.57 प्रतिशत ($\text{₹ } 5,425.82$ करोड़) कम था। कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विक्रय, व्यापार आदि पर कर में 23.19 प्रतिशत ($\text{₹ } 1,996.24$ करोड़), माल एवं यात्री कर में 36.75 प्रतिशत ($\text{₹ } 1,635.87$ करोड़) तथा मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में 26.27 प्रतिशत ($\text{₹ } 709.08$ करोड़) की वृद्धि के कारण था।
- करेतर राजस्व (एन0टी0आर0) ($\text{₹ } 2,185.64$ करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में 40.29 प्रतिशत ($\text{₹ } 627.66$ करोड़) अधिक हो गया। करेतर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियाँ में $\text{₹ } 238.89$ करोड़ एवं पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली में $\text{₹ } 175.16$ करोड़ की वृद्धि के कारण था। तथापि, करेतर राजस्व 35.64 प्रतिशत ($\text{₹ } 1,210.22$ करोड़) बजट प्राक्कलन ($\text{₹ } 3,395.86$ करोड़) से तथा चौदहवें वित्त आयोग ($\text{₹ } 2,756$ करोड़) के निर्धारण से 20.70 प्रतिशत ($\text{₹ } 570.36$ करोड़) कम था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय ($\text{₹ } 83,615.94$ करोड़) में 15.22 प्रतिशत ($\text{₹ } 11,045.96$ करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं पर 36.35 प्रतिशत ($\text{₹ } 5,251.34$ करोड़) सामाजिक सेवाओं पर 13.34 प्रतिशत ($\text{₹ } 4,230.33$ करोड़) तथा सामान्य सेवाओं पर 5.92 प्रतिशत ($\text{₹ } 1,564.12$ करोड़) व्यय की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष 2015–16 के लिए राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन ($\text{₹ } 91,208.11$ करोड़) से 8.32 प्रतिशत ($\text{₹ } 7,592.17$ करोड़) कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 14.61 प्रतिशत ($\text{₹ } 6,884.34$ करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 22.88 प्रतिशत ($\text{₹ } 9,977.23$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 98.76 प्रतिशत ($\text{₹ } 1,474.56$ करोड़) की कमी हुई। जबकि ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 68.49 प्रतिशत ($\text{₹ } 252.52$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 32.04 प्रतिशत ($\text{₹ } 5,815.61$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 22.00 प्रतिशत ($\text{₹ } 8,854.76$ करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 17.15 प्रतिशत ($\text{₹ } 6,722.36$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 32.09 प्रतिशत ($\text{₹ } 4,465.48$ करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 14.30 प्रतिशत ($\text{₹ } 515.90$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- इन लेन–देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 84.89 प्रतिशत ($\text{₹ } 5,379.61$ करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने राजकोषीय स्थायित्व, ऋण निवर्हता तथा सरकार के राजकोषीय संचालन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (एफ०आर०बी०एम० अधिनियम 2006) लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को अपना राजकोषीय घाटा वर्ष 2008–09 तक खत्म करना था तथा राजकोषीय घाटा को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अंदर रखना था। चौदहवें वित्त आयोग ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया एवं पुनरीक्षित रोड मैप सभी अनुदानों एवं ऋण राहत सुविधाओं को जोड़ते हुए किया।

राज्य ने (एफ०आर०बी०एम०) में महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को पुनरीक्षित करते हुए इसका नामाकरण बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम, 2010 (बी.एफ.आर. बी.एम.) बनाया। राज्य के पुनरीक्षित लक्ष्य जो कि संशोधित बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में रखे गये थे (i) राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता तीन प्रतिशत तथा (ii) ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2015–16 में 25 प्रतिशत या इससे कम हो।

वर्ष 2015–16 के लिए एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, चौदहवें वित्त आयोग और बजट दस्तावेजों में मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं उन्हे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2015-16				
	राज्य हेतु चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / एम.टी.एफ.पी. में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	11,980.95	11,980.95	12,507.16
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.98	2.98	2.92
जी.एस.डी.पी.की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	25.02	25.02	19.41	19.59	28.19


(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग, एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, बजट तथा एम.टी.एफ.पी.ऑफिस)

राज्य सरकार को वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक राजस्व अधिशेष हुआ। वर्ष 2014–15 में समेकित निधि में ₹ 869.92 करोड़ के घाटा की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 2,169.58 करोड़ का आधिक्य हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ०आर०बी०एम० के अधिनियम के विहित सीमा के भीतर रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को छोड़ने एवं अस्वीकार करने का सूचक है।

चार्ट 1.1 वर्ष 2015–16 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.5** में भी दिया गया है।



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015–16)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक औंकड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 7,066 करोड़ (7 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में ₹ 5,426 करोड़ (18 प्रतिशत) तथा करेतर राजस्व ₹ 1,210 करोड़ (36 प्रतिशत) बजट प्राक्कलन की तुलना में कम होना था।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से ₹ 7,592 करोड़ (8 प्रतिशत) एवं ₹ 5,511 करोड़ (19 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2,286 करोड़, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2,141 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,165 करोड़ का कम व्यय था। पूँजीगत व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 1,304 करोड़ तथा सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 498 करोड़ कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 526 करोड़ (4.39 प्रतिशत) ज्यादा था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व व्यय में ₹ 7,592 करोड़ की कमी था। जबकि राजस्व प्राप्तियाँ भी बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से ₹ 7,066 करोड़ कम था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 13,584 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय धारा ₹ 1,523 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 7,592 करोड़ की कमी थी जैसा की बजट प्राक्कलन में प्रावधानित था।

- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 1,401 करोड़ की कमी हो गयी।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य सरकार ने वर्ष 2008–09 में जेण्डर बजट की शुरूआत की। राज्य का जेण्डर बजट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार एवं उन्नति के लिए तैयार किये गये योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रस्तावित व्यय को दर्शाता है।

तालिका 1.4 में वर्ष 2015–16 के लिए जेण्डर बजट दस्तावेज में आवंटन एवं उसके उपयोगिता का विस्तृत विवरण है।

तालिका 1.4: वर्ष 2015–16 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंतर्गत आवंटन			वर्ष के अंतर्गत व्यय			उपयोगिता का प्रतिशत
	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल	
2015–16	3,996.38	9,625.88	13,622.26	2,996.06	8,130.90	11,126.96	81.68

(स्रोत: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए प्रदत्त सूचनाएँ)

(श्रेणी-1—महिलाओं के लाभार्थ के लिए कर्णाकित शत प्रतिशत बजटीय प्रावधान)

(श्रेणी-2—महिलाओं के लाभार्थ के लिए कर्णाकित कम से कम 30 प्रतिशत बजटीय प्रावधान)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं के लाभार्थ चिन्हित निधियों में से 82 प्रतिशत का उपयोग किया गया।

तथापि, राज्य सरकार द्वारा अबतक जेण्डर बजट के अंतर्गत योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेण्डर बजट कोषांग का गठन नहीं किया है।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन


राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह—राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्प्रिति है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवययों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप-घटक

(₹ करोड़ में)




चार्ट 1.3 वर्ष 2011–16 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2015–16 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता है।



कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 58,955 करोड़ से 100 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,17,708 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 22,829 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2015–16 के कुल प्राप्तियों (₹ 1,17,708 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है:



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015–16)

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 82 प्रतिशत था तथा यह 23 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014–15 के ₹ 78,417 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 96,123 करोड़ हो गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का अंश 15 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2014–15 के ₹ 15,411 करोड़ से बढ़कर 19 प्रतिशत वर्ष 2015–16 में ₹ 18,402 करोड़ हो गया।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) का अंश कुल प्राप्तियों में वर्ष 2015–16 के दौरान तीन प्रतिशत था तथा यह 203 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014–15 के ₹ 1,051 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 3,183 करोड़ हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का स्थानांतरण



भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों³ को स्थानांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि, वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती हैं और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का स्थानांतरण परिशिष्ट 1.6 में दर्शाया गया।

³ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 792.71 करोड़ सीधे स्थानांतरण किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत ज्यादा थी। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 217.50 करोड़ अर्थात् 27.44 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 199 करोड़ अर्थात् 25.10 प्रतिशत) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 100.31 करोड़ अर्थात् 12.65 प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं कर एवं करेतर राजस्व, केंद्रीय कर का स्थानांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2011–16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **परिशिष्ट 1.7** तथा **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में दर्शाया गया है।



चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011–12 में ₹ 51,320 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 96,123 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2011–12 में 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 20 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, पिछले वर्ष के 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 20 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने संसाधन में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2011–16 के दौरान 25 से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में राज्य का केंद्रीय कर स्थानांतरण में अंश वर्ष 2011–16 के दौरान 47 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में करेतर राजस्व का अंश वर्ष 2011–16 के दौरान दो प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	51,320	59,567	68,919	78,417	96,123
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.24	16.07	15.70	13.78	22.58
राज्य का अपना कर (₹ करोड़ में)	12,612	16,253	19,961	20,750	25,449
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	27.78	28.87	22.81	3.95	22.65
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	2,47,144	2,82,368	3,17,101	3,73,920	4,13,503
जी.एस.डी.पी.की वृद्धि दर (प्रतिशत)		14.25	12.30	17.92	10.59
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	20.77	21.10	21.73	20.97	23.25
उत्पलावकता अनुपात⁴					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	0.71	1.13	1.28	0.77	2.13
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्पलावकता	1.30	2.03	1.85	0.22	2.14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2011–16 के दौरान दो अंकों में रहा। यह वर्ष 2011–12 के 15.24 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 22.58 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं कर उत्पलावकता अनुपात 0.22 प्रतिशत से 2.14 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूंकि केंद्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन अपना कर एवं करेतर संसाधनों के अनुसार किया गया है।

राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व साथ ही वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

⁴ उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को झंगित करता है। जैसे—राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

**तालिका 1.6: प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ
वर्ष 2014–15 के लिए**

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	13,510.40	25,662.95	20,750.23
करेत्तर राजस्व	2,466.86	3,081.68	1,557.98

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा तेरहवें वित्त आयोग के आँकड़े)

वर्ष 2015–16 के लिए

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	31,881	30,875.00	25,449.18
करेत्तर राजस्व	2,756	3,395.86	2,185.64

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा चौदहवें वित्त आयोग के आँकड़े)

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 7,240 करोड़ ज्यादा था जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 6,432 करोड़ कम था। करेत्तर राजस्व वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से क्रमशः ₹ 909 करोड़ एवं ₹ 570 करोड़ कम था तथा राज्य के बजट प्राक्कलन से भी क्रमशः ₹ 1,524 करोड़ एवं ₹ 1,210 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2011–12 में ₹ 12,612 करोड़ से 101.78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 25,449 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाये गये हैं।


तालिका 1.7: वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,476	8,671	8,453	8,607	10,603	23.19
राज्य उत्पाद	1,981	2,430	3,168	3,217	3,142	(-)2.33
मुद्रांक एवं निर्बंधन शुल्क	1,480	2,173	2,712	2,699	3,409	26.31
वाहन पर कर	569	673	837	964	1,081	12.14
भू-राजस्व	168	205	202	277	695	150.90
माल एवं यात्री पर कर	828	1,932	4,349	4,451	6,087	36.76
अन्य कर	110	169	240	535	432	(-)19.25
योग	12,612	16,253	19,961	20,750	25,449	22.65

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2011–16 के दौरान कर राजस्व के मुख्य घटक
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के काल श्रृंखला औंकड़े प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में कर राजस्व के घटकों के अवलोकन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर वर्ष 2011–12 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 42 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2011–12 में 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 12 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2011–12 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 13 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश में मामूली कमी वर्ष 2011–12 के 4.51 प्रतिशत से वर्ष 2015–16 में 4.25 प्रतिशत हो गया।
- भू-राजस्व का अंश वर्ष 2011–12 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में तीन प्रतिशत हो गया।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश वर्ष 2011–12 में 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 24 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2011–12 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में दो प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 करेतर राजस्व


वर्ष 2015–16 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेतर राजस्व (₹ 2,185.64 करोड़) 2.27 प्रतिशत था। करेतर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 627.66 करोड़ अधिक था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.8 तथा चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: करेतर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेतर राजस्व)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	573.70	167.12	269.48	344.77	583.66	69.29
लाभांश तथा लाभ	1.40	2.55	2.53	2.58	14.84	475.19
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	314.76	965.60	1,272.82	1,210.63	1,587.14	31.10
योग	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64	40.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.8: वर्ष 2011-16 के दौरान करेतर राजस्व की वृद्धि दर
(₹ करोड़ में)

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.1.3 कर संग्रहण पर व्यय

पूर्व वर्षों में संपूर्ण भारत औसत के साथ, मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण में हुआ व्यय तथा वर्ष 2015-16 के दौरान सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.9 में सन्निहित है।

तालिका 1.9: संग्रहण पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पूर्व वर्षों के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता (2014-15)
1	वैट / बिक्री कर	2015-16	17,122.49	91.02	0.53	0.91
2	राज्य उत्पाद	2015-16	3,141.75	49.63	1.58	2.09
3	वाहन कर	2015-16	1,081.22	39.77	3.68	6.08
4	मुदांक एवं निवंधन शुल्क	2015-16	3,408.57	55.33	1.62	3.59

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के लिए राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान वैट/बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क एवं वाहन कर के संबंध में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता संग्रहण की संपूर्ण भारत औसत लागत (2014–15) से कम थी।

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2011–12 में ₹ 9,882.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 19,565.60 करोड़ हो गया जिसे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (₹ करोड़ में)
गैर-योजना अनुदान	2,562.62	2,412.58	3,288.13	3,271.21	3,434.43
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5,065.39	5,051.97	6,238.39	14,935.68	13,886.33
केंद्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	95.78	35.69	136.65	117.49	2,083.98
केंद्र प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	2,159.19	2,777.68	2,920.86	821.88	160.86
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	9,882.98	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	1.90	4.00	22.44	52.15	2.19
राजस्व प्राप्तियाँ	51,320	59,567	68,919	78,417	96,123
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	19.26	17.25	18.26	24.42	20.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदानों में ₹ 419.34 करोड़ की वृद्धि का कारण केंद्रीय योजना मदों में (₹ 1,966.49 करोड़) एवं गैर योजना अनुदान (₹ 163.22 करोड़) की वृद्धि था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य योजना मदों में ₹ 1,049.35 करोड़ एवं केन्द्र प्रायोजित योजना मदों में ₹ 661.02 करोड़ की कमी हुई।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटे की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। चौदहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015–16 के दौरान कोई ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने नहीं उठाया।

1.3.4 केंद्रीय कर स्थानान्तरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्य का अंश तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 32 प्रतिशत से वृद्धि कर 42 प्रतिशत अनुशंसित किया गया तथा राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर को छोड़कर) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश क्रमशः 9.67 तथा 9.79 प्रतिशत तय किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त संघीय करों/शुल्कों का अंश (₹ 48,922.68 करोड़) प्राक्कलन (₹ 50,747.58 करोड़) से (₹ 1,824.90 करोड़) कम था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 11,959.61 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 2,469.68 करोड़), सेवा कर (₹ 2,981.08 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 1,871.44 करोड़) संघीय उत्पाद शुल्कों (₹ 3,201.53 करोड़) और संपत्ति कर में (₹ 30.53 करोड़) कमी हुई।

1.3.5 चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 2,995.01 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं निधियों की उपयोगिता को तालिका 1.11 में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.11: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	हस्तांतरण	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	256.83	255.01	255.01	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	2,269.18	2,269.18	2,269.18	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	पथ एवं पुल	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	आपदा राहत	469.00	469.00	1,286.59	(-) 817.59*
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	2,995.01	2,993.19	3,810.78	(-) 817.59

(स्रोत: बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

* 817.59 करोड़ वर्ष 2014–15 की अव्यवहृत राशि का शेष था।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विमुक्ति ₹ 2,993.19 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3,810.78 करोड़ (127.32 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया था। वर्ष 2015–16 में अधिक्य व्यय ₹ 817.59 करोड़ वर्ष 2014–15 के अव्यवहृत राशि के शेष से किया गया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 6,726 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 18,402 करोड़ (174 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: प्राप्तियों के वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	6,726	9,579	9,922	15,411	18,402
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	826.56	508.02	549.66	718.25	817.97
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	23	25	15	1493	18.50
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,628	9,554	9,907	13,918	18,383
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	10	44	04	40	32
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	2,47,144	2,82,368	3,17,101	3,73,920	4,13,503
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर		14.25	12.30	17.92	10.59
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	42	04	55	19

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2014–15 में ₹ 1,493.06 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 18.50 करोड़ (98.76 प्रतिशत) हो गयी। इसमें सहकारी समितियों/सहकारी निकायों/बैंकों के ऋण ₹ 3.58 करोड़, सांविधिक निकायों ₹ 0.07 करोड़ और सरकारी सेवकों को ऋण ₹ 14.85 करोड़ सम्मिलित है। यह कमी मुख्यतः सांविधिक निकायों में पिछले वर्ष 2014–15 से ₹ 1,474.99 करोड़ की कम वसूली था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2014–15 में ₹ 13,918 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 18,383 करोड़ (32.08 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 11,500 करोड़, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से ऋण ₹ 1,200 करोड़ तथा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों ₹ 3,307 करोड़ की ऋण सम्मिलित है।

उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य सरकार ने वितरण के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम बढ़ाते हुए वितरण के ऋणों का अधिग्रहण कर उदय योजना के अंतर्गत फरवरी 2016 में एमओ०य०० हस्ताक्षरित किया। दिनांक 30.09.2015 तक उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का वितरण उत्तरदायित्व ₹ 3,109.05 करोड़ था जिसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 1,554.42 करोड़ मूल्य के गैर एस०एल०आर० बाँण्ड जारी किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 772.26 करोड़ मूल्य के गैर एस०एल०आर० बाँण्ड जारी करने की अनुमति प्रदान दी गई, इस तरह ₹ 2,331.78 करोड़ जो कुल दायित्व का 75 प्रतिशत है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियाँ तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु निधि उपलब्ध होती है। **तालिका 1.13** के नीचे वर्ष 2011–16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती हैं।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्तियाँ के घटक (निवल)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (₹ करोड़ में)
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58
ख. आरक्षित निधि	572.36	530.89	698.58	730.13	90.69
ग. जमा एवं अग्रिम	932.91	2,199.05	3,668.40	2,222.58	3,731.69
घ. उचंत एवं विविध	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1707.32	(-) 571.81
ड. प्रेषण	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05
योग	909.39	2,267.39	4,005.21	1,050.64	3,183.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)


लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) वर्ष 2011–12 में ₹ 909.39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 3,183.04 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियाँ में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 2,798.78 करोड़ तथा प्रेषण में ₹ 42.87 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2011–16) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[#] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2011–12 में ₹ 57,257 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,08,203 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014–15 से वर्ष 2015–16 में कुल व्यय में ₹ 17,114 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 11,046 करोड़ (15 प्रतिशत), पूँजीगत व्यय में ₹ 5,816 करोड़ (32 प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम में ₹ 252 करोड़ (68 प्रतिशत) की वृद्धि था।
- मुख्य पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 में ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 8,012.63 करोड़ (72.39 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ में वर्ष 2014–15 में ₹ 523.19 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 2,233.73 करोड़ (326.94 प्रतिशत) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में वर्ष 2014–15 में ₹ 315.77 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 1,090.75 करोड़ (245.43 प्रतिशत) रही।

- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी ऊर्जा में वर्ष 2014–15 में ₹ 3,752.94 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 6,047.95 करोड़ (61.15 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में वर्ष 2014–15 में ₹ 2,304.50 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 4,055.63 करोड़ (75.99 प्रतिशत) तथा सड़क एवं पुल में वर्ष 2014–15 में ₹ 990.58 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 1,709.07 करोड़ (72.53 प्रतिशत) रही।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में होता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदंड की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.14 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय—आधारभूत मापदंड

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें, (₹ करोड़ में)	46,499	54,466	62,477	72,570	83,616
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	34,012	37,574	43,381	47,059	53,965
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	12,487	16,892	19,096	25,511	29,651
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	21.67	17.13	14.71	16.15	15.22
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	24.51	10.47	15.45	8.48	14.68
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	14.56	35.28	13.05	33.59	16.23
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशतता	81.21	82.35	80.84	79.67	77.28
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.76	13.31	13.68	12.59	13.05
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	59.40	56.81	56.13	51.66	49.87
राजस्व प्राप्तियों में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	66.27	63.08	62.94	60.01	56.14
राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	1.01	1.20	1.20	0.90	1.44
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.42	1.07	0.94	1.17	0.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 11,046 करोड़ (15.22 प्रतिशत) तथा कुल व्यय⁵ का 77.28 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) ₹ 6,906 करोड़ (14.68 प्रतिशत) बढ़ गया, इसका मुख्य कारण ऊर्जा में ₹ 2,338.46 करोड़ (62.31 प्रतिशत), ग्रामीण विकास में ₹ 764.40 करोड़ (36.23 प्रतिशत) तथा परिवहन में ₹ 722.13 करोड़ (79.61 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 4,140 करोड़ (16.23 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण शिक्षा में ₹ 1,765.68 करोड़ (22.57 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में ₹ 1,727.12 करोड़ (80.26 प्रतिशत) तथा उद्योग एवं खनिज में ₹ 643.35 करोड़ (130.14 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

⁵ इसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अधिसंगठन शामिल हैं।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। तालिका 1.15 तथा चार्ट 1.10 वर्ष 2011–16 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 1.15: वर्ष 2011–16 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	12,193.69 (23.76)	13,557.88 (22.76)	14,036.67 (20.37)	14,607.44 (18.63)	18,534.75	14,923.73 (15.52)
1 (क)	गैर-योजना शीर्ष	11,494.50 (22.40)	12,865.06 (21.60)	13,315.36 (19.32)	13,910.31 (17.74)	17,757.90	14,307.22 (14.88)
1 (ख)	योजना शीर्ष	699.19 (1.36)	692.82 (1.16)	721.31 (1.05)	697.13 (0.89)	776.85	616.51 (0.64)
2	ब्याज भुगतान	4,303.66 (8.39)	4,428.31 (7.43)	5,459.04 (7.92)	6,128.75 (7.82)	7,220.77	7,097.69 (7.38)
3	पेंशन पर व्यय	7,808.45 (15.22)	8,363.53 (14.04)	9,481.73 (13.76)	11,344.50 (14.47)	12,979.67	11,830.46 (12.31)
4	ऋण की अदायगी	2,922.46 (23.97)	3,069.96 (5.15)	3,119.56 (4.53)	3,608.95 (4.60)	3,895.28	4,124.85 (4.29)
5	सब्सिडी	2,672.27 (5.21)	4,313.45 (7.24)	1,464.38 (2.12)	4,628.36 (5.90)	0.00	9,010.45 (9.37)
6	योग (1+2+3+4+5)	29,900.53 (58.26)	33,733.13 (56.63)	33,561.38 (48.70)	40,318.00 (51.42)	42,630.47	46,987.18 (48.87)
7	अन्य संघटक (8-6)	16,598.96 (32.34)	20,733.02 (34.81)	28,915.85 (41.96)	32,251.98 (44.44)	48,577.64	36,628.76 (38.11)
8	राजस्व व्यय	46,499.49	54,466.15	62,477.23	72,569.98	91,208.11	83,615.94
9	राजस्व प्राप्तियाँ	51,320.17	59,566.66	68,918.65	78,417.54	1,03,189.06	96,123.10

कोष्ठक में दिये गए ऑकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

(चोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2015–16 का बजट)

चार्ट 1.10: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक (₹ करोड़ में)



(चोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2014–15 में 18.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 15.52 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 14,923.73 करोड़ का व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 18,534.75 करोड़) से ₹ 3,611.02 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2011–12 में ₹ 7,808.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 11,830.46 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 4,022.01 करोड़ (51.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 12.31 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 485.96 करोड़ (4.28 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान पर व्यय

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 7,097.69 करोड़) पिछले वर्ष से 15.81 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 8.39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 7.38 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2015–16 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 7,097.69 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से (₹ 6,359 करोड़) से ₹ 738.69 करोड़ अधिक था। यद्यपि, यह बजट प्राक्कलन (₹ 7,220.77 करोड़) से ₹ 123.08 करोड़ कम था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्तियाँ से प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 23.97 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 4.29 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3,895.28 करोड़) से ₹ 229.57 करोड़ (5.89 प्रतिशत) की सामान्य वृद्धि हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदानों/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परंतु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 9,010.45 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 94.68 प्रतिशत ज्यादा था तथा राजस्व प्राप्ति का 9.37 प्रतिशत था। इसमें से, ऊर्जा विभाग हेतु ₹ 6,047.95 करोड़, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु ₹ 1,330.67 करोड़ तथा उद्योग विभाग हेतु ₹ 824.89 करोड़ प्रदान किये गये।

अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे तालिका 1.16 में किया गया है:

तालिका 1.16: वर्ष 2015–16 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	व्यय
1	शिक्षा विभाग	1,487.50
2	उद्योग विभाग	834.71
3	कृषि विभाग	585.91
4	गन्ना उद्योग विभाग	130.60
5	ऊर्जा विभाग	47.23
योग		3,085.95

(स्रोत: विहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.16 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोशाक, साईकिल और सेनेटरी नैपकीन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1,487.50 करोड़, उद्योग विभाग के अंतर्गत पावर लूम के बिजली खपत पर राहत, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 834.71 करोड़, कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक कृषि के कृषि यांत्रिकरण उन्नयन के विकास इत्यादि के लिए ₹ 585.91 करोड़, गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य योजना को आर्थिक सहायता के लिए ₹ 130.60 करोड़ तथा उर्जा विभाग के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट इत्यादि के लिए बिहार नवीकरण उर्जा विकास अभियान को ₹ 47.23 करोड़ दिए गए।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2011–16 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.17** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	5,581.07	8,331.34	8,420.44	11,477.94	5,345.89
नगर निगम एवं नगर निकाय	557.30	873.56	1,009.88	626.46	1,826.29
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	2,534.41	2,595.15	3,506.69	2,425.69	3,178.20
विकास एजेन्सियाँ	3,029.74	3,079.26	5,683.72	6,938.67	10,972.07
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	25.00	-	67.12	101.05	1,403.26
अन्य संस्थाएँ	2,716.16	2,574.43	247.16	789.48	3,700.50
योग	14,443.68	17,453.74	18,935.01	22,359.29	26,426.21
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	31.06	32.05	30.31	30.81	31.60

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय सहायता वर्ष 2014–15 में ₹ 22,359.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,426.21 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 4,066.92 करोड़ (18.19 प्रतिशत) की वृद्धि प्रारंभिक रूप से विकास अभियानों को (₹ 4,033.40 करोड़), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों (₹ 1,302.21 करोड़), नगर निगम एवं नगर निकाय (₹ 1,199.83 करोड़), जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थानों (₹ 752.51 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 2,911.02 करोड़) की सहायता में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि, शिक्षा विभाग को ₹ 6,132.05 करोड़ की कम वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर सन्निहित है, जिसमें व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत—परिणाम संबंध का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.18 2015–16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.18: 2012–13 तथा 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई [#] / ए.ई.	एस.एस. ई/ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13*	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
बिहार का औसत (अनुपात) 2012–13	23.42	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2015–16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
बिहार का औसत (अनुपात) 2015–16	26.17	70.78	35.75	22.15	17.70	4.22

* जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के अनुसार

ए.ई.– संचयी व्यय, डी.ई.– विकास व्यय, एस.एस.ई.– सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.– पूँजीगत व्यय, ई.डी.एन.– शिक्षा

डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों⁶ पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स⁷ के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय⁸ के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंवित होता है। कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.19 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.19 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

प्रक्षेत्र	2014-15		2015-16		(प्रतिशतता)
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	
सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)					
सामान्य शिक्षा	1.47	28.49	2.77	23.77	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.76	50.99	23.86	52.57	
जलाधार्ता, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	19.88	6.63	18.23	6.28	
योग (एस.एस.)	5.96	28.25	8.70	25.16	

⁶ विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्भिलित है।

⁷ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पॉस्टक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दग्दी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है।

⁸ व्यय के अँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गेर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गेर-विकास व्यय माना गया है।

प्रक्षेत्र	2014-15		2015-16	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.11	14.37	14.68	14.64
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	58.26	58.00	59.40	56.96
विद्युत एवं ऊर्जा	52.53	0.00	31.23	0.00
परिवहन	80.83	22.81	72.06	13.94
योग (ई.एस.)	51.99	14.23	43.13	11.25
योग (एस.एस.+ई.एस.)	26.18	24.24	23.84	20.59

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में 26.18 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 23.84 प्रतिशत हो गया। इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014–15 में 24.24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 20.59 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014–15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 8.70 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014–15 में 51.99 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 43.13 प्रतिशत हो गयी। मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत वृद्धि देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014–15 में 28.25 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 25.16 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा (4.72 प्रतिशत), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (0.35 प्रतिशत) के अंतर्गत था।

इसी तरह, चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014–15 में 14.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 11.25 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (1.04 प्रतिशत) तथा परिवहन (8.87 प्रतिशत) में पाया गया।

1.8 राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरुद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए कार्यों सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2016 तक के अपूर्ण कार्यों की विभागवार सूचनाएँ दी गयी हैं। सम्मिलित रूप से 144 परियोजनाओं/कार्यों (प्राककलित लागत ₹ 1,728.18 करोड़) को मार्च 2016 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 731.56 करोड़ अवरुद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2016⁹ को शून्य से 98 प्रतिशत के बीच रही।

⁹ वित्त लेखा बिहार सरकार वर्ष 2014–15 का परिशिष्ट – IX /

तालिका 1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग / परियोजनाएँ	अपूर्ण परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत	मार्च 2016 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	58	1,260.42	477.18
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	40	224.93	126.15
पथ निर्माण	4	37.80	17.25
भवन निर्माण	21	131.75	71.84
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	13	21.89	11.55
ग्रामीण कार्य	5	4.10	1.63
राष्ट्रीय राजमार्ग	3	47.29	25.96
योग	144	1,728.18	731.56

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के राज्य का वित्त लेखा)

कार्यों को पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक, राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 9,940.24 करोड़ निवेश किया जो कि तालिका 1.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश / प्रतिलाभ / उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	920.82	941.17	2,867.18	7,068.79	9,940.24
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	1.40	2.55	2.53	2.58	14.84
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.15	0.27	0.09	0.04	0.15
सरकारी उधार पर व्याज की औसत दर ¹⁰ (प्रतिशत)	6.35	5.79	6.28	6.19	6.09
व्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.20	5.52	6.19	6.15	5.94

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 9,940.24 करोड़ के निवेश के विरुद्ध ₹ 14.84 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

उपर्युक्त तालिका 1.21 में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.14 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2011–16 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.14 प्रतिशत की औसत व्याज दर का भुगतान किया। उधार पर व्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक घटते हुए प्रवृत्ति में है।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 9,940.24 करोड़ में, 53 सरकारी कंपनियों में ₹ 9,366.84 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 433.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 3.68 करोड़ का था।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

¹⁰ व्याज की औसत दर = व्याज भुगतान*100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।

तालिका 1.22 31 मार्च 2016 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.22: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की राशि/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	16,642.19	18,525.76	20,587.01	21,379.35	20,255.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त की राशि	1,906.08	2,085.95	807.38	368.71	621.23
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	22.51	24.70	15.03	1,493.06	18.50
आंतिम शेष	18,525.76	20,587.01	21,379.36	20,255.00	20,857.73
निवल योग	1,883.57	2,061.25	792.35	(-) 1,124.35	602.73
ब्याज प्राप्तियाँ	573.70	167.12	269.48	344.77	583.66
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ की प्रतिशतता	3.10	0.81	1.26	1.70	2.80
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.35	5.79	6.28	6.19	6.09
ब्याज प्राप्तियाँ तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 3.25	(-) 4.98	(-) 5.02	(-) 4.49	(-) 3.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋणों की मात्रा वर्ष 2014-15 में ₹ 368.71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 621.23 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2014-15 में ₹ 1,493.06 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल पुनर्भुगतान के बकाया का आंतिम शेष ₹ 20,857.73 करोड़ था। ब्याज प्राप्तियों की वसूली ज्यादा होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2014-15 में 4.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 3.29 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	6,337.11	11,716.72	5,379.61
नकद शेष से निवेश (क से घ)	3,528.80	8,199.24	4,670.44
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3,524.15	8,194.59	4,670.44
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उदिदष्ट शेष (क एवं ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	2,343.00	2,834.84	491.84
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	2,342.90	2,834.74	491.84
ब्याज प्राप्ति	311.77	453.33	141.56

* वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णक आँकड़े शामिल किये गये

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 6,337.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,716.72 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2016 को ₹ 3,524.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,194.59 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में

उद्दिदष्ट शेष में निवेश ₹ 491.84 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2015–16 के दौरान निवेश पर ₹ 453.33 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त ब्याज (₹ 311.77 करोड़) से ₹ 141.56 करोड़ ज्यादा था।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल संपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयताएँ तथा की गई व्यय द्वारा सूजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। **परिशिष्ट 1.8** 31 मार्च 2015 के संगत रिस्ति की तुलना में 31 मार्च 2016 तक की ऐसी देयताएँ एवं परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयताएँ राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएँ हैं। संचित निधि देयताएँ में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल हैं जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.24 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.24: बकाया राजकोषीय देयताएँ¹¹


वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राशि (₹ करोड़ में)	67,811.84	76,503.07	86,939.10	99,055.82	1,16,577.61
वृद्धि दर	7.88	12.82	13.64	13.94	17.69
राजकोषीय देयताएँ का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28
राजस्व प्राप्तियाँ	1.32	1.28	1.26	1.26	1.21
स्वयं के संसाधन	5.02	4.40	4.04	4.44	4.22
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.37	0.90	1.11	0.78	1.67
राजस्व प्राप्तियाँ	0.52	0.80	0.87	1.01	0.78
स्वयं के संसाधन	0.32	0.45	0.58	3.74	0.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संघटक चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।

¹¹ बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।

चार्ट 1.11: वर्ष 2011–16 के दौरान राजकोषीय दायित्व के मुख्य संघटन (₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका 1.24 में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2011-12 में ₹ 67,811.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,16,577.61 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयताएँ की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 7.88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 17.69 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजकोषीय देयताएँ का जी.एस.डी.पी. से अनुपात वर्ष 2011-12 में 27.40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान 28.20 प्रतिशत हो गया एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिमान तथा एफ0आर0बी0एम0 के लक्ष्य 25.02 प्रतिशत से ज्यादा रहा। वर्ष 2015-16 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.21 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 4.22 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.78 की तुलना में इस वर्ष 1.67 थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

आरक्षित निधि का सूजन राज्य सरकार (लोक लेखे) के लेखा में ‘ज’ प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त इन निधियों को “ब्याज वाली निधि” तथा “बिना ब्याज वाली निधि” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं जो उन स्रोत पर आधारित होते हैं जिसमें से पोषित होते हैं।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान यथा केंद्रीय सङ्केत निधि से संसाधनों से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उद्देश्यों जैसे शून्य ह्वास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के लेखे में छ: आरक्षित निधि¹² सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

¹² राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निश्चेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मूल्यह्वास/नवीकरण आरक्षित निधि।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2015 को ₹ 1,809.57 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,269.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 1,670.15 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2016 को ₹ 1,408.42 करोड़ का शेष रह गया।

निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष ₹ 2,342.90 करोड़ था तथा ₹ 491.84 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2016 को अंतशेष ₹ 2,834.74 करोड़ था।

1.9.4 आकस्मिक देयताएँ

- प्रत्याभूति की स्थिति**

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रत्याभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी विगत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.25 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.25: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

प्रत्याभूति	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(₹ करोड़ में)
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2,049.03	2,046.44	2,586.84	5,314.84	9,396.62	
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,092.34	1,089.23	1,090.23	2,000.90	4,720.78	
कुल राजस्व प्राप्तियाँ से अधिकतम प्रत्याभूत राशि की प्रतिशतता	3.99 (51,320)	3.44 (59,567)	3.75 (68,919)	6.78 (78,417)	9.78 (96,123)	
(कोष्ठक में ऑकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं)						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2016 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 4081.78 करोड़ ज्यादा कर दी गई। 31 मार्च 2016 को प्रत्याभूति की ₹ 4720.78 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 3496.87 करोड़), सहकारिता (₹ 456.05 करोड़), सड़क एवं परिवहन (₹ 43.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 17.21 करोड़), अन्य विनिर्माण (₹ 16.06 करोड़) एवं अन्य दूसरे (₹ 564.12 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोर्चन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

- ऑफ-बजट उधारी**

सरकारी कंपनियों/निगमों राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी-कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे ‘ऑफ-बजट उधारी’ कहा जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2015–16 के दौरान ऑफ-बजट उधारी से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2011–16 के दौरान नकद शेष तथा राज्य द्वारा ली गयी उधारी तालिका 1.26 में दी गयी है।

तालिका 1.26: नकद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2011-12	5,914	7,660	1,746	1,509
2012-13	6,545	10,850	4,305	3,716
2013-14	8,351	30,249	21,898	6,156
2014-15	11,179	41,188	30,009	6,337
2015-16	12,061	56,030	43,969	11,717

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि वृहत् नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 1,746 करोड़, ₹ 4,305 करोड़, ₹ 21,898 करोड़, ₹ 30,009 करोड़ तथा ₹ 43,969 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2011–16 के दौरान ₹ 1,509 करोड़ से ₹ 11,717 करोड़ के बीच वृहत् नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है। ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रत्याभूति पर विशेष प्रयोजन माध्यम साधन द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने की वचन बद्धता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

• ऋण विवरणिका

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षों का समयवार विश्लेषण नीचे तालिका 1.27 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.27: ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता ¹³	651	4,263	4,977	5,988	10,424
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2014–15 में ₹ 5,988 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 10,424 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 17,565.04 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 817.97 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, ₹ 37,647.21 करोड़ के अन्य देयताओं में वृद्धि की गई और ₹ 3,422.74 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 702.11 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान, ₹ 34,383.58 करोड़ के अन्य देयताओं को चुकाया और ₹ 5,899.63 करोड़ आंतरिक ऋण पर ब्याज, ₹ 377.54 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज और ₹ 801 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज भुगतान भी किया।

¹³ उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ—(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैर योजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

● ऋण निर्वाहिता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहिता¹⁴ का निर्धारण करते हैं। यह खंड, ऋण स्थिरता,¹⁵ गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁶, उधार ली गई राशियों की निवल अनुपलब्धता,¹⁷ ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहिता की संवहनीयता का आकलन करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011–16 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहिता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.28: ऋण निर्वाहिता : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहिता के सूचकांक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ	67,811.84	76,503.07	86,939.10	99,055.82	1,16,577.61
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ/ जी.एस.डी.पी. अनुपात	27.44	27.09	27.42	26.49	28.19
लवित ऋण पर औसत ब्याज	6.59	6.14	6.68	6.59	6.58
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-) 1,485.07	282.02	1,331.24	(-) 46,710.98	(-) 39,291.86
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	651	4263	4977	5988	10424
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा (वर्षों में)*					
शून्य से एक वर्ष (2016)				4,031.40 (4.34)	
एक से तीन वर्ष (2017–2019)				15,530.56 (16.72)	
तीन से पाँच वर्ष (2020–2021)				12,431.17 (13.38)	
पाँच से सात वर्ष (2022–2023)				17,248.54 (18.57)	
सात वर्ष से अधिक (2024 के आगे)				43,653.70 (46.99)	
कुल				92,895.37 (100.00) [#]	

* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2015–16 में वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।

कांगड़ में दिये अँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

दिये गये तालिका 1.28 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को अपने ऋण का 16.72 प्रतिशत (₹ 15,530.56 करोड़) एक से तीन वर्षों के बीच, 13.38 प्रतिशत (₹ 12,431.17 करोड़) तीन से पाँच वर्षों के बीच एवं 18.57 प्रतिशत (₹ 17,248.54 करोड़) पाँच से सात वर्षों के बीच पुनर्भुगतान करना है। यह साबित करता है कि राज्य को लगभग अपने ऋण का 47 प्रतिशत (₹ 43,653.70 करोड़) का पुनर्भुगतान अगले सात वर्षों के बाद करना है।

राज्य को ऋण निर्वाहिता सुधारने हेतु अच्छे ऋण प्रबंधन उपाय पर कार्य करना है। इसमें अतिरिक्त ऋण एवं संसाधन संग्रहण की वृद्धि शामिल है। जब तक कि ऋण निर्वाहिता हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगा तब तक राज्य में ऋण सेवा एवं ऋण के जाल की स्थिति गंभीर समस्या होगा।

¹⁴ किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहिता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहिता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय धारा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

¹⁵ रितराता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो।

¹⁶ राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए व्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं व्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहिता में आसानी हो सकती है।

¹⁷ इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मात्रन अनुपात (मूलधन + व्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोत्रन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोत्रन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

1.10.1 ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से राज्य सरकार को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) संचालन से मुक्त किया जाना था। 1 अप्रैल 2015 के पूर्व के (एन.एस.एस.एफ.) संचालन में हुए राजकोषीय भार, चूँकि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता था, को राज्य सरकार पर भारित नहीं किया जाना चाहिए एवं 1 अप्रैल 2015 से जब राज्य सरकार संलग्नत हुआ, वित्तीय भार सिर्फ उत्तरदायित्व के लिये किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान कोई ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा उपभोग नहीं किया गया।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा—किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ0आर0बी0एम0 नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य ने वर्ष 2009–10 में राजस्व अधिशेष प्राप्त किया तथा इसके बाद राजस्व अधिशेष बना रहा। चार्ट 1.12 से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 6,660 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 12,507 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेपण ₹ 11,981 करोड़ से काफी ज्यादा था।

चार्ट 1.12: घाटे की प्रवृत्ति के सूचक
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.29: वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति के सूचक

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व अधिशेष / जी.एस.डी.पी.	1.95	1.81	2.03	1.56	3.02
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	(-) 2.39	(-) 2.32	(-) 2.63	(-) 2.99	(-) 2.92
प्राथमिक अधिशेष / जी.एस.डी.पी.	(-) 0.65	(-) 0.75	(-) 0.91	(-) 1.35	(-) 1.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं **तालिका 1.29** में देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 6,660 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 12,061 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (2.92) वर्ष 2015–16 हेतु चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रक्षेपण तथा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः, ₹ 5,050 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2014–15) घटकर ₹ 4,963 करोड़ हो गया (2015–16)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त व्यवस्था

राजकोषीय घाटे के व्यवस्था प्रतिमान में समग्र परिवर्तन हुए हैं जिसे **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसकी वित्तीय व्यवस्था

(₹ करोड़ में)

विवरण		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटा की संरचना		(-) 5,914.90	(-) 6,545.26	(-) 8,351.92	(-) 11,178.50	(-) 12,061.59
1	राजस्व घाटा / राजस्व अधिशेष	4,820.68	5,100.51	6,441.42	5,847.56	12,507.16
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 8,852.01	(-) 9,584.52	(-) 14,001.00	(-) 18,150.41	(-) 23,966.02
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 1,883.57	(-) 2,061.25	(-) 792.35	(-) 1,124.35	(-) 602.73
राजकोषीय घाटे का वित्त व्यवस्था*						
1	बाजार उधारी	2,593.90	5,763.88	5,346.77	6,666.51	10,233.12
2	भारत सरकार से ऋण	361.08	23.30	(-) 11.07	84.67	115.86
3	एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	505.56	292.87	631.52	3,150.22	2,024.86
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	244.96	403.96	820.31	407.18	1,884.33
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58
6	जमा एवं अग्रिम	932.91	2,199.05	3,668.41	2,222.57	3,731.69
7	उचंत तथा विविध	1,238.71	(-) 1,936.34	(-) 2,007.59	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97
8	प्रेषण	(-) 36.82	19.51	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05
9	आरक्षित निधि	335.93	275.94	262.31	(-) 245.12	(-) 401.15
10	अंतर्राजीय समाशोधन	74.02	-	-	-	-
11	संपूर्ण अधिशेष / घाटा	6,248.12	6,826.62	8,393.74	10,859.40	12,275.21
12	नकद शेष में कमी / वृद्धि	333.22	281.36	41.82	319.10	(-) 213.62
13	सकल राजस्व घाटा	5,914.90	6,545.26	8,351.92	11,178.50	12,061.59

*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बर्हिगमन

नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.31: वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्त पोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	11,500.00	1,266.88	10,233.12
2	भारत सरकार से ऋण	817.97	702.11	115.86
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	3,306.54	1,281.68	2,024.86
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,758.49	874.16	1,884.33
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,203.48	1,277.06	(-)73.58
6	जमा एवं अग्रिम	34,894.03	31,162.34	3,731.69
7	उचंत तथा विविध	2,35,533.87	2,40,779.84	(-)5,245.97
8	प्रेषण	10,619.24	10,613.19	6.05
9	आरक्षित निधि	1,760.84	2,161.99	(-)401.15
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-
11	संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (-)			12,275.21
12	नकद शेष में वृद्धि / कमी			(-)213.62
13	सकल राजकोषीय घाटा			12,061.59

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2015–16)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता है, वह वर्ष 2014–15 में ₹ 11,178.50 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 12,061.59 करोड़ हो गया परंतु, यह बजट प्राक्कलन (₹ 13,584.46 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 61.59 प्रतिशत था परंतु, यह वर्ष 2015–16 के दौरान घटकर 50.33 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में राष्ट्रीय लघु बचत निधि, लघु बचत, पी.एफ. आदि, प्रेषण को जारी विशेष प्रतिभूति में कमी थी। तथापि, बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण तथा आर्थिक संस्थाओं से ऋण में वृद्धि हुई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा¹⁸ में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस विस्तार को बताता है जो उधार ली गयी निधियों का उपयोग तत्कालिक उपभोग के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयताएँ) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (तालिका 1.32) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

¹⁸ प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर व्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है।

तालिका 1.32: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष—कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ ¹⁹	प्रारंभिक राजस्व व्यय ²⁰	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (-)/अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	51,343	42,195	8,852	1,906	52,953	9,148	(-) 1,610
2012-13	59,592	50,038	9,585	2,086	61,709	9,554	(-) 2,117
2013-14	68,934	57,018	14,001	807	71,826	11,916	(-) 2,892
2014-15	79,910	66,441	18,150	369	84,960	13,469	(-) 5,050
2015-16	96,142	76,518	23,966	621	1,01,105	19,624	(-) 4,963

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2011-12 में ₹ 9,148 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 19,624 करोड़ हो गया। इसका कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है) वर्ष 2011-12 में ₹ 52,953 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,01,105 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि, वर्ष 2011-12 में (राज्य का प्रारंभिक घाटा ₹ 1,610 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 4,963 करोड़ हो गया।

1.12 अनुवर्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति में इस प्रतिवेदन पर चर्चा आयोजित की जाती रही है।

वर्ष 2010-11 में लोक लेखा समिति द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के कंडिका संख्या 3.4 पर अनुशंसा किया गया था।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 12,507.16 करोड़ था जो पिछले वर्ष से ₹ 6,660 करोड़ ज्यादा और बजट अनुमान से ₹ 526 करोड़ ज्यादा मुख्यतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था।
- राज्य का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण इत्यादि में वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,061 करोड़ हो गया। तथापि यह बजट अनुमान (₹ 13,584 करोड़) से ₹ 1,523 करोड़ कम था। यह जी0एस0डी0पी0 के 2.92 प्रतिशत, एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रतिमान तीन प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग (एफ0 एफ0 सी0) द्वारा अनुशंसित 3.5 प्रतिशत के अंदर था।

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 96,123 करोड़) में वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.58 प्रतिशत (₹ 17,706 करोड़) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः केंद्रीय करों के राज्यांश (₹ 11,959.61 करोड़) और अपना कर राजस्व (₹ 4,698.95 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

¹⁹ राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है।

²⁰ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं व्याज भुगतान में अंतर है।

- राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत वृद्धि के कारण जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता 0.77 (2014–15) से बढ़कर 2.13 (2015–16) हो गई।
सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 792.71 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत अधिक था। भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखांकन और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय (सी0ई0) वर्ष 2014–15 के ₹ 18,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 23,966 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014–15 के ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 8,012.63 करोड़ के वृद्धि के कारण हुई। चुनिंदा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 के 51.99 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015–16 में 43.13 प्रतिशत हो गया। जबकि सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014–15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 8.70 प्रतिशत हो गई।
- राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली नगण्य थी जिसके कारण पुनर्भुगतान हेतु मार्च 2016 के अंत तक वृहत् शेष (₹ 20,857.73 करोड़) हो गया। ऋणों की पुनर्भुगतान वर्ष 2014–15 के ₹ 1,493.06 करोड़ से वृहत् मात्रा में घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गया।
सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

राजकोषीय देयता

- आंतरिक ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्यतः राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2014–15 के ₹ 99,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,16,578 करोड़ हो गया।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है साथ ही उस रीति को भी प्रकट करता है जिससे विनिहित स्रोतों का प्रबंधन सेवा प्रदाता विभाग द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त, बजटीय कार्यविधि तथा बजट पूर्वधारणा की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणी इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल अनुदान, पूरक अनुदानों, बचतों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते हैं तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ—साथ बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखा वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखा के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि, किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 फरवरी 2016 से प्रभावी बिहार बजट हस्तक (बि०ब०ह०) 2016 (पूर्व में बि०ब०ह०, 1963) के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित की जानी है। वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर ‘अनुदानों की मँग’ तैयार करता है। बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्लभ कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाय। व्यय किये जाने वाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्तमान कर, शुल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाये गये बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015–16 के मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	(₹ करोड़ में) 31 मार्च का अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता कालम 7/कालम 6 *100
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	83,316.23	20,769.18	1,04,085.41	76,782.77	(-) 27,302.64	17,173.96	11,787.66	62.90
	II पूँजीगत	24,853.01	6,207.04	31,060.05	24,046.02	(-) 7,014.03	6,716.04	3,939.22	95.75
	III ऋण एवं अग्रिम	728.93	361.82	1,090.75	621.23	(-) 469.52	468.61	93.93	99.81
कुल दत्तमत	1,08,898.17	27,338.04	1,36,236.21	1,01,450.02	(-) 34,786.19	24,358.61	15,820.81	70.02	
भारित	IV राजस्व	7,891.89	20.70	7,912.59	7,723.90	(-) 188.69	97.35	92.64	51.59
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,895.28	268.49	4,163.77	4,124.85	(-) 38.92	0.00	0.00	0.00
कुल भारित	11,787.17	289.19	12,076.36	11,848.75	(-) 227.61	97.35	92.64	42.77	
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)									
महायोग	1,20,685.34	27,627.23	1,48,312.57	1,13,298.77	(-) 35,013.80	24,455.96	15,913.45	69.85	

नोट: कुल व्यय में ₹ 890.73 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 80.00 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है कि वर्ष 2015–16 में कुल प्रावधान ₹ 1,48,312.57 करोड़ था जिसमें मूल प्रावधान ₹ 1,20,685.34 करोड़ और पूरक प्रावधान ₹ 27,627.23 करोड़ शामिल था। कुल प्रावधान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के विरुद्ध सिर्फ ₹ 1,13,298.77 करोड़ व्यय हुआ। इस तरह ₹ 35,013.80 करोड़ की बचत हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 27,627.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान (₹ 1,20,685.34 करोड़) का 22.89 प्रतिशत था। कुल बचत ₹ 35,013.80 करोड़ की हुई जो कि ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.61 प्रतिशत था। ₹ 35,013.80 करोड़ की बचत राजस्व भाग के अंतर्गत 46 अनुदानों (₹ 27,302.64 करोड़) और आठ विनियोगों (₹ 188.69 करोड़) में तथा ₹ 7,014.03 करोड़ पूँजीगत भाग के अंतर्गत 30 अनुदानों में, ₹ 469.52 करोड़ ऋण एवं अग्रिम भाग के अंतर्गत 13 अनुदानों में और ₹ 38.92 करोड़ लोक ऋण पुनर्भुगतानों में हुई। एक विनियोजन के अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग में ₹ 119.01 करोड़ का अधिक व्यय, उस विनियोजन में ₹ 135.04 करोड़ के बचत के बावजूद हुआ।

₹ 35,013.80 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ 27,627.23 करोड़ का पूरक अनुदान का प्रावधान किया गया (जो कि बचतों का 78.90 प्रतिशत था) जो स्पष्ट रूप से निधि के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन पर नियंत्रण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा कंडिका 2.3.5 में की गयी है। वर्ष के दौरान कुल बचत ₹ 35,013.80 में से 69.85 प्रतिशत (₹ 24,455.96 करोड़) ही अभ्यर्पित किये गये। 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़), कुल अभ्यर्पित राशि ₹ 24,455.96 करोड़ का 65.07 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त ₹ 10,557.84 करोड़

(कुल बचत का 30.15 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया जा सका। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को बचत/आधिक्य की सूचना दी गयी थी (अगस्त 2016) परंतु आधिक्य/बचत संबंधी उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2016)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

बिंब 00, 2016 के नियम 105 निर्दिष्ट करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड 1 (ख) और 2 के अधीन, अगर किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए स्वीकृत रकम से अधिक रकम खर्च की जाती है, तो ऐसी अधिक राशि की मांग विधान सभा में प्रस्तुत करनी होगी और उसके साथ वही बर्ताव करना होगा जैसा अनुदानों की मांग के साथ किया जाता है। नियम 106 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष के विनियोग लेखा के संकलन एवं लोक लेखा समिति द्वारा विचार करने के बाद ही अधिक अनुदान की मांग किसी खास वर्ष में अनुदान से अधिक किये गये व्यय को नियमित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तथापि, पूर्ववर्ती¹ वर्षों के ₹ 1,065.07 करोड़ के आधिक्य व्यय की राशि का नियमितिकरण होना बाकी था जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है। यथोष्ट अवधि तक आधिक्य व्यय का नियमितिकरण नहीं किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.2 वर्ष 2015–16 की अवधि में प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित

जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है, योजना एवं विकास विभाग में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के संचित निधि में प्रावधानित राशि से अधिक ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय का नियमितिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड 1 (ख) और 2 के अंतर्गत करने की आवश्यकता थी।

तालिका 2.2: वर्ष 2015–16 के दौरान आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत–दत्तमत						
1	35—योजना एवं विकास विभाग	1,684.19	499.79	2,183.98	2,302.99	119.01

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2015–16)

2.3.3 विनियोजन तथा आवंटन प्राथमिकता

बिंब 00, 2016 के नियम 65 (बिंब 00, 1963 के नियम 65) के अनुसार नियंत्री अधिकारी को यह देखने के लिए संवितरण अधिकारियों से प्राप्त अनुमानों की जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं, ब्यौरे और स्पष्टीकरण (जहाँ अपेक्षित है) दिये गए हैं और स्पष्टीकरण (जहाँ दिये गए हैं) पर्याप्त हैं। अगर अपर्याप्त हो तो उपबंध में फेरबदल किया जाना चाहिए। आगे बिंब 00, 2016 के नियम 70 (बिंब 00, 1963 के नियम 78) के अंतर्गत अनुमानों की प्रतियाँ प्राप्त होने पर प्रशासी विभाग और वित्त विभाग द्वारा उनकी जाँच की जानी चाहिये, और जाँच की जरूरत वाले बिंदुओं के मामले में महालेखाकार से बजट रसीद की प्रतीक्षा किए बगैर तत्काल उपाय करना चाहिए। प्रशासी विभागों को चाहिए कि वे जाँच की जरूरत वाले बिंदुओं को खोजने के लिए वित्त विभाग का इंतजार नहीं करके, प्राप्त होते ही

¹ 1977-78 से 1978-79, 1981-82 से 1984-85, 1986-87 से 1999-00, 2003-04 से 2005-06, 2010-11 और 2014-15 /

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुमान की जाँच की दिशा में बढ़े। प्रशासी विभाग द्वारा जाँच का मकसद पुनरीक्षित और बजट अनुमानों में किए अधिक या अपर्याप्त उपबंधों का पता लगाना है जिन्हें वास्तविक स्थितियों की अधिक गहन जानकारी होने के कारण वे वित्त विभाग की अपेक्षा अधिक आसानी से कर सकते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों का उत्तर पाने में विलंब नहीं हो। इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट बिंदु पर, संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पहले ही विचार किया गया हो और उनके द्वारा पहले ही पूछताछ की गई हो। यह अत्यंत महत्व की बात है कि किसी बजट पर्ची का उत्तर सामान्यतः प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारे से अधिक अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए।

विनियोजन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान 24 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बचत के 30 मामले थे, प्रत्येक मामला ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का था जो कुल प्रावधान (₹ 81,337.10 करोड़) का (35.35 प्रतिशत) ₹ 28,752.26 करोड़ था जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है। आगे 29 अनुदानों में ₹ 27,566.38 करोड़ बचत हुई, प्रत्येक मामलों में 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का था जैसा कि परिशिष्ट 2.2 (क) में दर्शाया गया है।

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले कुछ मामलों की समीक्षा निन्नवत है:

(i) अनुदान संख्या 16—“पंचायती राज विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 1,100.78 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 2,893.00 करोड़, मूल प्रावधान ₹ 4,364.32 करोड़ से कम था। ₹ 2,572.10 करोड़ का बचत, कुल प्रावधान (₹ 5,465.10 करोड़) का 47.06 प्रतिशत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(ii) अनुदान संख्या 21—“शिक्षा विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 24,455.31 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 18,641.41 करोड़ था परिणामतः ₹ 5,813.90 करोड़ (23.77 प्रतिशत) की बचत हुई। इस प्रकार पूरक प्रावधान ₹ 3,695.40 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत मुख्यतः शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय—0001—राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (₹ 1,240.45 करोड़), 111—सर्व शिक्षा अभियान—0201—सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (₹ 980.01 करोड़); 112—विद्यालयों में मध्यान भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—0203—प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम) (₹ 513.69 करोड़); 02—माध्यमिक शिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—0001—अन्य विद्यालय (₹ 234.12 करोड़); 110—अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—0209—मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की स्कीम (₹ 164.92 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(iii) अनुदान संख्या 42—“ग्रामीण विकास विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 7,082.45 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 3,528.41 करोड़ था परिणामतः ₹ 3,554.04 करोड़ (50.18 प्रतिशत) की बचत हुई। इस प्रकार पूरक प्रावधान ₹ 2,109.79 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत मुख्यतः शीर्ष 2505—ग्रामीण रोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—701—राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम—0102—मुख्यालय स्थापना (₹ 3.22 करोड़); 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0301—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

(₹ 16.80 करोड़); 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—102—सामुदायिक विकास—0001—प्रखंड स्थापना (₹ 5.20 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(iv) अनुदान संख्या 48—“नगर विकास एवं आवास विभाग” (राजस्व—दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 941.30 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 1,977.47 करोड़, मूल प्रावधान (₹ 2,169.85 करोड़), से कम था। बचत ₹ 1,133.68 करोड़, कुल प्रावधान (₹ 3,111.15 करोड़) का 36.44 प्रतिशत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(v) अनुदान संख्या 03—“भवन निर्माण विभाग” (पूंजीगत—दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 2,985.37 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 1,638.23 करोड़ था परिणामतः ₹ 1,347.14 करोड़ (45.12 प्रतिशत) की बचत हुई। आगे, पूरक प्रावधान के जरिये अतिरिक्त निधि का प्रावधान (₹ 550.58 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान (₹ 2,434.79 करोड़) से कम था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

2.3.4 सतत बचत

दस अनुदानों/विनियोजनों (विभागों) में प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई तथा यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 11 से 69 प्रतिशत के बीच था जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है। जिनमें से ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की सतत बचत मुख्यतः पशु एवं मत्त्य संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य, विधि, पथ निर्माण (राजस्व—दत्तमत) एवं भवन निर्माण, जल संसाधन, लघु जल संसाधन विभागों (पूंजीगत—दत्तमत) के अंतर्गत हुई।

सतत बचत दर्शाता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं था तथा इस वर्ष के निधि के आवटन में पिछले वर्षों के प्रवाह को ध्यान में नहीं लिया गया।

2.3.5 पूरक प्रावधान का औचित्य

बिंबोह०, 2016 के नियम 109 (बिंबोह०, 1963 के नियम 117) में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग विचार करे कि अनुपूरक अनुदान जरूरी है, चाहे वह व्यय के किसी नए विशेष मद को पूरा करने के लिए हो या अकल्पित परिस्थितियों के कारण मतदेय अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए तो उसे सबसे पहले वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिये। अगर वित्त विभाग आपत्ति करता है और आपत्ति को सरकार द्वारा बरकरार रखा जाता है, तो नियंत्री अधिकारियों को अनुदान के अंतर्गत व्यय को रखने के लिये कदम उठाने का निर्देश तत्काल दे दिया जाना चाहिये। अनुपूरक मांग के मामले को मांग के कारणों को दर्शाते हुए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 47 मामलों (36 अनुदानों/विनियोजनों) में प्राप्त कुल ₹ 13,900.49 करोड़ का पूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री पदाधिकारी बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बगैर पूरक प्रावधानों की मांग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिंबोहो, 2016 के नियम 97 (बिंबोहो, 1963 के नियम 37) के अनुसार यह सुनिश्चित करना हर नियंत्री अधिकारी की जवाबदेही है कि वह कुल व्यय को अपने व्ययनाधीन रखे गये कुल अनुदान या विनियोग की सीमा में रखे और देखे कि विनियोग की हर इकाई के तहत होने वाला व्यय उस इकाई के तहत मूल रूप से किये गये उपबंध की सीमा में रहे। तथापि कुछ अत्यावश्यकताओं के कारण यह सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि विनियोग की हर इकाई के तहत होने वाला व्यय उस इकाई के तहत मूल रूप से किये गये उपबंध की सीमा में रहे। जहाँ कुछ खास उप-शीर्षों के तहत बचत हो सकती है, वहीं कुछ अन्य शीर्षों के तहत अधिक व्यय हो सकता है। ऐसे मामलों में कुछ शीर्षों में होने वाले अधिक व्ययों की पूर्ति अन्य शीर्षों से होने वाली बचत से किया जाना संभव है। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में उपबंधों का ऐसा अंतरण पुनर्विनियोग के रूप में जाना जाता है।

विस्तृत विनियोजन लेखा तथा अनुदान अंकेक्षण पंजी के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 28 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 123 उप-शीर्षों में ₹ 1,335.60 करोड़ की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदान की गयी थी वह पूर्णरूपेण अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 1,461.76 करोड़ थी जैसा कि परिशेष्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, चार मामलों में पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 152.05 करोड़ की निकासी अविवेकपूर्ण ढंग से की गयी जबकि ₹ 26.73 करोड़ का आधिक्य व्यय था, जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (-)	कुल अस्थर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	09	2425-00-001-0002- अधीक्षण	66.91	0.05	3.57	63.40	0.11
2	41	5054-03-101-0104- मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना	400.00	85.00	14.37	301.24	0.61
3	49	4700-02-051-0101- गंडक बेसिन (कार्य) के सिंचाई परियोजना	406.53	47.00	0.68	365.30	6.45
4	49	4711-01-051-0101- उत्तरी बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना	314.00	20.00	15.42	298.14	19.56
योग			1,187.44	152.05	34.04	1,028.08	26.73

(स्रोत: अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, वर्ष 2015-16)

अनुदान संख्या-9 के शीर्ष “2425-सहकारिता-00-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0002-अधीक्षण” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 0.05 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 0.11 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

अनुदान संख्या-41 के शीर्ष “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-101-सेतु-0104-मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 85 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 0.61 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

अनुदान संख्या-49 के शीर्ष “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-051-निर्माण-0101-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 47 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 6.45 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, अनुदान संख्या-49 के शीर्ष “4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-051-निर्माण-0101-उत्तरी बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 20 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 19.56 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के स्थान पर, निधि की निकासी पुनर्विनियोजन के जरिये की गई, जिससे दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ।

इसके अतिरिक्त, 131 मामलों में अनुपयोगित प्रावधान का समुचित आकलन नहीं हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,166.30 करोड़ की निकासी के बाद भी यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि इन अनुदानों के संगत विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,478.35 करोड़ की बचत रह गयी जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नियंत्री पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हें व्यय एवं पुनर्विनियोजन संबंधी अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.7 वृहत् अभ्यर्पण

बिंबोहो, 2016 के नियम 104 (बिंबोह, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो, उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

कुल प्रावधान ₹ 17,072.50 करोड़ के 140 मामलों में से ₹ 11,511.27 करोड़ (67.43 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है। प्रत्येक इकाई के अंतर्गत अभ्यर्पण 50 से 99.97 प्रतिशत के बीच रहा (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ एवं कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक)।

इसके अतिरिक्त 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत-प्रतिशत निधि (₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (**परिशिष्ट 2.8**) जिससे लाभार्थी इन योजनाओं से होने वाले लाभों एवं सेवाओं से वंचित रहे।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

बचत की राशि ₹ 251.54 करोड़ के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 254.48 करोड़ थी, फलतः ₹ 2.94 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हो गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2015–16 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (५-४)=६
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूँजीगत-दत्तमत					
1	49—जल संसाधन विभाग	1,737.63	251.54	254.48	2.94

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

अविवेकपूर्ण ढंग से अभ्यर्पित की राशि वास्तविक बचत से अधिक थी जो जल संसाधन विभाग में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण या कमी को दर्शाता है।

बचत निधि का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण, जो अस्तित्व में नहीं है, विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

बिंबोह०, 2016 के नियम 104 (बिंबोह०, 1963 के नियम 112) के अनुसार बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवादस्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

वर्ष 2015–16 के अंत में बचत के 17 मामलों में (₹ एक करोड़ और अधिक तथा प्रत्येक मामले में 10 प्रतिशत से ज्यादा) ₹ 10,165.15 करोड़ में से ₹ 8,361.75 करोड़ (82.26 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त 84 मामलों में ₹ 23,168.70 करोड़, कुल प्रावधान ($76,485.12$ करोड़) का (30.29 प्रतिशत), प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम कार्यों दिवस में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहे। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गयी थी न ही अन्य जरूरतमंद शीर्षों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.10 सघन व्यय

बिंबोह०, 2016 के नियम 125 (बिंबोह०, 1963 के नियम 113) के अनुसार बिलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के आखिर में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजुलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है।

दस विभागों के अंतर्गत, कुल व्यय का 35 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2016 के दौरान हुआ जिसे **परिशिष्ट 2.11** में सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में 10 विभागों के अंतर्गत ₹ 7,907.35 करोड़ का व्यय, कुल व्यय (₹ 18,514.17 करोड़) का 42.71 प्रतिशत, मार्च 2016 में हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत् राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.4 बजटीय प्रावधान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 (बी०टी०सी०, 2011) के नियम 176 के अनुसार उपगत सभी व्यय की निकासी तुरंत करके उनका भुगतान अवश्य कर देना चाहिए और जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। बी०टी०सी०, 2011 के नियम 177 के अनुसार माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों का व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन अग्रिम राशि की निकासी की जाती है, तो इस प्रकार निकासी की गयी राशि में से खर्च नहीं की गई राशि को अगले विपत्र में या चालान के साथ अल्पकालिक निकासी (शॉर्ट ड्रावल) द्वारा कोषागार में शीघ्रताशीघ्र वापस कर देना चाहिए और किसी भी तरह जिस वित्तीय वर्ष में उस राशि की निकासी हुई हो, उसके अंत के पहले ही कर देना चाहिए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकासी की गई राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और खर्च नहीं हुई राशि वर्ष के 31 मार्च के पहले कोषागार में भेज दी जाएगी।

यद्यपि यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 से 2013–14 की अवधि में 39 मामलों में ए०सी० विपत्रों पर ₹ 33.51 करोड़ की निकासी की गई परन्तु इसमें से ₹ 4.54 करोड़ की राशि को दस माह से नौ वर्ष पाँच माह की अवधि तक अनावश्यक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (**परिशिष्ट 2.12**)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान 12 मामलों में ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गई संपूर्ण राशि ₹ 3.82 करोड़ को नौ माह से सात वर्ष की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.13)।

निधि का अनियमित प्रतिधारण, विभागों को बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से और राशि को वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व व्यय करने की बाध्यता से बचने में सहायक हुआ।

मामलों की सूचना विभाग को दी गई थी (जनवरी 2015 से मई 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

2.5 असमाशोधित व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार उत्तरदायी होंगे जब तक कि इसके विपरीत कोई विशेष आदेश या नियम न हो। आगे, बि0ब0ह0, 2016 के नियम, 96 (बि0ब0ह0 1963 के नियम 134) के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक आँकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक/त्रैमासिक आँकड़ों का समाशोधन महालेखाकार के लेखों के साथ कर लें। मिलान की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, द्वारा 24 जून 2016 निर्धारित की गई थी।

यद्यपि, विभागीय आँकड़ों का समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है, तथापि, वर्ष 2015–16 के दौरान 76 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्षों ने ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया जैसा कि परिशिष्ट 2.14 में दर्शाया गया है। जिसमें में से ₹ 54,606.15 करोड़ (81.55 प्रतिशत) 18 मुख्य शीर्षों से संबंधित है जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय के समाशोधन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2049—व्याज अदायगियाँ	7,079.69	6,733.16
2	2055—पुलिस	4,862.22	2,140.47
3	2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	11,850.36	11,835.43
4	2202—सामान्य शिक्षा	18,429.71	2,781.49
5	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,115.54	2,911.21
6	2216—आवास	1,435.68	1,435.68
7	2217—शहरी विकास	1,648.53	1,270.90
8	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,055.63	3,411.75
9	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,316.75	4,072.49
10	2401—फसल कृषि—कर्म	1,703.80	1,453.79
11	2505—ग्राम रोजगार	1,140.83	1,129.90
12	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3,346.69	2,158.33
13	2801—बिजली	6,047.95	3,300.00
14	3054—सड़क तथा सेतु	1,709.07	1,293.30
15	4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,038.23	1,038.23
16	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,233.73	2,146.50
17	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,090.75	1,090.75
18	5054—पथों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,402.77	4,402.77
योग		79,507.93	54,606.15

(स्रोत: कार्यालय, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित सूचना)

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार ने व्यय के समाशोधन का मुद्दा उपरोक्त वर्षित 18 विभागों से किया होता तो कुल असमाशोधित व्यय ($\text{₹ } 66,962.68$ करोड़) के 81.55 प्रतिशत का समाशोधन हो गया होता।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (2012 में संशोधित) के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि का सृजन किया गया। सिर्फ अपूर्वानुमानित प्रकृति के व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। वर्ष 2015 में बिहार आकस्मिकता निधि का काय $\text{₹ } 350$ करोड़ है। हालाँकि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधीन 1 अप्रैल 2015 से 30 मार्च 2016 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार ने काय को अस्थाई रूप से बढ़ाकर $\text{₹ } 350$ करोड़ से $\text{₹ } 4,827.41$ करोड़ कर दिया जो कृषि इनपुट अनुदान, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व जिलों में आए तुफान और अन्य प्रक्षेत्रों के लिये था। इस प्रकार बढ़ाई गई राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पूनर्वास के उपायों के लिये किया जा सकेगा।

आकस्मिकता निधि से सम्बंधित स्वीकृति व्यय और क्षतिपूर्ति के दस्तावेजों के संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से $\text{₹ } 6,117.60$ करोड़ के 139 आहरण हुए जिसमें से $\text{₹ } 2,927.07$ करोड़ के 80 आहरण, कुल आहरण का 47.85 प्रतिशत (**परिशिष्ट 2.15**), नित्य व्यय हेतु थे जैसे राज्य प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में सहभागिता, आई0सी0डी0एस0 स्थापना व्यय के आन्तरिक समायोजन, अनुबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के संवृद्धि, योजना एवं विकास विभाग के आन्तरिक समायोजन, सर्व शिक्षा अभियान के राज्यांश, सरकार पंचायत भवन, केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति का अंश (प्रत्येक मामला $\text{₹ } 100$ करोड़ या अधिक), स्वास्थ्य पोषण के कार्यान्वन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास, राजीव गांधी कार्यक्रम सबला योजना के अन्तर्गत बालिकाओं का सुदृढ़ीकरण, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बालिकाओं के साईकिल (प्रत्येक मामले $\text{₹ } 50$ करोड़ या अधिक) इत्यादि। चूंकि, इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी अनियमित था एवं समुचित उपयोग नहीं किया गया।

मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है।

तथापि, वर्ष 2015–16 के सभी अग्रिमों को वापस कर दिया गया था तथा वर्ष के अंत तक स्थायी काय $\text{₹ } 350$ करोड़ पर बना रहा।

2.7 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

मार्च 2016 तक राज्य में कुल 73 कोषागार हैं। महालेखाकार (ले0एवं हक0) बिहार, पटना ने वर्ष 2015–16 के दौरान 25 कोषागारों का निरीक्षण किया। कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पायी गयी कुछ अनियमितताएँ एवं त्रुटियों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में निर्दिष्ट की गयी हैं:

2.7.1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आधिक्य भुगतान

वर्ष 2015–16 में कोषागारों के निरीक्षण से प्रदर्शित हुआ कि पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के मद में एक करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया (**परिशिष्ट 2.16**) जो कि बैंकों द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण का त्रुटिपूर्ण नियतिकरण, पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में निर्दिष्ट अनुदेशों के बैंकों द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण पारिवारिक पेंशन के

समेकित पेंशन के स्थान पर उच्च दर पर नियत तिथि से आगे तक भुगतान, सारांशीकृत मूल्य के न्यूनीकृत पेंशन का विलम्ब से आरम्भ एवं अन्य विविध कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ।

2.7.2 भुगतान के पक्ष में वाउचरों को समर्पित नहीं किया जाना

बी0टी0सी0, 2011 के नियम 25 एवं 26 के बिहार कोषागार संहिता अनुसार कोषागार पदाधिकारी से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण कर अपना समाधान कर लेंगे की महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा के साथ भुगतान सूची और रोकड़ लेखा में सभी वाउचरों/चालानों और संबंधित अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन बुनियादी रूप से कोषागार से प्राप्त वाउचरों एवं चालानों पर आधारित होता है।

वर्ष 2015–16 में 73 कोषागारों से 15502 मर्दों के ₹ 1,980.02 करोड़ के वाउचर प्राप्त नहीं हुए जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है, जिसमें से ₹ 1,165.31 करोड़ (58.85 प्रतिशत) के 634 वाउचर तीन कोषागारों (पटना विकास भवन, पटना निर्माण भवन और पटना सिंचाई भवन) से संबंधित थे।

कोषागारों के मासिक लेखाओं के साथ वाउचर को समर्पित नहीं किया जाना, वित्त और विनियोग लेखे के बनाने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है।

2.7.3 वांछित वाउचर और अनुसूचियों की पंजी

महालेखाकार को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा के साथ संलग्न होने वाले संबद्ध अनुसूचियों के साथ सहायक वाउचरों/चालानों के निरानी के उद्देश्य से एक वांछित वाउचरों/चालानों की पंजी, प्रत्येक कोषागार में संधारित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान निरीक्षित 25 कोषागारों में से 18² कोषागारों में इस पंजी को संधारित नहीं किया गया।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" तथा अनुदान संख्या 39—"आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितम्बर 2016)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8 अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" की समीक्षा

कृषि विभाग राज्य में कृषि तथा कृषिगत क्रियाकलापों के विकास के लिए मुख्य संस्था है। कृषि विभाग अपने निदेशालय तथा कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी मार्गदर्शक के साथ तकनीकी उन्नति के लाभों तथा शोध निष्कर्षों का कृषि संबंधी क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस अनुदान के अंतर्गत छ: मुख्यशीर्ष (2401, 2402, 2415, 2435, 3475 एवं 4401) प्रचालित थे।

बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत आधिक्य एवं माँग के विस्तार तथा पूरक माँग के आधार पर अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितम्बर 2016)।

² औरंगाबाद, बेनीपुर, बाँका, बगहा, दानापुर, दलसिंहसराय, फारविसगंज, हिलसा, जहानाबाद, किशनगंज, कटिहार, लालगंज, लखीसराय, मसौंदी, नवादा, सितामढ़ी, शिवहर और शेरधाटी।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

तालिका 2.6: वर्ष 2015–16 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	2,414.82	980.13	3,394.95	1,742.85	1,652.10	48.66
पूँजीगत दत्तमत	418.42	55.78	474.20	23.39	450.81	95.07
योग	2,833.24	1,035.91	3,869.15	1,766.24	2,102.91	54.35

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8.1 वृहत् बचत

राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,394.95 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,742.85 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 1,652.10 करोड़ (कुल प्रावधान का 48.66 प्रतिशत) की बचत हुई तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 474.20 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 23.39 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत 95.07 प्रतिशत बचत हुआ जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम आयल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन इत्यादि के लिए था। ₹ 1,766.24 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2015–16 के कुल प्रावधान ₹ 3,869.15 करोड़ का केवल 45.65 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 2,102.91 करोड़ (54.35 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016) बजट पदाधिकारी (ब०प०), कृषि विभाग ने बताया कि वृहत् बचत, योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्द्यय में कटौती, भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होना तथा किशनगंज कृषि महाविद्यालय के कार्य में धीमी प्रगति के कारण थी।

जवाब इस तथ्य को इंगित करता है कि विभाग द्वारा निधि के प्रावधान का उचित प्राक्कलन करने में चूक हुई।

2.8.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बि०ब०५०, 2016 के नियम 109 (बि०ब०५०, 1963 के नियम 117), पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए हो, इसे पहले वित्त विभाग से सम्पर्क करना चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि ₹ 159.75 करोड़ की राशि का प्रावधान पूरक प्रावधानों के जरिये मुख्य शीर्षों 2401, 2402, 2415, 2435, 3475 तथा 4401 के अन्तर्गत किया गया जबकि ₹ 822.05 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरुद्ध सिर्फ ₹ 479.60 करोड़ रूपये व्यय किए गए जैसा कि परिशिष्ट 2.18 में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान उपरोक्त छ: मुख्य शीर्षों के 29 उपशीर्षों में प्राप्त कुल ₹ 159.75 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (सितम्बर 2016), ब०प०, कृषि विभाग ने बताया कि पूरक अनुदान, विषयवार आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया गया था।

तथापि, जवाब, मूल प्रावधान के अन्तर्गत राशि उपलब्ध रहने के बावजूद पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान किए जाने पर मौन है।

2.8.3 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिंबोहो, 2016 के नियम 97 (बिंबोहो, 1963 के नियम 37) पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का, सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से दुसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि विस्तृत शीर्ष “2401—00—102—0301, 2401—00—119—0001, 2401—00—789—0323, 2401—00—796—0359, 2402—00—102—0004 तथा 3451—00—090—0007” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदत्त ₹ 24.97 करोड़ की अतिरिक्त निधि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम था। जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	कुल (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2401—फसल कृषि कर्म—00—102—खाद्यानों की फसलें—0301—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	53.43	20.36	73.79	25.50
2	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0001—उद्यान विकास योजना	15.82	0.07	15.89	11.36
3	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0323—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.32	3.90	14.22	2.91
4	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जन जातीय क्षेत्र उप—योजना—0359—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.65	0.24	0.89	0.14
5	2402—मृदा एवं जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0004—क्षेत्रीय स्थापना	4.09	0.25	4.34	4.05
6	3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—00—090—सचिवालय—0007—कृषि विभाग	3.37	0.15	3.52	3.27
योग		87.68	24.97	112.65	47.23

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (सितम्बर 2016), बोपो, कृषि विभाग ने बताया कि विषय—वार आवश्यकता के आधार पर पुनर्विनियोजन किया गया।

तथापि, मूल प्रावधान के अंतर्गत बचत रहने के बावजूद पुनर्विनियोजन के कारणों का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.8.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिंबोहो, 2016 के नियम 104 (बिंबोहो, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या समक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

₹ 3,230.87 करोड़ (92 मामलों में) के कुल प्रावधान में से ₹ 1,078.47 करोड़ (33.38 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये जैसा कि परिशिष्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), ब0प0, कृषि विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ, इसके उपरान्त इसे मुख्यालय स्तर पर संकलित किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किया गया।

2.8.5 निधि के अनुपयोग के कारण शत-प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2015–16 के दौरान मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण से संबंधित अभिलेखों की संखीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 17 उपशीर्षों का ₹ 469.98 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.20 में दर्शाया गया है।

शत-प्रतिशत अभ्यर्पित राशि में से, चार मामलों (क्र0सं0 3,11,12 तथा 15) में 78.91 प्रतिशत (₹ 370.85 करोड़), ऐग्री बिजिनेस इन्क्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), ब0प0, कृषि विभाग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि विमुक्त न किये जाने के कारण निधि की स्वीकृति नहीं की जा सकी तथा राज्य योजनान्तर्गत ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान एवं वाह्य संपोषित परियोजना की स्वीकृति नहीं हो सकी।

2.9 अनुदान संख्या-39 “आपदा प्रबंधन विभाग” की समीक्षा

आपदा प्रबंधन विभाग राज्य में राहत संचालन के प्रबंधन हेतु मुख्य संस्था है। इस अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यतः पाँच शीर्ष (2070, 2235, 2245, 2251 और 4250) संचालित थे।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण से संबंधित समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत आधिक्य और माँग के विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 39—“आपदा प्रबंधन विभाग” के संबंध में की गयी (अगस्त और सितंबर 2016)।

तालिका 2.8: वर्ष 2015–16 के दौरान सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	कुल व्यय	बचत	बचत में प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	557.02	2,244.28	2,801.30	394.55	2,406.75	85.92
पूंजीगत दत्तमत	0.40	0.00	0.40	0.11	0.29	72.50
योग	557.42	2,244.28	2,801.70	394.66	2,407.04	85.91

(स्रोत: विनियोग लेखा, वर्ष 2015–16)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:—

2.9.1 वृहत् बचत

वर्ष 2015–16 के अभिलेखों के जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष के दौरान राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,801.30 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 394.55 करोड़ का व्यय और पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 0.40 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.11 करोड़ का व्यय हुआ। ₹ 394.66 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2015–16 के कुल प्रावधान ₹ 2,801.70 करोड़ का केवल 14.09 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 2,407.04 करोड़ (85.91 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.2 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिंब०ह०, 2016, के नियम 97 (बिंब०ह०, 1963 के नियम 37) पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक की अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से अन्य ईकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

वर्ष 2015–16 के पुनर्विनियोजन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पुनर्विनियोजन के जरिए प्रदत्त ₹ 39.04 करोड़ का प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय (₹ 55.14 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 315.28 करोड़) से कम था जैसा कि परिशिष्ट 2.21 में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.3 (i) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिंब०ह०, 2016 के नियम 104 (बिंब०ह०, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो, उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

₹ 43.09 करोड़ (10 मामलों में) के कुल प्रावधान में से ₹ 12.19 करोड़ (28.29 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिन किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में दर्शाया गया है। अभ्यर्पित राशि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, प्रशासनिक सेवाओं, सचिवालय सामाजिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के उपायों से संबंधित योजनाओं से संबद्ध थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.3 (ii) वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्पित राशि

आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिवस तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ₹ 468.65 करोड़ की राशि के अभ्यर्पण का प्रस्ताव दिया। परन्तु उपर्युक्त अभ्यर्पण को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया जिस कारण बचत की राशि व्यपगत हो गई एवंम् सरकार निधि को अन्य जरूरतमंद शीर्षों में पुनर्विनियोजन से वंचित रह गयी जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.9: वित्त विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गयी व्यपगत/अभ्यर्पित राशि
(₹ करोड़ में)**

शीर्ष	पत्र सं० जिसके द्वारा अभ्यर्पण प्रस्तावित था	तिथि	अभ्यर्पण की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1789	03/05/2016	15.16
2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01- सूखा और उनका राहत 02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि 06- भूकम्प	1395	31/03/2016	445.81
2235-01-200-0004- मूदा अपवर्द्धन के कारण विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायक अनुदान	1388	31/03/2016	7.68
योग			468.65

(स्रोत: आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.4 अनुपयोगिता प्रावधान

2015–16 की अवधि के लिए किए गए मूल प्रावधानों, पूरक प्रावधानों तथा बचतों से संबंधित अभिलेखों की संवेदना से यह प्रकट हुआ कि 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' से संबंधित 33 उपशीर्षों में कुल ₹ 80.46 करोड़ रूपये का प्रावधान पूर्णरूपेण अव्ययित रह गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में दर्शाया गया है।

यह दर्शाता है कि विभाग आपदा के लिए प्रावधान की आवश्यकता को अभिगम करने में असफल रहा तथा यह पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.5 विभागीय व्यय ऑकड़ों का समाशोधन नहीं होना

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखाओं में दिये गये ऑकड़ों को महालेखाकार (ले० एवं हक०) की पंजी के ऑकड़ों से मिलान के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होते हैं जब तक की किसी मामले में इसके विपरीत में कोई विशेष नियम या आदेश न हो। इसके अतिरिक्त बि०ब०ह०, 2016 नियम, 96 (बि०ब०ह०, 1963 के नियम 134) के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक ऑकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक / त्रैमासिक ऑकड़ों का समाशोधन महालेखाकार के लेखों के साथ कर लें। महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, द्वारा समाशोधन की अंतिम तिथि 24 जून 2016 निर्धारित की गयी थी।

तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया, जिसके कारण पाँच मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 871.67 करोड़ रूपये की राशि के व्यय में अन्तर था जैसा कि **परिशिष्ट 2.24** में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध वृहत् बचत ₹ 35,013.80 करोड़ (23.61 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 50 करोड़ और अधिक के सतत् बचत 10 विभागों में सूचित हुई।

सरकारी विभागों में बजटीय नियत्रण तंत्र को वृहत् बचत से बचने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए विशेषतः जहाँ बचत सतत् रूप से हो और पूरक अनुदानों के अभिग्रहण से बचा जा सके जो अव्यवहृत रह जाए।

निधि का अभ्यर्पण

- ₹ 35,013.80 करोड़ के कुल बचत में से केवल ₹ 24,455.96 करोड़ (69.85 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2016) को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़) था, जो कुल अभ्यर्पित राशि का 65.07 प्रतिशत था। यह भी पाया गया कि 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत–प्रतिशत निधियों (कुल ₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया।

सरकार को उचित कारणों को उल्लेखित करते हुए निधि का अभ्यर्पण सम्मय करना चाहिए ताकि निधि का उपयोग अन्य शीर्षों में किया जा सके।

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष के दौरान प्रावधानित राशि से आधिक व्यय की गई राशि ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत नियमितिकरण कराना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 1,065.07 करोड़ का नियमितिकरण कराना बाकी था।

पूर्ववर्ती वर्षों के आधिक्य व्यय के नियमितिकरण के लिए सरकार को समुचित कारबाई करना चाहिए।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2015–16 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के पुस्त के साथ 76 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया। कुल 21116 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी०डी०ओ०) में से 3317 (16 प्रतिशत) डी०डी०ओ० ने ही अपने लेखाओं का समाशोधन मार्च 2016 तक किया था।

नियंत्री पदाधिकारियों को अपने व्ययित आँकड़ों को प्रत्येक माह महालेखाकार (ले० एवं हक०) के पुस्त के साथ मिलान करना चाहिए।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 6,117.60 करोड़ के 139 आहरण हुए थे। जिसमें से ₹ 2,927.07 करोड़ (47.85 प्रतिशत) के 80 आहरण नित्य व्यय के प्रयोजन हेतु थे। इसमें ₹ 897.07 करोड़ (16 आहरण), शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षकों के वेतन इत्यादि पर व्यय, ₹ 640 करोड़ (3 आहरण) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति के राज्यांश इत्यादि के लिए और ₹ 600.88 करोड़ (8 आहरण) सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा स्थापना व्यय, शामिल था।

सिर्फ अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय के निर्वहन के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया जाना चाहिए।

कृषि तथा आपदा प्रबंधन विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी

- मूल प्रावधान में वृहद बचत (कृषि विभाग में 54.25 प्रतिशत और आपदा प्रबंधन विभाग में 85.91 प्रतिशत) के बावजूद अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन के जरिए विभागों द्वारा निधियों का प्रबंधन किया गया। फिर भी विभागों द्वारा बचतों को ससमय अभ्यर्पित नहीं किया गया।

कृषि और आपदा प्रबंधन विभागों द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन विभाग के बजट अनुश्रवण प्रणाली को अपनाकर करना चाहिए।

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान मद एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान या संबंधित व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति में किया गया भुगतान है। सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों निकायों तथा संस्थानों को दिया जाता है। इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थानों तथा अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को भी सहायक अनुदान संवितरित किया जाता है। अतएव विमुक्त किया गया अनुदान इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दैनिक संचालन व्ययों तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय है, बिहार कोषागार संहिता, 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए।

वित्त विभाग के कार्यकारी आदेश दिनांक 16 जनवरी 1975 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्थीकृति की तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी जिसे वित्त विभाग के कार्यकारी आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

31 मार्च 2016 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति को तालिका 3.1 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष ^(*)	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	1,436	15,903.71
2014-15	323	7,809.29
2015-16	126	5,686.87
योग	1,885	29,399.87

* ऊपर अंकित वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण से 18 महीने के बाद)
(चोत: वर्ष 2015-16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अध्याय III—वित्तीय प्रतिवेदन

उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित आँकड़ों की संवीक्षा के दौरान यह प्रदर्शित हुआ कि मार्च 2016 के अंत तक ₹ 29,399.87 करोड़ के 1885 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि ₹ 29,399.87 करोड़ का 86 प्रतिशत (राशिनुसार) मुख्यतः 5 विभागों, शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ के 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 32 प्रतिशत), पंचायती राज विभाग (₹ 7,417.19 करोड़ के 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 25 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ के 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 14 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (₹ 2,326.79 करोड़ के 94 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 8 प्रतिशत) है तथा ग्रामीण विकास विभाग (₹ 2,130.95 करोड़ की 35 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 7 प्रतिशत) से संबंधित था। विभागानुसार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विश्लेषित विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि, अपेक्षित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता इंगित करती है।

3.1.2 पंचायती राज विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान संख्या—16 “पंचायती राज विभाग” के 2010–15 के अवधि की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का नमूना जाँच, माह अगस्त से अक्टूबर 2016 तक किया गया। पंचायती राज विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 30 जून 2016 तक की वर्षवार स्थिति **तालिका 3.2** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.2: 30 जून 2016 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	सहायक अनुदान के वार्षिक संवितरण का वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
1	पंचायती राज विभाग	2003-04 से 2009-10	60	1,768.13
2		2010-11	32	400.04
3		2011-12	27	465.57
4		2012-13	55	1,112.56
5		2013-14	38	2,091.35
6		2014-15 (30/11/14 तक)	23	1,141.93
योग			235	6,979.58

(चेत: कार्यालय महालेखाकार (लै० एवं हक०) द्वारा संकलित आँकड़े)

पंचायती राज विभाग के उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित आँकड़ों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि इस विभाग में जून 2016 के अंत तक ₹ 6,979.58 करोड़ के 235 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था जिसमें ₹ 1,768.13 करोड़ के 60 उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2003–04 से 2009–10 की अवधि के थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या की वर्षवार प्रवृत्ति में वर्ष 2012–13 (55 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से वर्ष 2014–15 (23 उपयोगिता प्रमाण पत्र) तक गिरावट दर्ज की गयी। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नयी स्वीकृति, समायोजन तथा लंबित राशि की 30 जून 2016 तक की स्थिति **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: 30 जून 2016 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उपयोगिता प्रमाण पत्र की लंबित राशि (24/09/2013 तक)	नई स्वीकृतादेश की प्राप्ति दिनांक 25/09/2013 से 30/06/2016 तक	कुल लंबित राशि	कुल समायोजन	लंबित शेष
1	पंचायती राज विभाग	4,231.62	9,479.35	13,710.97	6,731.39	6,979.58

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा संकलित आँकड़े)

₹ 4,231.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के बाबजूद सितम्बर 2013 से जून 2016 तक ₹ 9,479.35 करोड़ की नई स्वीकृति का आदेश जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि ₹ 13,710.97 करोड़ हो गई। इनमें से ₹ 6,731.39 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन इसी अवधि में हुआ तथा शेष ₹ 6,979.58 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जून 2016 तक लंबित रहा।

निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदानों की ससमय उपयोगिता को सुनिश्चित करने में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों तथा कार्यविधियों के अनुपालन की असफलता को इंगित करता है।

इसे इंगित करने पर, सरकार द्वारा बतलाया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

3.2 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीना में सार विपत्र आहरित की गयी हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र अभिश्रव सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०) को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत न किया जाए। विस्तृत आकस्मिक विपत्र की विलंब प्रस्तुति अथवा दीर्घकालीन प्रस्तुति सार विपत्र के व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार व्यौरा नीचे तालिका 3.4 में दी गयी है:

तालिका 3.4: सार आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित सार आकस्मिक विपत्र		वर्ष के दौरान प्रस्तुत विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि
2012-13 तक	94,017	31,946.11	79,870	29,756.09	14,147	2,190.02
2013-14	1,294	728.61	436	118.81	858	609.80
2014-15	2,097	2,040.06	525	410.63	1,572	1,629.43
2015-16	3,926	8,273.13	146	628.07	3,780	7,645.06
योग	1,01,334	42,987.91	80,977	30,913.60	20,357	12,074.31

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) से प्रदत्त सूचना एवं वित्त लेखा 2015-16)

अध्याय III—वित्तीय प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका 3.4 दर्शाता है कि 3926 सार आकस्मिक विपत्रों से ₹ 8,273.14 करोड़ राशि की निकासी वर्ष 2015–16 में की गयी। इसमें से ₹ 3,029.81 करोड़ (36.62 प्रतिशत) के सार आकस्मिक विपत्र केवल मार्च 2016 में आहरित किये गये तथा ₹ 93.13 करोड़ की राशि का आहरण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया। मार्च में सार आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध बहुत व्ययों से पता चलता है कि निकासी का उद्देश्य मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करना था जो कि अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

वर्ष 2015–16 में आहरित ₹ 8,273.14 करोड़ के 3926 सार आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 628.07 करोड़ के 146 सार आकस्मिक विपत्रों का ही समायोजन किया गया। इस प्रकार, ₹ 7,645.07 करोड़ का 3780 सार आकस्मिक विपत्र वर्ष 2015–16 में लंबित था। लंबित सार आकस्मिक विपत्र मुख्यतः, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 4,262.81 करोड़), सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 2,354.59 करोड़), निर्वाचन (₹ 236.55 करोड़) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 100 करोड़) से संबंधित थे।

पिछले सार आकस्मिक विपत्र से किये गये निकासी का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किये बिना सार आकस्मिक विपत्र से निकासी नियम का उल्लंघन है।

3.3 निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों का विवरण

संस्थाओं/संगठनों, जिनका लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 तथा 15 के अंतर्गत किया जाना है, को चिह्नित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दिए गए वित्तीय सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा कुल व्यय की विस्तृत सूचना देना होता है। पुनः, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 उपबंधित करता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्षों, जो कि निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक वैसे निकायों तथा प्राधिकरणों, जिनको अनुदान और/या ऋण कुल ₹ 10 लाख या अधिक का पिछले वर्ष भुगतान किया गया है, के बारे में एक विवरणी जो सहायता का रकम, स्वीकृत सहायता का उद्देश्य और निकाय या प्राधिकरण का कुल खर्च दर्शाता हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

बिहार सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2015–16 का ऐसा ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया। यह मुद्दा वित्त विभाग के समक्ष मई 2016 में उठाया गया था। सितंबर 2016 तक जवाब प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में 42 निकायों/प्राधिकरणों को चिह्नित किया गया है जिनका लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 के अंतर्गत किया जा सकता है तथा इनका लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों (मार्च 2006 से मार्च 2016) के लिए जुलाई 2016 तक किया गया है जैसा की परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

सरकार द्वारा निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए वित्तीय सहायता, सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा इस तरह के निकायों/प्राधिकरणों द्वारा किए गए कुल व्यय के ब्योरे के प्रस्तुतीकरण में विफलता के कारण, विधायिका/सरकार को आश्वासन देना संभव नहीं था जिन तरीकों से उनके द्वारा किए गए भुगतान/अनुदानों की संस्वीकृति का उपयोग किया गया है। यह सरकारी व्यय प्रणाली के ऊपर नियंत्रण को कमज़ोर करता है।

3.4 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तों—प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (2009–10 तक), राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (वर्ष 2012–13 से), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (वर्ष 2010–11 से), बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना (2013–14 तक) तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना (2015–16 तक) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

3.5 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका 3.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.5: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	235.47	0.00	245.63	0.00	270.29	0.00
निवल	(नामे) 235.47		(नामे) 245.63		(नामे) 270.29	
8658–102—उचंत लेखा (सिविल)	1,778.62	258.09	3,423.16	282.10	3,980.75	290.43
निवल	(नामे) 1,520.53		(नामे) 3,141.06		(नामे) 3,690.32	
8658–110—रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,225.14	894.60	1,235.26	894.60	1,242.12	894.60
निवल	(नामे) 330.54		(नामे) 340.66		(नामे) 347.52	
8782–102—लोक निर्माण प्रेषण	12,047.47	12,187.96	11,913.94	11,994.34	1,09,773.31	1,09,574.26
निवल	(जमा) 140.49		(जमा) 80.40		(नामे) 199.05	
8782–103—वन प्रेषण	208.11	185.49	248.82	227.19	2,214.48	2,035.28
निवल	(नामे) 22.62		(नामे) 21.63		(नामे) 179.20	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में 101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 24.66 करोड़ (नामे), 102—उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 549.26 करोड़ (नामे),

अध्याय III—वित्तीय प्रतिवेदन

103— वन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 157.57 करोड़ (नामे) तथा 110—रिजर्व बैंक उचंत—केंद्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 6.86 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई।

यदि ये राशियाँ असमाशोधित रह जाती हैं तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.6 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से अग्रिम व्यय की संभवना में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन को व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि ₹ 191.23 करोड़ का अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय आठ संबंधित विभागों/संगठनों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2016 तक आहरित किया गया। 31 मार्च 2016 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण

क्रम सं०	विभाग का नाम	(₹ करोड़ में)		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.75	2.70	8.45
2	सिंचाई	27.41	6.41	33.82
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.54	0.39	8.93
5	पथ निर्माण	67.50	0.57	68.07
6	ग्रामीण कार्य	7.39	7.48	14.87
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एल०ए०ई०ओ०)	43.43	9.75	53.18
8	नलकूप तथा लघु सिंचाई	2.08	0.96	3.04
योग				191.23

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.7 प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) प्रावधानित करता है कि विभागाध्यक्षों द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ों तथा महालेखाकार (ले० एवं हक०) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार संयुक्त रूप

से जिम्मेवार होंगे। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी छूक 2015–16 के दौरान भी जारी रही। केवल ₹ 56,809.23 करोड़ की राशि (कुल ₹ 1,07,581.96 करोड़ के राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 52.81 प्रतिशत) एवं ₹ 77,789.31 करोड़ (₹ 96,123.10 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्ति का 80.93 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ। कुल 21,116 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी०डी०ओ०) में सिर्फ 3,317 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (15.71 प्रतिशत) ने ही 31 मार्च 2016 तक अपने लेखाओं का समाशोधन किया।

3.8 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष, राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, व्यय भाग के 14 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों के अंतर्गत कुल ₹ 93.62 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष ‘800 – अन्य व्यय’ के अंतर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष के नीचे वर्गीकृत किया गया जो कि कुल व्यय (राजस्व व्यय— ₹ 83,616 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय— ₹ 23,966 करोड़ = ₹ 1,07,582 करोड़) का 0.09 प्रतिशत था। इसी तरह, प्राप्तियों भाग के 44 राजस्व मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 940.20 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर), लघु शीर्ष—‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष के नीचे वर्गीकृत की गयी जो कि कुल राजस्व प्राप्ति का 0.98 प्रतिशत था। लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ एवं लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय एवं प्राप्तियों के बड़े अनुपात में आने वाले उदाहरणों (संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन 10 प्रतिशत से अधिक) को क्रमशः **परिशिष्ट 3.4** एवं **3.5** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष “800” – अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत एक बड़ी राशि, वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को प्रतिबिंबित करता है।

3.9 व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का स्थानांतरण

व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाते का उपयोग समेकित निधि से इन खातों में निधि रथानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या दूर-दूर तक बिखरी हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो। पी०डी० के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा तीन लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी) तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती कर समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

तलिका 3.7: व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
170	3,472.44	01	0.00	0	0.00	171	4,126.37

(धोत: वर्ष 2015–16 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष के दौरान 41 जमा खातों में ₹ 2,388.69 करोड़ की राशि जमा किया गया तथा 49 जमा खातों से ₹ 1,734.76 करोड़ की राशि नामे किए गए जिससे ₹ 4,126.37 करोड़ की राशि 171 जमा खातों में शेष रहा जिनमें 57 खाते अपरिचालित हैं। वर्ष के दौरान कोई भी पी0डी0 लेखा बंद नहीं किया गया।

वैसे 73 कोषागार जिनके द्वारा पी0डी0 खातों के संबंध में सूचना दी गई है, में से 54 कोषागारों में ही पी0डी0 लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 19 कोषागारों¹ द्वारा यह सूचित किया गया कि उनके यहाँ कोई भी पी0डी0 खाता नहीं है। विगत तीन वर्षों में 12 कोषागारों के 14 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 717.23 करोड़ की राशि अव्ययित रहा (**परिशिष्ट 3.6**)। वर्ष के दौरान, संचित निधि के अव्ययित शेष के प्रतिदाय का व्यौरा किसी भी पी0डी0 लेखा के कोषागार/प्रशासक द्वारा नहीं दिया गया।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों के विरुद्ध आहरित ₹ 29,399.87 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2016 तक लंबित था। इसमें से, मुख्यतः तीन विभागों, शिक्षा विभाग (₹ 9,282.33 करोड़ की 416 उपयोगिता प्रमाण पत्र), पंचायती राज विभाग (₹ 7,414.19 करोड़ की 232 उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं शहरी विकास विभाग (₹ 4,074.32 करोड़ की 555 उपयोगिता प्रमाण पत्र) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुति के लिए लंबित था।

राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के विलम्ब से प्रस्तुति के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 12,074.32 करोड़ की अहम् राशि मार्च 2016 तक लंबित थे। इसमें तीन वर्षों से अधिक लंबित ₹ 2,190.02 करोड़ की 14147 विपत्र सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

बहुप्रयोजित लघु शीर्ष “800” का संचालन

- वित्तीय प्रतिवेदन में बहुप्रयोजित लघु शीर्ष “800—अन्य व्यय/प्राप्तियाँ” के अंतर्गत वर्गीकृत ₹ 1,033.82 करोड़ के राशि की व्यय एवं प्राप्तियाँ अपारदर्शिता को दर्शाता है। यह अनुशंसा की जाती है जो प्राप्तियाँ/व्यय उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षों में वर्गीकृत नहीं की जा सकती, उनको लघु शीर्ष “800—अन्य व्यय/प्राप्तियाँ” के अंतर्गत निर्धारित/आरक्षित किया जा सकता है।

¹ बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिंह सराय डेहरी—ऑन—सोन, हिलसा, लालगंज, महाआ, मसौढ़ी, मोकामा, नौगछिया, पूपरी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुरपटोरी, सिकहरना, टेकारी, त्रिवेणीगंज।

व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाते में निधि का स्थानांनतरण

➤ विभिन्न राज्य सरकार कार्यालयों के व्यक्तिगत जमा खातों में मार्च 2016 तक ₹ 4,126.37 करोड़ की राशि अव्ययित रहा। व्यक्तिगत जमा से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित शेष राशि संचित निधि में वापस जमा नहीं किया गया।

व्यक्तिगत जमा खाते के कोषागार/प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अव्ययित शेष संचित निधि में ससमय स्थानांतरित हो जाए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

➤ आठ विभागों/संगठनों द्वारा मार्च 2016 तक आहरित ₹ 191.23 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन वर्ष के अंत तक सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

पटना

दिनांक:

(धर्मेंद्र कुमार)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कंडिका 1; पृष्ठ 1)
राज्य का परिचय

अ.		सामान्य आँकड़े		
क्रम सं.		विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल			94163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
3	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार			8.30 करोड़ 10.38 करोड़
4	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) ब जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
5	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 29.50 प्रतिशत)			41.30 प्रतिशत
6	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.80 प्रतिशत) ब साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)			47.00 प्रतिशत 61.80 प्रतिशत
7	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 39 प्रति 1000 जन्म पर)			42
8	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 67.50 वर्ष)			67.20 वर्ष
9	गिन्नी गुणांक ¹			
10	अ ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.29) ब शहरी (संपूर्ण भारत = 0.38)			0.23 0.33
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2015-16 के वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)			413503
12	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2006-07 से 2015-16)			15.42
		बिहार		14.27
		सामान्य कोटि के राज्य		16.99
		सामान्य कोटि के राज्य		15.75
		बिहार		12.89
		सामान्य कोटि के राज्य		12.24
ब.		वित्तीय आँकड़े		
क्रम सं.		विवरण	सी.ए.जी.आर. (आँकड़े प्रतिशत में)	
1			2006-07 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.74	16.52	15.00
ख	अपने कर राजस्व का	15.08	22.72	13.28
ग	गैर कर राजस्व का	10.20	14.94	6.00
घ	कुल व्यय का	16.71	16.90	16.42
ड	पूँजीगत व्यय का	13.21	16.88	25.80
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.08	15.18	12.17
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.70	16.69	13.44
ज	वेतन एवं मजदूरी का	15.49	11.73	9.95
झ	पेंशन का	18.59	20.83	11.79
				4.28

स्रोत: (भारत और बिहार की जनगणना, आधिक सर्वेक्षण 2015-2016, भारत की जनगणना द्वारा 2001-2026 के लिए जनसंख्या का अनुमान, 16 सामान्य कोटि के राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर आकलित सी.ए.जी.आर., बिहार सरकार के वित्त लेखे पर आधारित वित्तीय आँकड़े)

¹ यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

² जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

³ सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक विकास दर।

परिशिष्ट—1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

भाग—कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” कहा जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं हैं, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग खः वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।	
भाग I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र तेरह सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। ‘अन्य दायित्वों’ में ‘लघु बचत, भविष्य निधि आदि, ‘आरक्षित निधि तथा ‘जमा’ सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे— सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण : यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार : यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं— भाग— I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में तेरह परिशिष्टें।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग—अलग दर्शाएं जाते हैं।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर—योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।

परिशिष्ट

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को समिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पाश्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पाश्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिशिष्ट—1.3 भाग—क

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावना:—राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के इक्सठरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थे:—

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित को नियमित करें ।
2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—2 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप—धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप—धारा (ड) जोड़ी जायेगी:
(ड) “ऋण” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा व्याज पर ली गई उधार की राशि ।
3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—3 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :
(अ) “राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा ” ।
4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(ब) “वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा” ।
5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—9 की उप—धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :
(स) “ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी” ।

परिशिष्ट 1.3 भाग—ख

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (**परिशिष्ट 1.2 का भाग ख**) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	247144	282368	317101	373920	413503
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर		14.25	12.30	17.92	10.50

(धोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, विहार सरकार)

कुछ चुने हुए शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं:

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व अधिशेष	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटार्वे मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट—1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 एवं 1.6.2; पृष्ठ 2 एवं 18)
वर्ष 2015–16 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2014-15		2015-16		2014-15		2015-16	गैर योजना	योजना	योग	
	खण्ड: अ राजस्व									
78417.54	I	राजस्व प्राप्तियाँ		96123.10	72569.98	I	राजस्व व्यय	53965.28	29650.66	83615.94
20750.23		कर राजस्व	25449.18		26408.18		सामान्य सेवाएँ	27824.35	147.95	27972.30
1557.98		करेतर राजस्व	2185.64		31712.71		सामाजिक सेवाएँ	13386.74	22556.30	35943.04
36963.07		संघीय करों का राज्यांश	48922.68		16267.17		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	9016.60	9588.72	18605.32
3271.21		गैर योजना अनुदान	3434.43		3288.20		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2309.65	1170.92	3480.57
14935.68		राज्य योजना हेतु अनुदान	13886.33		3639.47		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1161.49	2532.85	3694.34
939.37		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2244.84		115.38		सूचना एवं प्रसारण	105.06	35.84	140.90
				2304.50			अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	176.73	3878.91	4055.64
				118.72			श्रम एवं श्रम कल्याण	97.36	76.69	174.05
				5927.24			समाज कल्याण एवं पोषाहार	463.52	5275.60	5739.12
				52.03			अन्य	56.33	(-3).23	53.10
				14445.05			आर्थिक सेवाएँ	12749.98	6946.41	19696.39
				3430.80			कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	858.06	2656.94	3515.00
				4069.53			ग्रामीण विकास	2874.26	2047.23	4921.49
				0.00			विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
				1019.98			सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	1007.04	144.34	1151.38
				3772.95			ऊर्जा	6091.41	60.00	6151.41
				561.23			उद्योग एवं खनिज	63.09	1137.71	1200.80
				995.60			परिवहन	1629.21	83.12	1712.33

परिशिष्ट

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15			गैर योजना	योजना	योग
				0.00		विज्ञान, प्रावैदिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00
				594.96		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	226.92	817.07	1043.99
				4.04		सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.21	0.00	4.21
			96123.10	72569.98		कुल	53965.28	29650.66	83615.94
II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			5847.56	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			12507.16
78417.54	कुल		96123.10	78417.54		कुल			96123.10
	खण्ड ब अन्य								
6156.39	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		6337.11	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		18150.41	IV	पूँजीगत परिव्यय	36.27	23929.75	23966.02
				1748.69		सामान्य सेवाएँ	21.82	3595.21	3617.03
				1673.59		सामाजिक सेवाएँ	11.93	2728.55	2740.48
				263.45		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	549.82	549.82
				315.77		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	1090.75	1090.75
				902.94		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	11.94	811.58	823.52
				(-) 0.08		सूचना एवं प्रसारण	0.00	(-) 0.05	(-) 0.05
				(-) 20.63		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	(-)0.01	18.61	18.60
				30.20		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	101.00	101.00
				181.94		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	156.84	156.84
				14728.13		आर्थिक सेवाएँ	2.53	17605.98	17608.51

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15			गैर योजना	योजना	योग
			184.59		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप		0.00	604.93	604.93
			4647.84		ग्रामीण विकास		0.00	8012.63	8012.63
			0.00		विशेष क्षेत्रीय कायक्रम		0.00	0.00	0.00
			1423.95		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		2.80	1681.85	1684.65
			4175.10		ऊर्जा		0.00	2793.96	2793.96
			3.01		उद्योग एवं खनिज		0.00	29.34	29.34
			4198.05		परिवहन		(-0.48)	4417.81	4417.33
			95.59		सामान्य आर्थिक सेवाएँ		0.19	65.46	65.65
1493.06	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	18.50	368.71	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरित	469.43	151.80	621.23
		विद्युत परियोजनाओं से	3.65	244.16		विद्युत परियोजनाओं हेतु	99.08	41.70	140.78
		सरकारी सेवकों से	14.85	13.48		सरकारी सेवकों को	23.00	0.00	23.00
		अन्य से		111.07		अन्य से	347.35	110.10	457.45
5847.56	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए	12507.16		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
13917.53	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	18383.01	3608.95	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			4124.85
		बाहरी ऋण				बाहरी ऋण			
13199.28		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	17565.04	2975.37		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			3422.74
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन				अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन							
718.25		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	817.97	633.58		केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			702.11
शून्य		अंतर्राजीय समाशोधन	शून्य	शून्य		अंतर्राजीय समाशोधन			शून्य
1650.00	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		4477.41	1650.00	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		4477.41

परिशिष्ट

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15		2015-16	गैर योजना	योजना	योग
	IX	आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण			IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
40251.12	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		49105.88	39200.48	X	लोक लेखा संवितरण		45922.84
1103.76		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1203.48				लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1277.06	
1403.62		आरक्षित निधि	1760.84				आरक्षित निधि	1670.15	
550.65		उचंत एवं विविध	628.29				उचंत एवं विविध	1200.10	
12221.55		प्रेषण	10619.24				प्रेषण	10613.19	
24971.54		जमा एवं अग्रिम	34894.03				जमा एवं अग्रिम	31162.34	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			6337.11	XI	अंतिम रोकड़ शेष		11716.72
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
				(-) 89.06			रिजर्व बैंक के पास जमा	124.56	
				554.37			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	558.08	
				5871.80			रोकड़ शेष निवेश	11034.08	
69315.66		योग		186952.17	69315.66		योग		186952.17

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिशिष्ट—1.5

(संदर्भ: कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 4)

वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+) / घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	103189.06	96123.10	(-)7065.96	(-)6.85
अपने कर राजस्व	30875.00	25449.18	(-)5425.82	(-)17.57
करेतर राजस्व	3395.86	2185.64	(-)1210.22	(-)35.64
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	50747.58	48922.68	(-)1824.90	(-)3.60
भारत सरकार से सहायता अनुदान	18170.63	19565.60	1394.97	7.68
राजस्व व्यय	91208.11	83615.94	(-)7592.17	(-)8.32
सामान्य सेवाएँ	30258.64	27972.30	(-)2286.34	(-)7.56
राज्य का अंग	1332.86	1234.43	(-)98.43	(-)7.38
राजकोषीय सेवाएँ	1002.47	669.27	(-)333.20	(-)33.24
ब्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	7712.63	7589.55	(-)123.08	(-)1.60
प्रशासनिक सेवाएँ	7231.01	6628.69	(-)602.32	(-)8.33
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	12979.67	11850.36	(-)1129.31	(-)8.70
सामाजिक सेवाएँ	38084.12	35943.04	(-)2141.08	(-)5.62
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	21166.74	18605.32	(-)2561.42	(-)12.10
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3478.08	3480.57	2.49	0.07
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	4424.91	3694.34	(-)730.57	(-)16.51
सूचना और प्रसारण	200.04	140.90	(-)59.14	(-)29.56
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3432.91	4055.64	622.73	18.14
श्रम एवं श्रम कल्याण	230.37	174.05	(-)56.32	(-)24.45
समाज कल्याण और पोषाहार	5082.72	5739.12	656.40	12.91
अन्य	68.35	53.10	(-)15.25	(-)22.31
आर्थिक सेवाएँ	22860.81	19696.40	(-)3164.41	(-)13.84
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	3997.53	3515.00	(-)482.53	(-)12.07
ग्रामीण विकास	7779.07	4921.49	(-)2857.58	(-)36.73
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1525.43	1151.38	(-)374.05	(-)24.52
ऊर्जा	4291.47	6151.41	1859.94	43.34
उद्योग और खनिज	983.16	1200.80	217.64	22.14
परिवहन	2043.66	1712.33	(-)331.33	(-)16.21
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2240.49	1043.99	(-)1196.50	(-)53.40
सहायता अनुदान और अंशदान	4.54	4.21	(-)0.33	(-)7.27
पूँजीगत व्यय	29477.21	23966.02	(-)5511.19	(-)18.70
सामान्य सेवाएँ	4115.05	3617.03	(-)498.02	(-)12.10
सामाजिक सेवाएँ	4044.37	2740.48	(-)1303.89	(-)32.24
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1292.26	549.82	(-)742.44	(-)57.45
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1470.66	1090.75	(-)379.91	(-)25.83
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1118.68	823.52	(-)295.16	(-)26.38
सूचना और प्रसारण	0.00	(-)0.05	(-)0.05	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	26.51	18.60	(-)7.91	(-)29.84
समाज कल्याण और पोषाहार	136.26	101.00	(-)35.26	(-)25.88
अन्य	0.00	156.84	156.84	
आर्थिक सेवाएँ	16693.57	17608.51	914.94	5.48
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	564.67	604.93	40.26	7.13
ग्रामीण विकास	5933.80	8012.63	2078.83	35.03
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1647.41	1684.65	37.24	2.26
ऊर्जा	3575.43	2793.96	(-)781.47	(-)21.86
उद्योग और खनिज	29.95	29.34	(-)0.61	(-)2.04
परिवहन	4877.80	4417.33	(-)460.47	(-)9.44
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	64.51	65.65	1.14	1.77
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	11980.95	12507.16	526.21	4.39
राजकोषीय घाटा (-)	13584.46	12061.59	1522.87	11.21
प्राथमिक आधिक्य (+) / घाटा (-)	(-)6363.69	(-)4963	1400.69	22.01

(स्रोत: बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेख, वर्ष 2015–16)

परिशिष्ट—1.6
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 8)
राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधे हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अधिकरण	2014-15	2015-16
शैक्षणिक संस्थानों एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	वैशाली जन जागरण समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.01	0.00
ज्ञान अभिवृद्धि हेतु तकनीकी विकास तथा प्रसार (ए 2 के+)	उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.03	0.00
सीधे तथा अनुसंधान एवं विकास मिशन	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.02	0.02
	अनुग्रह नारायण महाविद्यालय, पटना (सार्विधिक निकाय)	0.00	0.12
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.56
	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (केन्द्र सरकार)	0.00	0.04
	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.07
	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रेरणा (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.04
	पटना विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.00	0.04
	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.00	0.04
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूर्णा बिहार (सार्विधिक निकाय)	0.00	0.07
	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.04
अभिलेखांगार तथा अभिलेखीय पुस्तकालय	खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.38	0.00
आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (आई०एच०एम०), खाद्य शिल्प संस्थान (एफ०सी०आई०एस०) इत्यादि को सहायता	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर, (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.28	0.00
सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	अल्पसंख्यक एवं हरिजन समाज कल्याण केन्द्र, पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.12	0.12
	एकता ग्राम सेवा संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.09	0.09
	जागरण { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.12	0.00
	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.08	0.08
	केदार पाण्डेय समाज कल्याण संघ { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.09	0.05
	ग्राम उत्थान केन्द्र { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.08	0.04
	पर्यावरण परामर्श विकास केन्द्र { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.05	0.09
	बिहार विकास परिषद { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.04	0.05
	अनिकेत सेवा (पंजीकृत समितियाँ)	0.00	0.11
	श्री नारायण समाज कल्याण केन्द्र (बिहार), { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.14
वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.03	0.03
	एकता ग्राम सेवा संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.02	0.01
वायुमंडलीय निरीक्षण प्रणाली नेटवर्क	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.16	0.00
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.04	0.00
जागरूकता उत्थान एवं प्रचार	विवेक विकलांग-सह-जन उत्थान संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.04	0.00
बाबा साहेब अम्बेदकर हस्तशिल्प विकास योजना	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.01	0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
जैव सूचना विज्ञान	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय) गांधीजी लीची अनुसंधान केन्द्र (केन्द्र सरकार)	0.16 0.00	0.17 0.03
सामाजिक उत्थान हेतु जैव तकनीकी	खडगधारी ग्रामीण विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.21 0.05 0.09	0.10 0.00 0.00
बौद्ध तथा तिब्बती अध्ययन	नव नालन्दा महाविहार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	17.61	0.00
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.79	0.48
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.13	0.25
तस्करी के विरुद्ध व्यापक योजना	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.07	0.00
दीन दयाल अशक्त पुनर्वास योजना एस०ज०ई०	ज्ञान सरोवर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} बाबा गरीबनाथ विकलांग-सह-जनसेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} बाबा बैद्यनाथ मूक बंधिर विद्यालय {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} बिहार विकलांग कल्याण परिषद {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} शुभम एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} विकलांग बच्चों के लिए आशा सोसायटी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} भारतीय रेड-क्रॉस सोसायटी, मुजफ्फरपुर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.19 0.15 0.13 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00	0.26 0.08 0.00 0.01 0.19 0.05 0.01
निरूपण एवं तकनीकी उन्नयन योजना	भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} देश बंधु जन कल्याण एवं सेवा विकास परिषद, वैशाली पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.05 0.05 0.05 0.00	0.00 0.02 0.00 0.03
विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	ब्रज मोहन दास महाविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय) पटना विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय) अनुग्रह नारायण महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान) मगध महिला महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान) महिला वैज्ञानिक योजना अंतर्गत डॉ०एस०टी० परियोजना (सरकारी स्वायत्त निकाय) ठाकुर प्रसाद सिंह (टी०पी०एस०) महाविद्यालय, चिरैयाटाँड, पटना विहार (राज्य सरकार संस्थान) सनेही लोकोत्थान संस्थान (पंजीकृत समितियाँ)	0.06 0.18 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.08 0.00 0.00 0.04 0.14 0.10
पर्यावरणीय सूचना शिक्षा एवं जागरूकता	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय) ग्रामीण युवा समन्वय केन्द्र सोसायटी (गैर सरकारी संगठन)	0.06 0.00	0.00 1.14
अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त को-चिंग एवं सम्बद्ध योजना (एम०ए०सी०एस०)	मिल्लत कल्याण न्यास (नालन्दा असेन्सिक सेवा अकादमी) (न्यास)	0.08	0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु सहायता (एस०सी०पी०एस०)	सीमांचल तकनीकी तथा शैक्षणिक विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.81	0.00
उच्च शिक्षा सांख्यिकी एवं जन सूचना प्रणाली (एच०ई०एस०पी०आई०एस०)	राज्य नोडल पदाधिकारी, ए०आई०एस०एच०ई० (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.11	0.00
जैव तकनीकी हेतु मानव संसाधन विकास	तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार (सार्विधिक निकाय)	0.00 0.07 0.00	0.16 0.00 0.14
हस्तशिल्प हेतु मानव संसाधन विकास	मानस ग्रामीण उत्थान समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} देश बंधु जन कल्याण एवं सेवा विकास परिषद, वैशाली {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.01 0.02 0.06 0.08 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
संरचना विकास एवं क्षमता निर्माण	उद्योग मित्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.21	0.25
कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी की समर्कित योजना	कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.30	0.50
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सार्विधिक निकाय)	0.50	2.41
विपणन समर्थन एवं सेवाएं तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना	चाइल्ड कंसर्न {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.17	0.17
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम०पी०एल०डी०एस०)	शिल्पिका {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.02	0.00
स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	समाज विकास संगठन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.03	0.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	कस्तुरबा महिला विकास कल्याण समिति पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.05	0.00
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (सी०एस०)	जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय)	246.50	217.50
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	10.72	3.85
बिहार राज्य बेड़ तथा ऊन बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	चावल विकास निदेशालय (केन्द्र सरकार)	0.00	0.03
बिहार राज्य बेड़ तथा ऊन बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.13	0.60
बिहार बागवानी विकास समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	बिहार बागवानी विकास समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.06	0.00
बिहार औषधीय पौधा परिषद	बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन उत्थान समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.05	0.00
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) सी०एस०	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन उत्थान समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.03	0.07
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) सी०एस०	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन उत्थान समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.67	13.23
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०एच०एम०) सी०एस० घटक	जनसंघा अनुसंधान केन्द्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	1.85	0.85
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) सी०एस०	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.00	2.90
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०) सी०एस०	निदेशक, एन०आई०पी०ई०आर० हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	3.10
बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	सिद्धी रिफॉल एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.40	0.00
बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	6.15	0.03

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	82.00	0.00
अशक्तों के बीच खेल का प्रोत्साहन	उमंग बाल विकास { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.03	0.00
	बिहार अशक्त खेल अकादमी { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.03	0.00
	बाल प्रतिष्ठान { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.03	0.00
	विकलांग सम्मान संस्थान { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.03	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण को प्रोत्साहन (एम०एफ०जी०डी०आई०टी०)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.34	0.00
सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रसार	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (सरकारी संस्थान)	0.09	0.00
सार्वजनिक पुस्तकालय	खुदाबख्ता ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	1.89	0.00
तकनीकी सहयोग संस्थानों एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता	आकाशशीरप पाइप एण्ड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.01	0.00
	शिवा पॉलीटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.01	0.00
	मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज (वैयक्तिक)	0.01	0.00
	मेसर्स आर्टीसन्स गैलेरी (वैयक्तिक)	0.00	0.01
सभी गाँवों में ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु अपारम्परिक ऊर्जा	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	0.18	0.11
शोध एवं विकास (हस्तशिल्प)	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.02	0.05
जैव तकनीकी का शोध एवं विकास विभाग	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सार्वाधिक निकाय)	0.28	0.03
	पटना विश्वविद्यालय (सार्वाधिक निकाय)	0.05	0.05
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र (केन्द्र सरकार)	0.03	0.00
	बालाजी उत्थान संस्थान { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.09	0.00
मानव संसाधन एवं दक्षता विकास योजना (एफ०पी०आई०)	कृषि विज्ञान केन्द्र (केन्द्र सरकार)	0.02	0.00
	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.02	0.00
अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना (सी०एस०)	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.64	0.06
	पी०एस० सेवा समिति (स्थानीय निकाय)	0.00	0.01
	विवेकानन्द पर्यावरण एवं आरोग्य मिशन, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.09
	सत्यभामा दंतव्य चिकित्सा केन्द्र, पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.08
	चाणक्य फाउण्डेशन { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.08
	श्री नारायण बाबूनी फाउण्डेशन (एस०एन०बी० फाउण्डेशन) { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.07
	लिच्छवी एजेंसी, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.03
	करुणा एजेंसी, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.08
	झूमरेजानी विकास समिति, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.03
	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.05
	नव चेतना विकास केन्द्र, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.05
	विशाल जन उत्थान केन्द्र, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.05
	आदिवासी विकास समिति, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.03
खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकी उन्नयन/स्थापना आधुनिकीकरण की योजना	लिच्छवी एजेंसी, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.03
	भारत नाट्य कला केन्द्र, { {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} }	0.00	0.08
	निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ	0.64	0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना (अन्य मिशन, योजनाएं)	रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)} निर्माण कला मंच, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.75 0.00	0.00 0.29
	वैयक्तिक दिव्य सामाजिक विकास संगठन, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.88
	वैयक्तिक त्याग एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01 0.07
	भारतीयम एजेंसी, पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.08
	आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएसन, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	बिटिया रानी एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
	दिव्य सामाजिक विकास संगठन, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	प्रांगण एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	बिहार आर्ट थियेटर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	सूधार एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	वैयक्तिक नव नालन्दा महाविहार एजेंसी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.01 12.54
	द फैस्ट आर्ट एण्ड कल्चरल सोसायटी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.15
	आर्शोवाद रंगमंडल, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.37
	भोजपुरी कला विकास परिपद, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.00
	शिवा स्मृति मंच, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.00
	प्रांगण एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	रागा एजेंसी, {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	नटराज कला मंदिर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	संस्कृत विकास केन्द्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.07
	प्रयास पटना पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.06
	सुरंगम कला केन्द्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.11
	नवरस स्कूल ऑफ परफर्मिंग आर्ट एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.00
	लिल्चिवी आर्ट एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
	मगध विकास लोक {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
	शौर्य एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.14
	बटोही एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	आहुति नाट्य अकादमी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.17
	प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा) पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.06
	जागृति नाट्य कला केन्द्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	माता एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.13
	द्रोपदी सेवाश्रम {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.00
	बिहार स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
	ओजाहुल सेवाश्रम {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.00
	बोधिसत्त्व सोसायटी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	सहयोग सामाजिक एवं कल्याण सोसायटी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
	शकुन्तला सेवा सदन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.06

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना (अन्य मिशन, योजनाएं)	मार्डन थियेटर फाउण्डेशन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } कैनवास { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } जनसृष्टि { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } प्रस्तुति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } सुरंगन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } रंगसृष्टि द राहिंग आर्ट { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } मध्यम फाउण्डेशन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } विकलांग खेल एवं कल्याण अकादमी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
निःशक्त व्यक्तियों के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्पन्न योजना (सामाजिक न्याय सशक्तिकरण)	भारतीय रेड-क्रॉस सोसायटी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (सी०आर०सी०) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.06 4.72	0.00 1.17
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	राज्य सरकार संस्थान पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } महावीर कैंसर संस्थान (न्यास)	0.04 0.40 0.00	0.00 0.03 0.00
कौशल विकास पहल सी०एस०	विवेकानंद पर्यावरण एवं आरोग्य मिशन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.42	0.81
राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.32	0.52
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), पटना को सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	206.97	100.31
गरी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०टी०) को सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	46.00	66.00
गैर सरकारी संगठनों /संस्थानों/राज्य संसाधन केन्द्रों को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु सहायता	राज्य संसाधन केन्द्र दीपायतन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } आद्री राज्य संसाधन केन्द्र { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) } जन शिक्षण संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.50 0.42 2.40	1.02 0.65 3.27
सिनर्जी प्रोजेक्ट सीटीएस (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.07	0.08
प्रौद्योगिकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (वर्तमान एवं नया चरण)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	5.00	2.00
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	सांविधिक निकाय	0.02	0.00
अनुसूचित जातियों के लिए उत्तम दर्जा शिक्षा योजना	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सांविधिक निकाय) चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.14 0.11 0.05 0.00 0.00	0.26 0.00 0.03 0.04 0.04
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्री योजना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.04 0.11	0.00 0.00
युवा छात्रावास	वैयक्तिक	0.01	0.02
आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) वैयक्तिक	1.60 0.19	0.00 0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16
डिजिटल भारत कार्यक्रम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	5.67
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.32
एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	199.00
राष्ट्रीय डेवरी विकास योजना	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	14.58
आँफ ग्रीडस / वितरित और विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा	सिद्धांश्रम राइस क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.60
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	श्रम भारती खादी ग्राम { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.07
खरीद/ फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (सी०आर०सी०) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.46
डिजिटल भारत कार्यक्रम	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	9.25
स्वदेशी नस्लें	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	3.50
राष्ट्रीय खाद्य प्रासंस्करण मिशन (संपदा) सी०एस०	नैचुरल्स डेरी (पी) लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.25
वातावरण एवं जलवायु शोध-प्रतिरूपण अवलोकन प्रणालियाँ एवं सेवाएं	सोना बिस्किट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.25
शोध/शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (सार्वाधिक निकाय)	0.00	0.17
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एस० एण्ड टी०	राज्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.04
राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन सी०एस०	बिहार राज्य बीज निगम (राज्य सरकार पी०एस०य०)	0.00	0.23
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एस० एण्ड टी०	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (सार्वाधिक निकाय)	0.00	0.02
राष्ट्रीय गंगा योजना	बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	79.02
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	साइंस फॉर सोसायटी, बिहार { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.17
	साइंस फॉर सोसो-इकॉनोमिक डेवलपमेंट, पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.05
	सामूहिक अधिकार	0.00	0.04
बाबा साहेब अम्बेदकर हस्तशिल्प विकास योजना	आदर्श महिला मंडल बिहार एजेंसी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.01
	ग्रामीण संसाधन विकास परिषद { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.01
विपणन समर्थन एवं सेवाएं	ओरहुल स्मृति संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.02
आँफ ग्रीडस / वितरित और विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (राज्य सरकार पी०एस०य०)	0.00	15.42
स्टेप, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता	पशु एवं मानव विकास सामाजिक कल्याण सोसाइटी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.06
	आशा विकास परियोजना { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.06
	डेमोक्रेटिक पिपुल्स संगठन पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.06
	हाजी हकीम मुहम्मद शैक्षणिक एवं कल्याण ट्रस्ट { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.12
	तिरहुत लोक सेवा संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.08
	माँ गायत्री आरोग्य संस्थान, बेगूसराय पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.15
	जीवन ज्योति संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.13
	अम्बेदकर अनुसूचित जाति महिला विकास स्वावलंबी कल्याण समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.06

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2014-15	2015-16	
जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान	बिहार वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कोष (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06	
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन	0.00	0.05	
पावरलूम	विद्युत करघा सेवा भागलपुर (केन्द्र सरकार)	0.00	0.01	
पावरलूम्स- सामान्य करघों के उन्नयन की योजना	वैयक्तिक	0.00	0.00	
महामारी के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना	प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.67	
राज्यों को सहायता	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	0.00	0.03	
ग्राम उद्यमिता “स्टार्ट अप” कार्यक्रम	बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.80	
परियोजना समीक्षा के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सभी का समर्थन तथा क्षमता निर्माण	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान पटना (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.01	
विषयन समर्थन एवं सेवाएं	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02	
विषयन विकास सहायता (एम०डी०ए०) कार्यक्रम	दीना आयरन एवं स्टील लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	मेसर्स क्रिएटीव पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	नील कमल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	आमपाली फूड्स लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	दादीजी स्टील्स लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	मेसर्स हाइ टेक प्लास्टिक्स (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	ऊषा बेल्ड्स लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	बालमुकुन्द कॉनकास्ट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	शीवा पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	मेसर्स वातायन मीडिया एण्ड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	मेसर्स आर्शीवाद इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	लौरेन्स इन्टरप्राइजेज (वैयक्तिक)	0.00	0.00	
	नैचुरल्स डेरी (पी) लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.00	
	श्री श्री शंभुनाथ फुड प्रोडक्ट (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.01	0.00	
	बिजय गॉलर फ्लावर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.01	0.00	
	रेनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	मेसर्स नाइस इंडिया परफ्युमरी, (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
	वैयक्तिक	0.00	0.04	
	क्रिस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.00	
अनुसूचित जाति के बच्चों को राष्ट्रीय फेलोशिप तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.05	
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.08	
	राष्ट्रीय धरोहर शहर कार्यक्रम	विरासत शहर निधि, जी०एम०सी०, गया (स्थानीय निकाय)	0.00	1.17
	पूर्वोत्तर परिषद	पुर्नजीवन बिहार एजेंसी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.25
	विषयन विकास सहित विदेशी प्रोत्साहन तथा प्रचार की संशोधित योजना	हंस हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.01
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एस०ई०सी०सी०)	बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	12.86	
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.40	
योग		651.74	792.71	

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिशिष्ट- 1.7

(संदर्भ: कंडिका 1.3 एवं 1.3.1.1; पृष्ठ 9 एवं 11)
राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	51320	59567	68919	78417	96123
(i) कर राजस्व	12612 (25)	16253(27)	19961 (29)	20750(26)	25449(26)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	7476 (59)	8671(53)	8453(42)	8607 (41)	10603(42)
राज्य उत्पाद	1981 (16)	2430(15)	3168(16)	3217 (16)	3142(12)
वाहन पर कर	569 (4)	673(4)	837(4)	964(5)	1081(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1480 (12)	2173(14)	2712(14)	2699(13)	3409(13)
भू-राजस्व	168 (1)	205(1)	202(1)	277(1)	695(3)
माल एवं यात्री कर	828 (7)	1932(12)	4349(22)	4451(21)	6087(24)
अन्य कर	110 (1)	169(1)	240(1)	535(3)	432(2)
(ii) करेतर राजस्व	890 (2)	1135(2)	1545(2)	1558(2)	2186(2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	27935 (54)	31901(54)	34829(51)	36963(47)	48923(51)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9883 (19)	10278(17)	12584(18)	19146(24)	19565(21)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	23	25	15	1493	19
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	51343	59592	68934	79910	96142
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6628	9554	9907	13917	18383
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5801	9046	9357	13199	17565
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	827	508	550	718	818
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	75	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	58046	69146	78841	93827	114525
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	22303	27066	33458	40251	49106
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	80349	96212	112299	134078	163631
खंड ब व्यय / संवितरण					
11. राजस्व व्यय	46499	54466	62477	72570	83616
योजना	12487 (27)	16892(31)	19096(31)	25511(35)	29651(35)
गैर-योजना	34012 (73)	37574(69)	43381(69)	47059(65)	53965(65)
सामान्य सेवाएँ (व्याज भुगतान सहित)	17729(38)	18645(34)	22018(35)	26408(36)	27972(33)
सामाजिक सेवाएँ	18729 (40)	23107(43)	26395(42)	31713(44)	35943(43)
आर्थिक सेवाएँ	10038 (22)	12710(23)	14060(23)	14445(20)	19697(24)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	8852	9585	14001	18150	23966
योजना	8812 (99)	9492(99)	13904(99)	18092(99)	23930(99)
गैर-योजना	40 (1)	93(1)	97(1)	58(1)	36(1)
सामान्य सेवाएँ	608 (7)	717(7)	1333(10)	1748(10)	3617(15)
सामाजिक सेवाएँ	807 (9)	1331(14)	1858(13)	1674(9)	2740(11)
आर्थिक सेवाएँ	7437 (84)	7537(79)	10810(77)	14728(81)	17609(74)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1906	2086	807	369	621
14. कुल (11+12+13)	57257	66137	77285	91089	108203
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2922	3070	3120	3609	4125
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2457	2585	2559	2975	3423
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	465	485	561	634	702
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राजीय समाशोधन	2	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	60181	69207	80405	94698	112328
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	21393	24799	29453	39200	45923
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	81574	94006	109858	133898	158251
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	4821	5101	6442	5847	12507
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-)5914	(-)6545	(-)8351	(-)11179	(-)12061
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-)1610	(-)2117	(-)2892	(-)5050	(-)4963
खंड द अन्य आँकड़े					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4304	4428	5459	6129	7098
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	14444	17454	18935	22359	26426
27. सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) [@]	247144	282368	317101	373920	413503
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	67812	76503	86939	99056	116578
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	1092	1089	1090	2001	4721
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	2049	2046	2587	5315	9397
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	380	298	227	211	144
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1579	1488	1274	1301	1728
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संशाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.051	0.058	0.063	0.055	0.062
निजी करेतर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005
केंद्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.113	0.113	0.110	0.099	0.118
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.232	0.234	0.244	0.244	0.262
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.116	1.110	1.121	1.162	1.126
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.812	0.824	0.808	0.797	0.773
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.341	0.370	0.366	0.309	0.332
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.338	0.306	0.322	0.320	0.182
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.155	0.145	0.181	0.199	0.221
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.144	0.134	0.164	0.180	0.188
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.020	0.018	0.020	0.016	0.030
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-)0.024	(-)0.023	(-)0.026	(-)0.030	(-)0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	(-)0.007	(-)0.007	(-)0.009	(-)0.014	(-)0.012
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)0.815	(-)0.779	(-)0.771	(-)0.523	(-)1.037
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.274	0.271	0.274	0.265	0.282
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	1.321	1.284	1.261	1.263	1.213
राजकोषीय दायित्व/राज्य का अपना संसाधन	5.022	4.400	4.043	4.440	4.218

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनाइ गई सकल राज्य धरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

परिशिष्ट- 1.8

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 26)

31 मार्च 2016 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31/3/2015 तक	देयताएँ	31/3/2016 तक
65848.02	आंतरिक ऋण	79990.32
	ब्याज वाले बाजार ऋण	48183.98
	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.21
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
	अन्य संस्थाओं से ऋण	31784.58
8722.45	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	8838.31
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91
	गैर-योजना ऋण	52.74
	राज्य योजना के लिए ऋण	8737.16
	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53
	अर्थोपाय योजनाओं के लिए मद	42.96
350.00	आकस्मिकता निधि	350.00
8865.08	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8791.50
13784.38	जमा	17522.74
4178.89	आरक्षित निधि	4269.58
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01
33634.91	सरकारी लेखा में आधिक्य	46142.07
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	12507.16
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	33634.91
135457.74		165978.53
	परिसम्पत्तियाँ	
104035.80	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	128001.82
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	9940.24
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	118061.58
20255.00	ऋण एवं अग्रिम	20857.73
	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	15445.86
	अन्य विकास ऋण	5332.57
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	79.30
1192.65	प्रेषण	1186.60
144.02	अग्रिम	150.69
3493.16	उचंत और विविध शेष	4064.97
6337.11	रोकड़	11716.72
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
	रिजर्व बैंक में जमा	124.56
	विभागीय रोकड़ शेष	215.71
	स्थायी अग्रिम	342.37
	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	11034.08
135457.74		165978.53

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिशिष्ट—2.1
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 39)
विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान / विनियोजन की संख्या	अनुदान / विभाग संख्या एवं नाम	आधिक्य की राशि	वर्ष 2015–16 के दौरान नियमित राशि	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1977-78	1	24- वन	0.06	0.00	0.06
2	1978-79		27- गव्य विकास	0.32	0.00	0.32
3	1981-82	2	3- मंत्री परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय, जिला प्रशासन	1.77	0.00	5.12
4			13- शिक्षा, कला और संस्कृति	3.35	0.00	
5	1982-83	1	22- गव्य विकास	0.98	0.00	0.98
6	1983-84	1	12- लोक निर्माण कार्य आवास एवं सिविल विमानन	9.45	0.00	9.45
7	1984-85	2	3- मंत्री परिषद्, निर्वाचन	2.62	0.00	2.63
8			14- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0.01	0.00	
9	1986-87	1	13- शिक्षा, कला और संस्कृति	65.63	0.00	65.63
10	1987-88	3	9- बिक्री कर	0.61	0.00	15.53
11			19- पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8.00	0.00	
12			38- पशुपालन	6.92	0.00	
13	1988-89	2	9- बिक्री कर	0.46	0.00	6.59
14			38- पशुपालन	6.13	0.00	
15	1989-90	3	25- शिक्षा, खेल, युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	90.40	0.00	99.40
16			27- परिवार कल्याण	0.35	0.00	
17			38- पशुपालन	8.65	0.00	
18	1990-91	2	37- लघु सिंचाई, भू और जल संरक्षण	18.26	0.00	47.55
19			38- पशुपालन	29.29	0.00	
20	1991-92	2	6- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता	0.52	0.00	71.24
21			38- पशुपालन	70.72	0.00	
22	1992-93	1	38- पशुपालन	87.77	0.00	87.77
23	1993-94	2	25- शिक्षा, खेल, युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	32.65	0.00	157.68
24			37- पशुपालन	125.03	0.00	
25	1994-95	1	37- पशुपालन	170.61	0.00	170.61
26	1995-96	2	25- शिक्षा, खेल, युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	66.73	0.00	213.22
27			37- पशुपालन	146.49	0.00	
28	1996-97	2	23- सड़कें और पुल	14.79	0.00	21.16
29			37- पशुपालन	6.37	0.00	

परिशिष्ट

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान / विनियोजन की संख्या	अनुदान / विभाग संख्या एवं नाम	आधिक्य की राशि	वर्ष 2015–16 के दौरान नियमित राशि	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	1997-98	1	7- जनगणना, सर्वेक्षण और सांस्कृतिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.01	0.00	0.01
31	1998-99	1	30- अल्पसंख्यक कल्याण	0.33	0.00	0.33
32	1999-00	1	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	0.01	0.00	0.01
33	2003-04	3	11- उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य	0.44	0.00	81.23
34			30- अल्पसंख्यक कल्याण	0.55	0.00	
35			50- लघु सिंचाई	0.60	0.00	
36				79.64	0.00	
37	2004-05	2	20- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.03	0.00	5.57
38			21- उच्च शिक्षा	5.54	0.00	
39	2005-06	1	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	0.02	0.00	0.02
40	2010-11	1	5- राज्यपाल सचिवालय	0.35	0.00	0.35
41	2014-15	1	14- ऋण अदायगियाँ	2.61	0.00	2.61
योग				1065.07	0.00	1065.07

(स्रोत: लोक लेखा समिति अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (ले.प.), बिहार से प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट— 2.2

(संदर्भःकंडिका 2.3.3; पृष्ठ 39)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्व							
1	1- कृषि विभाग	2414.82	980.12	3394.94	1742.85	1652.09	48.66
2	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	530.06	70.25	600.31	411.99	188.32	31.37
3	9- सहकारिता विभाग	580.58	314.96	895.54	588.53	307.01	34.28
4	12- वित्त विभाग	255.59	1.29	256.88	140.86	116.02	45.17
5	16- पंचायती राज विभाग	4364.32	1100.78	5465.10	2893.00	2572.10	47.06
6	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2134.78	265.43	2400.21	1423.97	976.24	40.67
7	20- स्वास्थ्य विभाग	3510.01	986.02	4496.03	3531.97	964.06	21.44
8	21- शिक्षा विभाग	20759.91	3695.40	24455.31	18641.41	5813.90	23.77
9	23- उद्योग विभाग	779.54	595.24	1374.78	984.36	390.42	28.40
10	26- श्रम संसाधन विभाग	510.20	37.47	547.67	243.71	303.96	55.50
11	27- विधि विभाग	656.50	5.76	662.26	515.62	146.64	22.14
12	33- सामान्य प्रशासन विभाग	490.71	54.00	544.71	363.22	181.49	33.32
13	35- योजना एवं विकास विभाग	268.27	0.50	268.77	133.73	135.04	50.24
14	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	460.19	0.00	460.19	358.75	101.44	22.04
15	37- ग्रामीण कार्य विभाग	1408.81	0.00	1408.81	986.74	422.07	29.96
16	39- आपदा प्रबंधन विभाग	557.02	2244.28	2801.30	394.55	2406.75	85.92
17	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	676.72	51.32	728.04	489.68	238.36	32.74
18	42- ग्रामीण विकास विभाग	4972.66	2109.79	7082.45	3528.41	3554.04	50.18
19	48- नगर विकास एवं आवास विकास	2169.85	941.30	3111.15	1977.47	1133.68	36.44
20	50- लघु जल संसाधन विभाग	688.16	6.00	694.16	334.19	359.97	51.86
21	51- समाज कल्याण विभाग	4178.90	2616.67	6795.57	5293.18	1502.39	22.11
कुल राजस्व		52367.60	16076.58	68444.18	44978.19	23465.99	34.28
पूँजीगत							
22	1- कृषि विभाग	418.42	55.78	474.20	23.40	450.80	95.07
23	3- भवन निर्माण विभाग	2434.79	550.58	2985.37	1638.23	1347.14	45.12
24	10- ऊर्जा विभाग	4142.60	0.00	4142.60	2934.74	1207.86	29.16
25	20- स्वास्थ्य विभाग	1461.66	196.97	1658.63	1079.03	579.60	34.94
26	21- शिक्षा विभाग	1268.05	15.00	1283.05	525.38	757.67	59.05

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान / विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	22- गृह विभाग	478.50	98.56	577.06	421.50	155.56	26.96
28	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1055.94	150.00	1205.94	773.79	432.15	35.84
29	42- ग्रामीण विकास विभाग	243.40	0.00	243.40	10.05	233.35	95.87
30	50- लघु जल संसाधन विभाग	220.25	102.42	322.67	200.53	122.14	37.85
कुल पूँजीगत		11723.61	1169.31	12892.92	7606.65	5286.27	41.00
महायोग		64091.21	17245.89	81337.10	52584.84	28752.26	35.35

(स्रोत: वर्ष 2015-16 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट— 2.2 (क)

(संदर्भःकंडिका 2.3.3; पृष्ठ 39)

₹ 10 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों / विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	3869.14	1766.25	2102.89	54.35
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	600.31	411.99	188.32	31.37
3	3	भवन निर्माण विभाग	3552.50	2098.07	1454.43	40.94
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय	185.92	133.01	52.91	28.46
5	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	130.98	68.94	62.04	47.37
6	9	सहकारिता विभाग	1141.74	766.77	374.97	32.84
7	16	पंचायती राज विभाग	5467.10	2893.00	2574.10	47.08
8	17	वाणिज्य-कर विभाग	131.25	90.22	41.03	31.26
9	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2401.19	1424.85	976.34	40.66
10	20	स्वास्थ्य विभाग	6154.66	4611.00	1543.66	25.08
11	21	शिक्षा विभाग	25738.36	19166.79	6571.57	25.53
12	23	उद्योग विभाग	1386.01	994.69	391.32	28.23
13	24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	216.06	141.42	74.64	34.55
14	25	सूचना प्रावेदिकी विभाग	214.29	119.03	95.26	44.45
15	26	श्रम संसाधन विभाग	551.67	243.71	307.96	55.82
16	27	विधि विभाग	662.26	515.62	146.64	22.14
17	28	उच्च न्यायालय, बिहार	137.48	99.95	37.53	27.30
18	33	सामान्य प्रशासन विभाग	548.92	367.18	181.74	33.11
19	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1666.13	1132.54	533.59	32.03
20	38	निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग	155.52	106.57	48.95	31.48
21	39	आपदा प्रबंधन विभाग	2801.70	394.66	2407.04	85.91
22	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	765.61	511.89	253.72	33.14
23	42	ग्रामीण विकास विभाग	7325.85	3538.46	3787.39	51.70
24	43	विज्ञान एवं प्रावेदिकी विभाग	163.55	109.82	53.73	32.85
25	45	गन्ना उद्योग विभाग	255.12	181.86	73.26	28.72
26	46	पर्यटन विभाग	99.50	67.64	31.86	32.02
27	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	3148.88	1977.47	1171.41	37.20
28	50	लघु जल संसाधन विभाग	1016.83	534.72	482.11	47.41
29	51	समाज कल्याण विभाग	6890.68	5344.71	1545.97	22.44
योग			77379.21	49812.83	27566.38	35.63

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट—2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 41)

वर्ष 2011–16 के दौरान सतत बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	राशि एवं बचत की प्रतिशतता														
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	राजस्व—दत्तमत									
1	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55	211.60	32.11	188.32	31.37					
2	12- वित्त विभाग	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48	124.99	45.19	116.02	45.17					
3	20- स्वास्थ्य विभाग	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30	914.11	21.60	964.06	21.44					
4	27- विधि विभाग	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78	179.09	26.60	146.64	22.14					
5	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20	224.14	31.73	238.37	32.74					
6	41- पशु निर्माण विभाग	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96	359.65	28.57	117.63	11.39					
7	50- लघु जल संसाधन विभाग	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10	375.42	57.59	359.97	51.86					
	योग	1571.19		1645.54		2692.89		2389.00		2131.01						
पूँजीगत—दत्तमत																
8	3- भवन निर्माण विभाग	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88	1719.79	60.50	1347.14	45.12					
9	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62	601.57	40.46	432.15	35.84					
10	49- जल संसाधन विभाग	625.86	25.65	672.73	27.47	1853.56	53.61	1262.62	50.27	251.54	14.48					
11	50- लघु जल संसाधन विभाग	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51	181.00	50.03	122.14	37.85					
	योग	1166.43		1787.51		2718.73		3764.98		2152.97						
	महायोग	2737.62		3433.05		5411.62		6153.98		4283.98						

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट— 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 41)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
अ. राजस्व (भारित)					
1	5-राज्यपाल सचिवालय	11.01	9.00	2.01	0.68
2	13-सूद भुगतान	7220.78	7097.69	123.09	9.16
3	28-उच्च न्यायालय, बिहार	133.51	99.95	33.56	3.97
	राजस्व योग (भारित)	7365.30	7206.64	158.66	13.81
अ. राजस्व (दत्तमत)					
4	1-कृषि विभाग	2414.82	1742.85	671.97	980.12
5	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	530.06	411.99	118.07	70.25
6	3-भवन निर्माण विभाग	564.83	459.84	104.99	2.30
7	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	157.25	120.71	36.54	8.13
8	6-निवार्चन विभाग	309.83	303.69	6.14	10.00
9	7-निगरानी विभाग	35.22	28.19	7.03	0.28
10	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	128.59	68.59	60.00	2.04
11	12-वित्त विभाग	255.59	140.86	114.73	1.29
12	15-पेंशन	12968.29	11829.37	1138.92	208.37
13	16-पंचायती राज विभाग	4364.32	2893.00	1471.32	1100.78
14	17-वाणिज्य-कर विभाग	131.00	90.22	40.78	0.25
15	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2134.78	1423.97	710.81	265.43
16	21-शिक्षा विभाग	20759.91	18641.41	2118.50	3695.40
17	22-गृह विभाग	5700.54	5547.87	152.67	470.18
18	24-सूचना एवं जनसर्वक विभाग	201.06	141.42	59.64	15.00
19	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	175.26	99.04	76.22	18.65
20	26-श्रम संसाधन विभाग	510.20	243.71	266.49	37.47
21	27-विधि विभाग	656.50	515.62	140.88	5.76
22	32-विधान मंडल	145.79	125.13	20.66	4.26
23	33-सामान्य प्रशासन विभाग	490.71	363.22	127.49	54.00
24	35-योजना एवं विकास विभाग	268.27	133.73	134.54	0.50
25	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	146.22	105.57	40.65	8.30
26	39-आपदा प्रबंधन विभाग	557.02	394.55	162.47	2244.28
27	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	676.72	489.68	187.04	51.32
28	41-पथ निर्माण विभाग	940.07	915.31	24.76	92.87
29	42-ग्रामीण विकास विभाग	4972.66	3528.41	1444.25	2109.79
30	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	98.16	85.00	13.16	23.18
31	47-परिवहन विभाग	55.63	41.08	14.55	2.52
32	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2169.85	1977.47	192.38	941.30
33	49-जल संसाधन विभाग	861.22	839.26	21.96	55.15
34	50-लघु जल संसाधन विभाग	688.16	334.19	353.97	6.00
	राजस्व योग (दत्तमत)	64068.53	54034.95	10033.58	12485.17
	योग राजस्व	71433.83	61241.59	10192.24	12498.98
ब. पूँजीगत (भारित)					
35	33-सामान्य प्रशासन विभाग	4.11	3.96	0.15	0.10
	पूँजीगत योग (भारित)	4.11	3.96	0.15	0.10

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
ब. पूँजीगत (दत्तमत्त)					
36	1-कृषि विभाग	418.42	23.40	395.02	55.78
37	3-भवन निर्माण विभाग	2434.79	1638.23	796.56	550.58
38	12-वित्त विभाग	24.00	23.00	1.00	8.00
39	16-पंचायती राज विभाग	0.00	0.00	0.00	2.00
40	20-स्वास्थ्य विभाग	1461.66	1079.03	382.63	196.97
41	21-शिक्षा विभाग	1268.05	525.38	742.67	15.00
42	22-गृह विभाग	478.50	421.50	57.00	98.56
43	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	20.00	19.99	0.01	0.38
44	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1055.94	773.79	282.15	150.00
45	41-पथ निर्माण विभाग	4854.99	4439.01	415.98	184.00
46	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	0.01	0.00	0.01	37.72
47	50-लघु जल संसाधन विभाग	220.25	200.53	19.72	102.42
योग पूँजीगत (दत्तमत्त)		12236.61	9143.86	3092.75	1401.41
योग पूँजीगत		12240.72	9147.82	3092.90	1401.51
महायोग		83674.55	70389.41	13285.14	13900.49

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट– 2.5
(संदर्भःकांडिका 2.3.6; पृष्ठ 42)
निधियों का आधिक्य / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)							
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-102-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	53.43	20.36	25.50	45.19	3.10
2		2401-00-119-0001- उद्यान विकास योजना	15.82	0.07	11.36	4.43	0.10
3		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.32	3.90	2.91	9.49	1.82
4		2401-00-796-0359- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.65	0.24	0.14	0.74	0.01
5		2402-00-102-0004- क्षेत्रीय स्थापना	4.09	0.25	4.05	0.27	0.02
6		3451-00-090-0007- कृषि विभाग	3.37	0.15	3.27	0.25	0.00
7	2	2404-00-001-0001- मुख्यालय स्थापना	3.31	0.16	2.67	0.78	0.02
8	3	2059-80-001-0001- निर्देशन	18.76	0.95	15.50	0.00	4.21
9		2059-80-001-0004- निष्पादन	155.82	1.22	124.74	0.00	32.30
10	9	2425-00-001-0001- निर्देशन	4.08	0.02	3.52	0.20	0.38
11		2425-00-101-0001- अंकेक्षण	20.37	0.04	16.45	3.52	0.44
12	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	5.00	2.00	6.95	0.00	0.05
13	13	2049-60-701-0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	6.00	15.00	19.36	0.00	1.64
14	16	2515-00-001-0003- जिला पंचायत की स्थापना	263.59	0.60	179.87	83.41	0.91
15	19	2406-01-001-0001- निर्देशन और प्रशासन	15.97	1.46	16.55	0.71	0.17
16		2406-01-101-0109- अवकृष्ट वर्णों का पुनर्वास	51.89	15.01	47.47	19.35	0.08
17	20	2210-01-001-0001- स्वास्थ्य निर्देशालय	18.78	0.51	15.12	2.05	2.12
18		2210-01-001-0002- जिला चिकित्सा पदाधिकारी	37.90	4.00	30.45	3.83	7.62
19		2210-01-110-0011- संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.35	0.07	2.00	0.40	0.02
20		2210-01-110-0013- सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	277.79	14.00	233.75	19.78	38.26
21		2210-01-200-0001- यक्षमा निरोध कार्यक्रम	46.28	1.71	44.79	1.59	1.61
22		2210-01-200-0005- अन्य औषधालय स्थानीय	20.78	3.84	18.76	3.71	2.15
23		2210-03-110-0001- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	78.30	15.04	75.57	4.46	13.31
24		2210-05-105-0003- दरभंगा मेडिकल कॉलेज	53.53	5.93	53.09	3.03	3.34
25		2210-05-105-0005- नालंदा मेडिकल कॉलेज	32.33	11.70	38.03	3.29	2.71
26		2210-05-105-0023- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	21.99	0.31	15.46	6.59	0.25

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	20	2210-06-104-0001- औषध नियंत्रण स्थापना	11.71	1.78	10.96	1.59	0.94
28		2210-06-104-0002- प्रधान कुर्नन पूर्तिडीपो, पटना	0.70	0.28	0.79	0.02	0.17
29		2211-00-003-0106- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	14.30	0.15	7.10	0.05	7.30
30	21	2202-01-001-0001- प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	3.75	0.32	3.62	0.00	0.45
31		2202-01-001-0105- शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महात्सव	6.00	5.89	8.78	0.00	3.11
32		2202-01-102-0001- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	25.00	6.68	21.72	0.00	9.96
33		2202-01-104-0001- निरीक्षण	136.97	2.00	110.23	0.00	28.74
34		2202-01-109-0101- मुख्यमंत्री पोशाक योजना	228.00	205.87	390.45	0.00	43.42
35		2202-01-109-0102- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	204.93	104.00	248.56	0.00	60.37
36		2202-01-109-0105- प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	110.24	45.66	119.84	0.00	36.06
37		2202-01-112-0002- मध्याहन भोजन योजना-स्थापना	3.58	1.00	2.68	0.00	1.90
38		2202-01-112-0203- प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम डी एम)	1566.16	147.66	1200.13	0.00	513.69
39		2202-02-001-0001- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	8.88	2.08	10.22	0.00	0.74
40		2202-02-001-0002- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	36.06	2.00	30.10	0.00	7.96
41		2202-02-001-0003- क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	6.27	0.07	5.53	0.00	0.81
42		2202-02-001-0101- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	69.20	17.87	54.09	0.00	32.98
43		2202-02-107-0105- मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	190.18	22.53	163.58	0.00	49.13
44		2202-02-107-0108- अन्य विद्यालय	131.95	43.47	144.15	0.00	31.27
45		2202-02-191-0002- नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	48.09	0.01	26.71	0.00	21.39
46		2202-02-192-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	31.61	3.80	22.77	0.00	12.64
47		2202-02-193-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	34.70	0.24	26.01	0.00	8.93
48		2202-02-196-0002- जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	211.56	0.02	135.77	0.00	75.81
49		2202-03-107-0104- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	53.11	11.51	22.98	0.00	41.64
50		2202-03-800-0001- विहार कॉलेज सेवा आयोग	0.06	0.35	0.06	0.00	0.35
51		2202-03-800-0004- विश्वविद्यालय सेवा आयोग	0.09	0.25	0.09	0.00	0.25

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	21	2202-04-001-0002- जन शिक्षा निदेशालय	2.15	0.46	2.40	0.00	0.21
53		2202-05-200-0002- गैर सरकारी मदरसा	300.00	25.43	214.38	0.00	111.05
54		2202-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	5.84	0.15	4.99	0.00	1.00
55		2202-80-001-0002- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.90	0.63	1.38	0.00	0.15
56		2202-80-003-0005- अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	3.63	2.21	3.66	0.00	2.18
57		2202-80-003-0006- जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	16.76	6.84	17.02	0.00	6.58
58		2202-80-003-0007- प्रखंड शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	2.03	0.68	1.40	0.00	1.31
59		2202-80-003-0008- प्राथमिक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	11.68	4.89	12.27	0.00	4.30
60		2202-80-004-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.46	0.05	0.48	0.00	0.03
61		2202-80-004-0006- प्राचीन जैन शिल्प कला शोध संस्थान, वैशाली	0.86	0.02	0.69	0.00	0.19
62		2202-80-004-0007- के.पी. जयसवाल शोध संस्थान, पटना	1.68	0.40	1.99	0.00	0.09
63		2205-00-105-0001- सार्वजनिक पुस्तकालय	1.52	0.16	1.11	0.00	0.57
64	22	2052-00-090-0006- गृह विभाग (पुलिस)	4.39	0.84	4.92	0.26	0.05
65		2055-00-001-0001- अधीक्षण	31.11	2.42	29.65	3.72	0.16
66		2055-00-001-0009- प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय	545.20	50.07	534.49	3.44	57.34
67		2055-00-101-0001- अपराधिक जाँच विभाग	150.85	0.60	141.03	2.39	8.03
68		2055-00-104-0001- अश्वारोही सैन्य पुलिस	11.40	1.23	2.91	0.55	9.17
69		2055-00-104-0003- विशेष टास्क फोर्स	70.34	18.13	83.71	2.14	2.62
70		2055-00-109-0004- उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	6.00	0.80	5.31	1.44	0.05
71		2055-00-109-0017- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय	11.00	3.75	14.18	0.36	0.21
72		2055-00-110-0001- चौकीदार— दफादार स्थापना	580.17	4.85	507.78	67.88	9.36
73		2055-00-114-0001- संकेत	45.68	1.87	43.64	3.82	0.09
74		2056-00-101-0003- उप कारा	31.36	0.20	26.73	0.00	4.83
75		2070-00-107-0003- गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम	0.60	0.50	0.84	0.01	0.25
76		2235-60-200-0004- दंगा से प्रभावित व्यवित्तियों को राहत	5.00	2.00	5.67	1.06	0.27
77	24	2220-60-106-0002- जिला ईकाईया	25.46	0.20	14.62	11.00	0.04
78	26	2230-01-101-0006- श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन	9.78	0.25	7.55	2.47	0.01

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
79	32	2011-02-102-0005- नेता विपक्षी दल	0.60	0.02	0.53	0.08	0.01
80		2011-02-103-0001- विधानसभा सचिवालय	24.01	1.04	23.77	0.86	0.42
81		2011-02-103-0002- विधान परिषद् सचिवालय	32.74	0.20	32.74	0.19	0.01
82	33	2053-00-101-0001- मुख्य कार्यालय	25.87	0.30	18.47	7.05	0.65
83	35	2052-00-090-0010- योजना एवं विकास विभाग	7.94	0.85	8.59	0.00	0.20
84	36	4215-01-102-0103- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, नलकूप)	91.50	19.00	103.37	6.81	0.32
85		4215-01-789-0111- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, एवं नलकूप)	25.00	6.00	26.98	3.12	0.90
86	39	2070-00-106-0002- जिला-प्रभार	0.84	0.03	0.37	0.48	0.02
87		2245-02-101-0004- प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	60.00	15.00	61.42	0.00	13.58
88		2245-02-101-0010- वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	3.00	3.00	4.67	0.00	1.33
89		2245-02-101-0015- राज्य के बाहर की घटनाओं में मुत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.25	0.10	0.01	0.25	0.09
90		2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	0.00	5.50	4.41	0.00	1.09
91		2245-02-113-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/ पुनर्निर्माण	405.00	10.00	15.18	365.00	34.82
92		2245-02-122-0001- क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती	5.00	9.52	9.17	0.00	5.35
93		2245-06-101-0001- मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.10	4.50	2.96	0.00	1.64
94		2245-80-800-0003- बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.00	0.15	0.00	0.11	0.04
95	40	2029-00-104-0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय	552.28	0.02	364.48	187.17	0.65
96	41	3054-80-001-0002- पर्यवेक्षण	252.40	0.58	206.07	45.56	1.35
97		3054-80-001-0010- बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यरथम न्यायधिकरण	1.20	0.06	0.90	0.34	0.02
98	42	2501-06-101-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	69.33	16.80	81.18	4.87	0.08
99		2501-06-789-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएमएल)	41.94	9.75	42.44	9.21	0.04
100		2501-06-796-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएमएल)	12.27	17.56	29.08	0.00	0.75
101		3451-00-090-0010- ग्रामीण विकास विभाग	8.63	0.35	6.47	2.50	0.01

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
102	43	2203-00-001-0001- तकनीकी शिक्षा निदेशालय	3.68	0.01	3.24	0.40	0.05
103		3451-00-090-0003- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.21	0.01	1.00	0.20	0.02
104	44	2225-01-001-0001- निदेशन एवं प्रशासन	46.40	0.20	39.29	6.98	0.33
105	45	2401-00-108-0109- ईख विकास	72.00	0.09	19.04	52.62	0.43
106	47	2041-00-101-0002- मोटर वाहन पर नियंत्रण	36.92	1.20	27.18	8.33	2.61
107	48	2217-05-051-0101- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	0.00	202.11	192.03	0.13	9.95
108		2251-00-090-0005- नगर विकास एवं आवास विभाग	6.44	0.15	5.58	1.00	0.01
109	49	2700-02-001-0001- स्थापना	85.57	0.30	82.09	3.55	0.23
110		2700-03-001-0001- स्थापना	196.00	5.35	192.63	8.22	0.50
111		2700-03-101-0002- अन्य रखरखाव पर व्यय	20.00	3.25	21.13	1.81	0.31
112		2701-04-001-0001- स्थापना	43.96	1.10	41.21	3.78	0.07
113		2701-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	6.00	0.75	6.16	0.57	0.02
114		3451-00-090-0009- जल संसाधन विभाग	18.65	0.13	17.53	1.24	0.01
115		4700-01-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	0.60	60.00	27.09	20.95	12.56
116		4700-03-051-0101- गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	172.64	5.00	162.57	0.05	15.02
117		4700-03-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	11.75	6.50	10.63	1.05	6.57
118		4700-04-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	0.60	9.60	7.14	3.03	0.03
119		4701-03-051-0103- सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	74.79	12.22	29.55	41.03	16.43
120		4711-01-051-0104- बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	68.65	6.35	73.14	0.01	1.85
121		4711-01-051-0309 त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	43.75	26.25	65.65	0.02	4.33
122	51	2235-02-101-0112- आयुक्त निःशक्तता के लिए कार्यालय की स्थापना	0.72	0.24	0.57	0.15	0.24
123		2235-02-106-0008- बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद	0.00	0.80	0.64	0.13	0.03
योग			8761.68	1335.60	7527.40	1108.12	1461.76

(स्रोत: विस्तृत विविध लेखा, अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर बिहार सरकार, 2015–16)

परिशिष्ट-2.6
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 42)
निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजन	अभ्यर्पण	(रु करोड़ में) अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-109-0001- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	230.99	148.30	0.22	81.53	0.94
2		2401-00-113-0105- प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकानाइजेशन	215.27	121.49	20.36	62.86	10.56
3		2401-00-789-0120- प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकानाइजेशन	54.64	16.54	3.90	34.05	0.15
4		2402-00-001-0001- मुख्यालय स्थापना	1.82	1.50	0.25	0.03	0.04
5	2	2403-00-101-0003- अस्पताल एवं औषधालय और अन्य स्थापना	117.64	96.08	0.12	0.00	21.44
6	8	2204-00-104-0001- खेलकूद	6.91	4.78	0.07	1.95	0.11
7	12	7610-00-202-0003- मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	1.00	0.00	0.25	0.57	0.18
8		7610-00-202-0004- विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिये अग्रिम	12.00	8.63	1.00	1.97	0.40
9		7610-00-204-0001- पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिये अग्रिम	2.00	0.53	0.50	0.96	0.01
10	13	2049-01-101-0001- बिहार राज्य विकास ऋण-देय ब्याज	3423.97	3281.12	71.05	0.00	71.80
11		2049-03-104-0001- साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	704.83	528.00	176.21	0.00	0.62
12	17	2040-00-101-0001- जिला प्रभार	110.49	71.76	1.80	28.25	8.68
13	18	3456-00-102-0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	200.00	0.52	47.92	151.55	0.01
14	19	2406-01-101-0002- कार्य योजना प्रमंडल	1.18	1.07	0.03	0.05	0.03
15		2406-01-800-0101- नहर तट फार्म	22.68	15.00	1.92	5.49	0.27
16	20	2210-01-110-0004-नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	71.67	64.44	4.42	0.00	2.81
17		2210-01-110-0006- मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	43.66	34.95	6.27	2.31	0.13
18		2210-01-110-0008- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर	43.75	40.66	1.00	1.91	0.18
19		2210-01-110-0009- भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल	56.24	52.43	3.53	0.27	0.01
20		2210-01-200-0002- कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	50.78	39.33	0.66	3.14	7.65
21		2210-01-200-0008- रक्त बैंक	3.92	2.41	0.50	0.97	0.04
22		2210-02-101-0001- स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा	20.25	18.56	0.10	1.17	0.42

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	20	2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेन्द्र	61.87	33.25	13.28	4.80	10.54
24		2210-03-103-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	886.02	748.48	17.84	39.41	80.29
25		2210-05-105-0001- पटना मेडिकल कॉलेज	88.69	68.95	7.50	6.89	5.35
26		2210-05-105-0008- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	26.24	22.16	0.50	3.43	0.15
27		2210-05-105-0009- दंत महाविद्यालय, पटना	4.79	3.60	0.50	0.67	0.02
28		2210-05-105-0010- भागलपुर मेडिकल कॉलेज	20.62	19.58	0.50	0.49	0.05
29		2210-05-105-0024- राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	3.89	0.23	0.31	0.00	3.35
30		2210-06-003-0002- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान	15.55	7.78	1.71	5.81	0.25
31		2210-06-101-0002- राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम	24.80	22.97	0.07	1.75	0.01
32		2210-06-101-0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.25	22.23	4.00	3.39	7.63
33		2211-00-001-0104- मानव संसाधन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	30.70	22.09	0.10	0.00	8.51
34	21	2202-01-101-0001- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4579.47	3289.86	49.17	0.00	1240.44
35		2202-01-111-0201- सर्व शिक्षा अभियान	4769.18	3772.18	17.00	0.00	980.00
36		2202-01-789-0102- मुख्यमंत्री पोशाक योजना	240.00	113.01	50.00	0.00	76.99
37		2202-02-107-0107- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	164.87	134.75	6.89	0.00	23.23
38		2202-02-109-0308- प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	40.00	0.00	10.00	0.00	30.00
39		2202-02-196-0001- जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	493.91	346.83	4.07	0.00	143.01
40		2202-02-789-0101- मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	106.63	37.10	22.53	0.00	47.00
41		2202-02-789-0102- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	105.88	36.47	22.50	0.00	46.91
42		2202-02-789-0305- प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	71.94	0.00	17.99	0.00	53.95
43		2202-03-001-0001-निदेशन और प्रशासन	9.26	6.66	0.12	0.00	2.48
44		2202-03-102-0004- जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	167.49	120.85	0.60	0.00	46.04
45		2202-03-102-0115- राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	192.35	17.66	24.95	82.35	67.39
46		2202-05-80-0102- राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	41.00	10.66	9.75	0.00	20.59
47	22	2055-00-109-0005- विशेष सहायक पुलिस	170.32	115.79	32.40	0.00	22.13

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
48	22	2055-00-109-0006- उग्रवाद प्रभावित थानों/ ओ०पी० के सुदृढ़ीकरण हेतु एस.आर.ई. स्कीम के तहत	14.00	5.82	3.30	4.87	0.01
49		2055-00-111-0002- आर्डर पुलिस	187.63	154.64	23.00	3.45	6.54
50		2056-00-101-0002- केन्द्रीय जेल	117.88	108.40	0.52	0.00	8.96
51		2070-00-107-0001- ग्रामीण	311.45	278.71	0.50	28.84	3.40
52		2235-60-200-0003- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता	18.52	12.51	2.00	3.75	0.26
53	23	2852-80-001-0002- निदेशन	24.67	20.72	0.02	3.87	0.06
54	24	2220-01-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	14.47	5.45	0.29	8.72	0.01
55		2220-60-106-0101- क्षेत्रीय प्रचार योजना	88.08	34.24	0.50	53.13	0.21
56	26	2230-01-101-0007- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन	29.38	21.56	1.52	6.28	0.02
57		2230-01-101-0108- श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	24.49	23.78	0.07	0.63	0.01
58	32	2011-02-101-0005- सदस्यगण	65.54	46.53	1.05	16.38	1.58
59		2011-02-102-0006- सदस्यगण	16.74	16.41	0.17	0.10	0.06
60		2011-02-102-0007- विहप	2.75	1.86	0.05	0.75	0.09
61	33	2053-00-094-0001- अनुमंडल स्थापना	95.37	64.95	0.30	29.09	1.03
62	35	2053-00-094-0007- योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	89.86	71.85	0.20	0.00	17.81
63		3454-02-204-0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी तंत्र	12.20	7.06	0.65	4.47	0.02
64		3454-02-204-0002- राज्य सांख्यिकी संगठन	20.37	15.74	0.64	3.66	0.33
65		4070-00-051-0109- योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	79.99	3.28	1.12	0.00	75.59
66	36	4215-01-789-0312- राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम	57.90	26.32	6.00	25.35	0.23
67		4215-01-102-0330- राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम	257.31	176.68	34.00	45.88	0.75
68	39	2070-00-106-0004- प्रशिक्षण	1.03	0.56	0.03	0.42	0.02
69		2245-01-101-0002- खाद्यान की आपूर्ति	10.00	0.04	2.50	0.00	7.46
70		2245-01-101-0003- प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10	0.00	0.03	0.00	0.07
71		2245-01-101-0005- अन्य कार्य	10.00	0.00	2.50	0.00	7.50
72		2245-01-101-0006- अन्य कार्य कृषि विभाग हेतु अनुदान (कृषि इनपुट)	13.00	0.00	3.25	0.00	9.75

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	39	2245-01-102-0001- ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की डुलाई	10.00	0.00	2.50	0.00	7.50
74		2245-01-104-0001- चारे की पूर्ति	1.00	0.00	0.25	0.00	0.75
75		2245-01-105-0001- मवेशियों के लिये दवा	0.50	0.00	0.13	0.00	0.37
76		2245-01-282-0002- जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	10.00	0.00	2.50	0.00	7.50
77		2245-02-101-0002- खाद्यान की आपूर्ति	120.00	43.84	5.50	0.00	70.66
78		2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये अनुदान	15.00	0.86	3.75	0.00	10.39
79		2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये अनुदान	10.00	2.23	2.50	0.00	5.27
80		2245-02-101-0011- नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पछात भाग का क्षरण	2.00	0.08	0.50	0.00	1.42
81		2245-02-101-0012- विभिन्न पंचायतों में भुखमरी से प्रभावित परिवारों के लिये एक वर्धीटल खाद्यान का सुरक्षित भंडार	5.34	0.00	1.34	0.00	4.00
82		2245-02-102-0001- पेय जल की आपूर्ति	3.76	0.00	0.94	0.00	2.82
83		2245-02-104-0001- चारे की पूर्ति	2.50	0.00	0.63	0.00	1.87
84		2245-02-105-0001- पशुओं के लिये दवा	2.25	0.00	0.56	0.00	1.69
85		2245-02-106-0001- क्षतिग्रस्त सङ्घों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	20.00	0.00	1.50	0.00	18.50
86		2245-02-109-0001- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं प्रत्यास्थापन	2.00	0.11	0.50	0.00	1.39
87		2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्कर्मण	52.35	7.83	1.50	0.00	43.02
88		2245-02-112-0003- आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय	15.00	0.00	3.75	0.00	11.25
89		2245-02-112-0004- संचार उपकरणों का क्रय	5.00	0.00	1.25	0.00	3.75
90		2245-02-113-0001- बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापन	4.00	0.12	1.00	0.00	2.88
91		2245-02-114-0002- वार्षिक फसलों के लिये सहायता	0.50	0.00	0.13	0.00	0.37
92		2245-02-114-0004- बागवानी की फसलों के लिये सहायता	0.10	0.00	0.03	0.00	0.07
93		2245-02-114-0005- पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिये सहायता	0.10	0.00	0.03	0.00	0.07
94		2245-02-115-0001- भूमि से रेत / गाद / लवणता साफ करने के लिये किसानों की सहायता	0.50	0.00	0.13	0.00	0.37
95		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद / बालू आदि का निकासन	0.10	0.00	0.03	0.00	0.07

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	आंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96	39	2245-02-116-0001- खराब ट्यूब बैलों, पंप सेटों आदि की मरम्मती के लिये किसानों को सहायता	0.10	0.00	0.03	0.00	0.07
97		2245-02-117-0001- बाढ़/सुखाढ़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	1.00	0.01	0.25	0.00	0.74
98		2245-02-117-0003- जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव	1.25	0.03	0.13	0.00	1.09
99		2245-02-800-0008- क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	2.33	0.00	0.56	0.00	1.77
100	40	2029-00-104-0002- हाट, बाजार कंचहरी इत्यादि की सुरक्षा	5.88	4.11	0.02	1.44	0.31
101		4047-00-789-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	26.25	12.22	3.38	10.46	0.19
102	41	5054-02-337-0101- भारत नेपाल सीमा सङ्क	720.00	273.27	180.00	221.16	45.57
103	42	2515-00-102-0001- प्रखंड स्थापना	283.90	242.02	0.35	36.33	5.20
104	43	2203-00-105-0001- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	36.16	30.18	0.41	5.40	0.17
105	46	3452-80-001-0001- निवेशालय	14.22	12.63	0.80	0.78	0.01
106	47	2041-00-102-0001- वाहनों का निरीक्षण	5.66	1.87	1.20	2.55	0.04
107	48	2215-01-191-0101- पेय जलापूर्ति के लिये स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	10.92	8.13	2.73	0.00	0.06
108		2215-01-193-0101- पेय जलापूर्ति के लिये नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	14.00	10.16	3.50	0.25	0.09
109		2215-01-789-0101- पेय जलापूर्ति के लिये स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	20.08	6.67	5.02	0.00	8.39
110		2215-01-789-0102- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	75.00	44.22	18.75	8.56	3.47
111		2215-01-789-0103- पेय जलापूर्ति के लिये नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	79.00	55.45	19.75	3.52	0.28
112		2215-02-191-0102- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	42.00	26.57	10.50	4.01	0.92
113		2215-02-192-0102- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	48.00	33.37	12.00	0.58	2.05
114	115	2215-02-193-0102- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	42.00	28.71	10.50	1.07	1.72
115		2215-02-789-0101- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	24.00	16.84	6.00	0.19	0.97

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
116	48	2217-01-191-0115- परिवहन के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	109.00	90.34	14.75	3.75	0.16
117		2217-03-192-0105- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदान	96.00	65.60	24.00	1.77	4.63
118		2217-03-193-0103- परिवहन के लिये शहरी निकायों को सहायक अनुदान	75.00	49.52	18.75	0.83	5.90
119		2217-03-789-0102- परिवहन के लिये स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	12.00	8.35	3.00	0.61	0.04
120	49	2701-04-101-0002- अन्य रख रखाव व्यय	13.50	7.40	3.25	2.84	0.01
121		2711-01-103-0002-अन्य रख रखाव व्यय	110.45	68.49	10.00	30.82	1.14
122		2711-03-001-0001- क्षेत्रीय रक्षापना	23.70	20.42	1.10	1.58	0.60
123		4700-01-051-0103- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य), (नावार्ड संपोषित योजना)	25.40	2.98	1.35	18.65	2.42
124		4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	12.75	5.93	3.00	3.79	0.03
125		4700-02-051-0103- गांडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य), (नावार्ड संपोषित योजना)	20.00	0.01	5.00	14.60	0.39
126		4700-04-051-0101- क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य), (नावार्ड संपोषित योजना)	29.20	12.95	6.50	9.69	0.06
127		4700-04-051-0103- क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य), (नावार्ड संपोषित योजना)	35.00	2.85	8.75	15.61	7.79
128		4700-80-051-0102- नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	25.00	4.14	6.25	14.46	0.15
129		4701-04-051-0101- क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	38.73	9.81	9.60	18.04	1.28
130		4701-04-051-0103- क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य), (नावार्ड संपोषित योजना)	11.21	5.37	2.80	3.02	0.02
131	51	2235-02-106-0001- प्रतिप्रेक्षण गृह	5.95	2.08	0.80	2.99	0.08
योग			21687.78	15836.12	1166.30	1207.01	3478.35

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर, 2015-16)

परिशिष्ट—2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 43)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पॉच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1—कृषि विभाग	2401-00-102-0201- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	73.79	31.65	38.84	3.30	52.64
2		2401-00-105-0307- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	53.85	17.27	35.38	1.20	65.70
3		2401-00-119-0101- उद्यान विकास योजना	62.40	27.39	35.01	0.00	56.11
4		2401-00-119-0224- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30.26	11.62	18.64	0.00	61.60
5		2401-00-119-0324- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	31.04	10.29	20.75	0.00	66.85
6		2401-00-789-0106- इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	34.82	12.84	21.91	0.07	62.92
7		2401-00-789-0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम	40.82	17.63	23.19	0.00	56.81
8		2401-00-789-0120- प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैंकानाइजेशन	54.64	16.54	37.96	0.14	69.47
9		2401-00-789-0125- बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	55.00	11.20	43.22	0.58	78.58
10		2401-00-789-0126- जैविक खेती का उन्नयन	40.00	18.30	21.67	0.03	54.18
11		2401-00-789-0130- बागवानी विकास योजना	16.00	5.28	10.72	0.00	67.00
12		2401-00-789-0237- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.22	5.23	8.00	0.99	56.26
13		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.32	2.91	5.59	1.82	54.17
14		2401-00-789-0335- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	6.68	0.00	5.51	1.17	82.49
15		2401-00-789-0336- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	14.28	0.19	10.40	3.69	72.83
16		2401-00-789-0338- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	11.37	3.33	7.99	0.05	70.27
17		2401-00-796-0331- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए.सी.ए.)	13.61	0.00	12.22	1.39	89.79
18		2402-00-102-0213- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्लू एम पी)	11.15	5.31	5.84	0.00	52.38
19		2402-00-102-0313- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्लू एम पी)	40.87	3.73	37.14	0.00	90.87
20		2402-00-789-0302- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्लू एम पी)	8.87	0.70	8.17	0.00	92.11
21		2415-01-277-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	343.20	73.45	269.75	0.00	78.60
22		2415-01-789-0103- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	88.00	14.16	73.84	0.00	83.91

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	1—कृषि विभाग	2415-01-796-0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	8.80	0.83	7.91	0.06	89.89
24		4401-00-051-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	17.12	5.55	11.57	0.00	67.58
25		4401-00-105-0201- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	25.86	5.38	20.48	0.00	79.20
26		4402-00-102-0202- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम	43.22	10.00	33.22	0.00	76.86
27	2—पशु एवं मत्स्य—संसाधन विभाग	2403-00-103-0106- मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण	10.00	1.11	8.89	0.00	88.90
28		2403-00-106-0210- राष्ट्रीय पशुधन, स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	51.20	19.90	31.28	0.02	61.09
29	3—भवन निर्माण विभाग	4047-00-051-0105- कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिस्थापन	10.00	2.87	6.92	0.21	69.20
30		4059-01-051-0116- संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	10.00	2.83	7.17	0.00	71.70
31		4059-01-051-0117- प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	496.60	101.31	394.86	0.43	79.51
32		4059-01-051-0119- कृषि कार्यालय भवन	22.09	2.45	19.42	0.22	87.91
33		4059-01-796-0104- अनुसूचित जनजाति के भवन	20.00	0.24	19.76	0.00	98.80
34		4059-60-051-0015- ईवी०एम० गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग)	40.00	18.86	20.96	0.18	52.40
35		4059-60-051-0017- वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए०वी०आ०२० केन्द्र की स्थापना	8.15	1.09	7.06	0.00	86.63
36		4059-60-051-0218- अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	19.60	0.00	17.47	2.13	89.13
37		4059-60-051-0318- अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	7.60	1.78	5.82	0.00	76.58
38		4059-80-051-0118- पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	8.00	0.37	7.63	0.00	95.38
39		4059-80-051-0122- आई टी भवन	65.00	2.68	62.32	0.00	95.88
40		4059-80-051-0320- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	9.53	2.72	6.37	0.44	66.84
41		4216-01-700-0101- अन्य आवास	10.00	0.57	9.43	0.00	94.30
42		4216-01-700-0206- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	11.00	0.75	10.25	0.00	93.18
43		4515-00-101-0107- बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित) के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण	228.10	0.42	227.68	0.00	99.82
44	8—कला संस्कृति तथा युगा विभाग	2204-00-104-0102- खेल कूद	12.70	4.44	8.26	0.00	65.04
45		2205-00-107-0101- संग्रहालय	16.90	6.62	9.98	0.30	59.05

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	9—सहकारिता विभाग	2401-00-110-0101- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	9.42	0.00	6.45	2.97	68.47
47		2425-00-108-0415- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	151.63	52.00	99.63	0.00	65.71
48		4425-00-051-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) (एसीए)	48.53	23.46	25.07	0.00	51.66
49		4425-00-051-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) (एसीए)	14.50	5.78	8.72	0.00	60.14
50	10—ऊर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिं० (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति	10.00	3.64	6.36	0.00	63.60
51		4801-05-190-0113- विशेष सहायता (बीआरजी—ऊर्जा) (एस बी पी डी सी एल के लिए)	730.00	282.53	447.47	0.00	61.30
52		4801-05-190-0114- विशेष सहायता (बीआरजी—ऊर्जा) (बीपी०डी०सी०एल०)	733.00	315.00	418.00	0.00	57.03
53		6801-00-190-0108-बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिं० की संचरण तथा वितरण परियोजना (बाह्य संपोषित योजना)	335.37	41.70	293.67	0.00	87.57
54	11—पिछङ्गा एवं अतिपिछङ्गा कल्याण विभाग	2225-03-277-0212- अन्य पिछड़े वर्गों और बिना अधिसूचित, घूमांतू तथा अर्ध घूमांतू जनजातियों के विकास के लिये स्कीम	303.28	3.65	163.28	136.35	53.84
55	12—वित्त विभाग	2054-00-095-0103- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ड्रानेट (ब्रेन परियोजना एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)	30.00	9.61	19.69	0.70	65.63
56	16—पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0102- जिला पंचायत की स्थापना	10.00	3.21	6.79	0.00	67.90
57		2515-00-196-0003- पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	226.92	13.28	212.79	0.85	93.77
58		2515-00-197-0001- पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	453.83	27.92	425.55	0.36	93.77
59		2515-00-198-0010- ग्राम कचहरी के विभिन्न मर्दों हेतु	159.80	39.39	116.89	3.52	73.15
60	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0001- मुख्यालय प्रभार	44.10	17.63	26.29	0.18	59.61
61		3456-00-102-0407- लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	17.89	0.37	17.44	0.08	97.48
62		3456-00-102-0105- लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	200.00	0.52	199.47	0.01	99.74
63		3456-00-102-0306- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1399.19	561.04	838.15	0.00	59.90
64	20—स्वास्थ्य विभाग	2210-03-110-0203- एन आर एच एम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	586.58	242.06	344.52	0.00	58.73
65	21—शिक्षा विभाग	2202-01-107-0001- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	40.63	3.73	36.90	0.00	90.82

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66	21-शिक्षा विभाग	2202-03-102-0115- राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	192.35	17.66	107.30	67.39	55.78
67		4202-01-202-0103- राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	291.57	136.24	150.00	5.33	51.45
68		4202-01-789-0101- राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	200.00	14.04	150.00	35.96	75.00
69	22-गृह विभाग	2055-00-001-0008- सिपाहियों के नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन परिषद	17.49	1.61	15.88	0.00	90.79
70		2055-00-109-0006- उग्रवाद प्रभावित थानों / ओ०पी० के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यय एस आर ई स्कीम के तहत	14.00	5.82	8.17	0.01	58.36
71		4055-00-207-0101- राज्य पुलिस का आयुनिकीकरण	54.24	0.00	52.42	1.82	96.64
72	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-0103- हस्तकरघा विकास की योजना	27.30	10.58	16.72	0.00	61.25
73		2851-00-104-0101- हस्तशिल्प का विकास	17.32	4.46	12.86	0.00	74.25
74		2851-00-107-0101- पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास	56.49	19.30	37.19	0.00	65.83
75		2852-08-796-0101- आर्थिक सहायता	11.81	4.52	7.25	0.04	61.39
76	24- सूचना एवं जनसमर्पक विभाग	2220-01-001-0001- निर्देशन और प्रशासन	14.47	5.45	9.01	0.01	62.27
77		2220-60-106-0101- क्षेत्रीय प्रचार योजना	88.08	34.24	53.63	0.21	60.89
78	25- सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास मिशन	18.30	1.70	16.60	0.00	90.71
79		2852-07-202-0107- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रचार प्रसार योजना	8.18	0.22	7.96	0.00	97.31
80		2852-07-202-0109- ई-शासन राज्य योजना	108.05	53.35	54.70	0.00	50.62
81		3451-00-090-0118- सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	10.00	4.25	5.75	0.00	57.50
82	26- श्रम संसाधन विभाग	2230-03-003-0233- कौशल विकास मिशन	13.95	2.09	11.86	0.00	85.02
83	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0210- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	34.00	8.44	25.56	0.00	75.18
84	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0001- बिहार कर्मचारी चयन आयोग	20.49	4.70	15.79	0.00	77.06
85	35- योजना एवं विकास विभाग	3451-00-101-0101- बिहार राज्य योजना बोर्ड	7.00	0.02	6.98	0.00	99.71
86		3454-02-204-0401- आर्थिक जनगणना	11.42	3.68	7.74	0.00	67.78
87		3454-02-205-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना	74.21	8.53	65.67	0.01	88.49
88		4070-00-051-0114- आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक सम्पोषित	887.63	323.17	564.46	0.00	63.59
89	36-लैक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-789-0312- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	57.90	26.32	31.35	0.23	54.15

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
90	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-113-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्निर्माण	405.00	15.18	355.00	34.82	87.65
91	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4047-00-789-0101- भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	26.25	12.22	13.84	0.19	52.72
92	41- पथ निर्माण विभाग	5054-02-337-0101- भारत-नेपाल सीमा सड़क	720.00	273.27	401.16	45.57	55.72
93		5054-03-337-0111- विशेष सहायता (बी. आर. जी. पथ)	600.00	300.00	300.00	0.00	50.00
94	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00	0.98	9.02	0.00	90.20
95		2216-03-105-0202- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1087.03	465.13	621.90	0.00	57.21
96		2216-03-789-0103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	300.00	39.65	260.35	0.00	86.78
97		2216-03-796-0202- इंदिरा आवास योजना	47.49	21.37	26.12	0.00	55.00
98		2501-06-789-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	163.55	78.96	84.59	0.00	51.72
99		2505-02-101-0301- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	333.06	96.54	236.52	0.00	71.01
100		2515-00-102-0116- बिहार एकीकृत सामाजिक सुदृढीकरण (बाह्य संपोषित योजना)	7.00	0.98	6.02	0.00	86.00
101		2515-00-102-0117- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	268.83	101.62	167.21	0.00	62.20
102		2515-00-789-0110- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	155.92	58.94	96.98	0.00	62.20
103		2515-00-796-0117- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	112.91	42.68	70.23	0.00	62.20
104		4515-00-103-0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य	183.00	10.05	172.95	0.00	94.51
105	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0105- कौशल विकास मिशन	10.00	0.03	9.97	0.00	99.70
106		4202-02-104-0102- पॉलिटेक्निक/ इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय	19.00	8.89	10.07	0.04	53.00
107	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-190-0001- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना	8.97	3.00	5.97	0.00	66.56
108		2225-01-277-0002- छात्रावासों का संधारण	12.00	5.38	6.62	0.00	55.17
109		2225-01-277-0318- अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	10.00	3.58	6.25	0.17	62.50
110		2225-02-102-0101- भारतीय संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के वहुमुखी विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्ति	17.22	0.00	11.36	5.86	65.97
111		2225-02-277-0214- अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्बेला स्कीम	17.04	7.19	9.85	0.00	57.81

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
112	45- गन्ना उधोग विभाग	2401-00-108-0109- ईख विकास	72.00	19.04	52.53	0.43	72.96
113	46- पर्यटन विभाग	5452-01-101-0406- टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम	6.79	0.16	6.63	0.00	97.64
114	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-01-053-0001- बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	13.00	4.69	8.31	0.00	63.92
115	49- जल संसाधन विभाग	2217-04-051-0202- राजीव आवास योजना	328.87	0.11	328.76	0.00	99.97
116		4700-01-051-0103- कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड संपोषित योजना)	25.40	2.98	20.00	2.42	78.74
117		4700-01-789-0101- कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	12.75	5.93	6.79	0.03	53.25
118		4700-02-051-0103- गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	20.00	0.01	19.60	0.39	98.00
119		4700-03-051-0103- सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड संपोषित योजना)	5.69	0.39	5.30	0.00	93.15
120		4700-04-051-0101- किउल-बदुआ चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	29.20	12.95	16.19	0.06	55.45
121		4700-04-051-0103- गंडक किउल बदुआ चंदन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड संपोषित योजना)	35.00	2.85	24.36	7.79	69.60
122		4700-04-051-0204- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ प्रबंधन कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	28.80	9.41	18.11	1.28	62.88
123		4700-80-051-0102- नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	25.00	4.14	20.71	0.15	82.84
124		4701-04-051-0101- किउल-बदुआ-चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	38.73	9.81	27.64	1.28	71.37
125		4701-04-051-0103- किउल-बदुआ-चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड सम्पोषित योजना)	11.21	5.37	5.82	0.02	51.92
126	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0001- सर्वेक्षण और जाँच	349.23	164.08	185.05	0.10	52.99
127		2702-02-005-0002- उद्धव सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	20.50	3.91	16.59	0.00	80.93
128		2702-03-101-0002- अन्य रखरखाव व्यय	8.25	0.35	7.86	0.04	95.27
129		2702-03-102-0005- अन्य रखरखाव व्यय	14.50	0.61	13.88	0.01	95.72
130		2702-03-789-0101- निजी-नलकूप	27.43	2.69	24.74	0.00	90.19
131		4702-00-101-0304- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ प्रबंधन कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	33.93	9.09	24.84	0.00	73.21
132		4702-00-102-0102- नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड से ऋण	58.52	3.09	55.43	0.00	94.72
133	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0224- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	83.26	10.41	72.35	0.50	86.90

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
134	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0324- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	29.95	5.33	24.50	0.12	81.80
135		2235-02-103-0109- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	42.00	18.89	22.45	0.66	53.45
136		2235-02-103-0219- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	69.69	29.61	40.08	0.00	57.51
137		2235-02-104-0104- बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	167.36	17.80	149.56	0.00	89.36
138		2235-02-789-0107- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	17.00	6.61	10.18	0.21	59.88
139		2235-02-789-0312- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	9.09	1.39	7.67	0.03	84.38
140		2236-02-101-0203- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस)	1027.50	463.88	558.93	4.69	54.40
योग			17072.50	5179.92	11511.27	381.31	67.43

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2015–16)

परिशिष्ट—2.8
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 43)
निधियों का शत्-प्रतिशत् अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	योजनाओं के नाम (लेखा शीर्ष)	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	2401-00-001-0103- नई कार्य योजना का राज्यांश—एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	7.80
2		2401-00-103-0417- गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	10.00
3		2401-00-109-0114- एग्री बिजनेस इन्फास्ट्रकचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	50.66
4		2401-00-789-0124- एग्रीकल्चर मार्केटिंग	2.00
5		2401-00-789-0132- एग्री बिजनेस इन्फास्ट्रकचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	12.20
6		2401-00-796-0145- एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.20
7		2401-00-796-0154- एग्री बिजनेस इन्फास्ट्रकचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	1.22
8		2415-01-277-0101- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.17
9		3475-00-106-0402- वैद्यानिक भार एवं भाप का सुदृढ़ीकरण	5.00
10		4401-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) (ए सी)	231.33
11		4401-00-102-0202- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	52.40
12		4401-00-113-0201- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन	26.10
13		4401-00-114-0201- राष्ट्रीय तेलहन तथा औयल पाम मिशन	2.09
14		4401-00-119-0201- राष्ट्रीय तेलहन तथा औयल पाम मिशन	36.46
15		4401-00-789-0202- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) (ए सी)	30.42
16		4401-00-796-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) (ए सी)	1.90
17	2	2403-00-102-0101- फोजन सीमन बैंक	1.00
18		2403-00-102-0110- गौशाला के विकास की योजना	2.00
19		2403-00-103-0211- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	3.00
20		2403-00-789-0101- बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	11.20
21		2403-00-789-0102- बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	5.32
22		2403-00-789-0205- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5.60
23		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.22
24		2403-00-796-0124- बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	3.36
25		2403-00-796-0125- बैंकयार्ड मुर्गी पालन योजना	2.00
26		2403-00-796-0226- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.68
27		2404-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.25
28		2405-00-101-0103- मन मत्स्य का विकास	1.00
29		2405-00-101-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	13.77
30		2405-00-101-0301- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.00
31		2415-03-277-0101- बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1.00
32	3	2059-01-053-0017- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.71
33		2059-01-053-0021- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.50
34		2059-01-053-0102- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार	2.00
35		2059-80-053-0010- मरम्मत—राजभवन के लिए	1.87
36		2059-80-103-0004- निरीक्षण भवनों का साज—सज्जा	0.25
37		4059-01-051-0106- मंत्रिमंडल संविधालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ—सह कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	3.00
38		4059-01-051-0107- वित्त विभाग के भवन	20.00
39		4059-01-051-0111- उत्पाद विभाग के भवन	1.83
40		4059-01-051-0124- बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु	1.20
41		4059-60-051-0222- कौशल विकास योजना	8.70
42		4059-60-051-0322- कौशल विकास योजना	1.00
43		4059-80-004-0001- निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.15
44		4059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2.00
45		4059-80-051-0002- लघु निर्माण	2.00
46		4210-01-110-0115- कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा औषधालय	0.50

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	योजनाओं के नाम (लेखा शीर्ष)	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
47	3	4216-01-700-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.05
48		4216-80-051-0103- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिये आवास	2.00
49		4216-80-101-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
50		4225-80-051-0104-अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	0.50
51		4235-02-104-0101- वृद्धा आश्रम	2.00
52		4515-00-789-0106-बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	50.00
53	4	2070-00-001-0103- जन शिकायत निवारण व्यवस्था	10.00
54	5	2012-03-103-0004- राज्यपाल का सज्जा भत्ता	0.05
55	8	2204-00-102-0206-राष्ट्रीय सेवा योजना	1.29
56		2204-00-102-0306- राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एम एस)	0.92
57		2204-00-104-0207-पंचायत युवा क्रीड़ा और लेख अभियान (पी.वाई.के के ए)	1.82
58		2204-00-789-0202-राष्ट्रीय बचत योजना	0.25
59		2204-00-789-0302- राष्ट्रीय सेवा योजना	0.18
60	9	2408-02-190-0101-बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	15.05
61		2425-00-001-0003-सहकारी अधिकरण	0.17
62		6425-00-108-0418-एकीकृत सहकारी विकास योजना	1.95
63	10	2801-05-190-0004-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	40.00
64		4801-02-190-0104- विशेष सहायता (बी आर जी-उज्जा) (बी एस पी जी सी एल)	87.00
65		6801-00-201-0101-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	20.00
66		6801-00-201-0105- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबाड़ी)	67.80
67	11	2225-03-277-0213-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2.00
68	12	2204-00-104-0005- अखिल भारतीय सेवाओं के लिये आयोजित प्रतियोगिता हेतु सचिवालय स्पॉट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.07
69		4058-00-103-0101-मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	4.00
70	13	2049-60-701-0001- अंतरिम भुगतान	0.10
71	16	2515-00-003-0304- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम	5.13
72		2515-00-101-0110- पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन	227.82
73		2515-00-196-0007- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अशंदान	89.09
74		2515-00-196-0308- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	10.00
75		2515-00-197-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	172.09
76		2515-00-197-0305- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	14.00
77		2515-00-198-0009- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	752.98
78		2515-00-198-0111- मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	12.50
79		2515-00-198-0312- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	160.08
80		2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	112.46
81		2515-00-789-0108- मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	12.50
82		6515-00-190-0001- बिहार पंचायती राज्य वित्त निगम लिमिटेड को कर्ज	2.00
83	17	2040-00-003-0001- बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
84	18	3456-00-001-0405-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन	0.08
85		3456-00-001-0407- उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण	1.10
86		3456-00-103-0101- बीपीएल परिवारों को न्यूनतम दर पर खाद्यान्न आपूर्ति	9.05
87	19	2406-02-110-0121- वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	0.15

क्रम सं०	अनुदान संख्या	योजनाओं के नाम (लेखा शीर्ष)	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
88	20	2210-01-110-0019- रोगी कल्याण समितियों हेतु	2.00
89		2210-02-200-0202- पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47
90		2210-04-200-0203- पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.98
91		2210-05-105-0015- शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	0.10
92		2210-05-105-0016- नामांकन पर्यवेक्षण समिति	0.10
93		4210-01-051-0103- जिला चिं पदां के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	2.00
94		4210-01-200-0301- एन आर एच एम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1.00
95		4210-02-110-0203- एन आर एच एम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	500.00
96		4210-02-110-0303- एन आर एच एम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1.75
97		2055-00-001-0006- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.10
98	22	2055-00-109-0009- एस आर इ योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिये जाने वाले वाहनों /हेलीकाप्टरों / संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार)	5.20
99		2070-00-003-0004- अभिनश्शमण सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.05
100		2070-00-108-0205- पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	2.00
101		2235-01-202-0004- आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.30
102		2235-60-200-0016-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनों की शादी हेतु	0.25
103		2851-00-103-0326- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	0.55
104	23	2852-80-102-0110- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	31.00
105		6857-01-190-0001- बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम को ऋण	0.75
106		2220-60-103-0002- शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.08
107	24	2235-60-200-0115- पत्रकार पेंशन योजना	0.10
108		2852-07-202-0101- राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेंटर	1.00
109	25	2852-07-202-0103- ई-शासन परियोजनाओं के डी पी आर हेतु	1.00
110		2852-07-202-0104- ई-क्रय योजना	1.00
111		2852-07-202-0105- राज्य की पोर्टल योजना	1.00
112		2852-07-202-0110- ई डी स्ट्रीक योजना	1.00
113		6859-02-190-0001- बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	0.38
114	26	2230-02-101-0112- सीमापार श्रमिक आवास अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	30.00
115		2230-03-003-0128-भविष्य में कुशल श्रम शक्ति की माँग के आकलन के लिये	0.05
116		2235-60-110-0101-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	8.80
117		2235-60-789-0202- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा	50.70
118		2235-60-796-0201- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा	4.04
119		4250-00-050-0101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिये	4.00
120		2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिल/एसोसिएशन को अनुदान	7.00
121	30	2250-00-101-0101- अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	2.00

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	योजनाओं के नाम (लेखा शीर्ष)	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
122	30	2250-00-800-0108- वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवालविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में	0.20
123		5465-01-190-0103- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूँजी में इम्पूटिपार्टिसिपेशन राज्य के हिस्सा पूँजी के रूप में अंशदान	0.50
124	33	2051-00-103-0002- बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	2.86
125		2070-00-001-0004- सुशासन केन्द्र सोसाईटी	4.51
126	35	2053-00-093-0107- मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	4.00
127		2059-01-053-0024- मेला, हाट, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	2.00
128		3454-02-204-0120- भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.60
129	36	2215-02-003-0102- बिहार राज्य जल स्वच्छता मिश्रण को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	0.25
130		4215-01-102-0125- जल गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.10
131		4215-01-102-0126- प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	0.10
132		4215-01-796-0111- प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	0.30
133	38	2030-02-101-0002- प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से मिलने वाले स्टांपों की लागत	2.00
134		2030-03-001-0004- विवाह निबंधन पंजियों एवं प्रपत्रों की छपाई लागत	0.10
135		2039-00-001-0007- उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिये मुआवजा	0.20
136	39	2245-80-003-0001- आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05
137	40	2029-00-104-0004- जर्मिंदारी उन्मूलन बन्ध	0.42
138		2070-00-800-0022- बिहार राज्य मेला प्राधिकार	0.43
139		4047-00-051-0104- भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष के निर्माण	1.00
140	42	2216-03-105-0102- इंदिरा आवास योजना	100.00
141		2216-03-105-0104- इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	4.00
142		2501-06-101-0101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	200.00
143		2501-06-789-0101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	100.00
144		2505-60-105-0101- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना	459.85
145		2505-60-789-0101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	135.50
146		2515-00-003-0101- बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.50
147		4515-00-051-0101- प्रखंड के भवनें	53.40
148		4515-00-102-0102- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	7.00
149	43	2203-00-004-0001- अनुदान एवं अनुसंधान शोध वृत्ति	0.35
150		2203-00-004-0101- बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेंसिंग केन्द्र / इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर (प्लेनेटोरियम, पटना)	12.97
151		2203-00-112-0203- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	1.39
152	44	2070-00-001-0106- अम्बेदकर फाउंडेशन	20.00
153		2225-01-001-0101- निदेशन एवं प्रशासन	1.00
154		2225-01-102-0017- अनुसूचित जातियों के खानाबदेश जातियों का कल्याण	0.12
155		2225-01-102-0101-5 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.50
156		2225-01-102-0216- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी एम ए जी वाई)	11.00
157		2225-02-277-0005- प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	0.26

क्रम सं०	अनुदान संख्या	योजनाओं के नाम (लेखा शीर्ष)	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
158	44	2225-02-277-0314- अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के शिक्षा के लिये अञ्चला स्कीम	0.05
159		2225-02-796-0125- थरुहट क्षेत्र का विकास	25.30
160	45	2401-00-108-0221- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (गन्ना विकास हेतु)	1.81
161	47	3055-00-003-0101- ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट	0.60
162	48	2215-02-106-0202- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन आर सी पी)	173.00
163		2215-02-789-0203- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन आर सी पी)	32.62
164		2217-01-190-0101- बिहार राज्य आवास बोर्ड को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायक अनुदान	100.00
165		2217-02-191-0110- शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00
166		2217-03-192-0106- शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00
167		2217-03-193-0105- शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित	1.00
168		2217-05-001-0107- शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00
169		2217-05-051-0102- बिहार नगरीय विकास परियोजना (बाह्य संपोषित)	30.24
170		2217-80-001-0101- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	381.34
171		4217-01-001-0201- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	3.94
172		4217-01-051-0201- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	24.66
173		4217-03-001-0201- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	0.98
174		4217-03-051-0201- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	8.14
175	49	4711-01-051-0105- जल निस्सरण परियोजनाये (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	0.10
176		6701-60-190-0001- जल निस्सरण परियोजनाये (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	1.63
177	50	2702-02-005-0101-सर्वेक्षण एवं जाँच	20.00
178	51	2235-02-101-0111-विभिन्न संस्थाओं के लिये क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.13
179		2235-02-101-0220-असहाय लोगों के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	5.00
180		2235-02-103-0111-कन्या सुरक्षा योजना	32.00
181		2235-02-789-0109- मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना	13.40
182		4235-02-102-0106- सुधार गृह, बालगृह के लिये भवन	0.30
		कुल	5,133.94

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख, 2015–16)

परिशिष्ट– 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 44)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं
किए गए बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05- राज्यपाल सचिवालय	2012	2.45	0.27	2.18	89.14
2	09- सहकारिता विभाग	2401	111.90	37.00	74.90	66.93
3	12- वित्त विभाग	2047	19.93	0.15	19.78	99.24
4	15- पेंशन	2071	1337.67	0.02	1337.65	100.00
5	20- स्वास्थ्य विभाग	2211	118.03	0.00	118.03	100.00
6	21- शिक्षा विभाग	2202	6105.36	116.45	5988.91	98.09
7		2204	4.60	0.00	4.60	100.00
8		2205	2.14	0.00	2.14	100.00
9		2251	2.44	0.00	2.44	100.00
10		4202	458.05	300.00	158.05	34.51
11	22- गृह विभाग	4055	108.56	53.00	55.56	51.18
12	26- श्रम संसाधन विभाग	2235	159.54	63.62	95.92	60.12
13	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	4.43	2.20	2.23	50.38
14	35- योजना एवं विकास विभाग	2053	63.01	4.00	59.01	93.65
15	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215	242.69	189.78	52.91	21.80
16	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245	1397.65	1030.28	367.37	26.28
17	46- पर्यटन विभाग	5452	26.70	6.63	20.07	75.17
योग			10165.15	1803.40	8361.75	82.26

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 44)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401- फसल कृषि कर्म	2566.27	1155.24	45.02
2		2402- मृदा तथा जल संरक्षण	95.33	65.76	68.98
3		2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	710.75	359.61	50.60
4		4401- फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	428.98	416.96	97.20
5		4402- भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	43.22	33.22	76.86
6	2	2403- पशुपालन	364.28	100.17	27.50
7		2404- डेयरी विकास	114.89	17.01	14.81
8		2405- मत्स्य पालन	112.28	41.17	36.67
9	3	2059- लोक निर्माण कार्य	548.77	59.31	10.81
10		4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16.04	11.47	71.51
11		4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2045.83	1000.42	48.90
12		4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	87.04	37.32	42.88
13		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	278.10	277.68	99.85
14	4	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	51.27	20.33	39.65
15	8	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	57.21	21.11	36.90
16		2205- कला और संस्कृति	70.60	38.26	54.19
17	9	2408- खाद्य-भंडारण तथा भांडागार	15.05	15.05	100.00
18		2425- सहकारिता	341.99	136.64	39.95
19		4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	113.44	35.19	31.02
20		6425- सहकारिता के लिए कर्ज	132.77	32.77	24.68
21	10	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3575.43	786.47	22.00
22		6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	567.17	421.39	74.30
23	12	2052- सचिवालय—सामान्य सेवाएँ	86.30	36.70	42.53
24		2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन	125.48	34.77	27.71
25	16	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	5313.52	2479.42	46.66
26	17	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	131.25	32.25	24.57
27	18	3456- सिविल पूर्ति	1992.64	973.52	48.86
28	19	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	317.84	43.25	13.61
29	20	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3955.68	648.33	16.39
30		4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर परिव्यय	1658.63	579.37	34.93
31	21	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1283.05	300.00	23.38
32	22	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	433.06	53.00	12.24

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	22	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	60.00	20.04	33.40
34	23	2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	166.50	81.69	49.06
35		2852- उद्योग	1203.28	301.46	25.05
36	24	2220- सूचना तथा प्रचार	215.03	73.11	34.00
37	25	2230- श्रम तथा रोजगार	18.30	12.11	66.17
38		2852- उद्योग	161.88	77.40	47.81
39	26	2230- श्रम तथा रोजगार	248.76	76.04	30.57
40		2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	274.82	63.62	23.15
41	27	2014- न्याय प्रशासन	651.27	143.91	22.10
42	28	2014- न्याय प्रशासन	137.48	36.93	26.86
43	30	2202- सामान्य शिक्षा	253.28	25.62	10.12
44	32	2011- संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधान मंडल	151.20	23.05	15.24
45	33	2051- लोक सेवा आयोग	23.34	18.64	79.86
46		2053- जिला प्रशासन	367.71	130.54	35.50
47		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.39	17.07	36.80
48	35	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	137.54	92.27	67.09
49		4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2014.98	581.84	28.88
50	36	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	458.00	98.91	21.60
51		4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1205.94	189.78	15.74
52	37	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	302.14	111.40	36.87
53		3054- सड़क तथा सेतु	1100	271.18	24.65
54		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	9084.93	1112.52	12.25
55	38	2030- स्टांप तथा पंजीकरण	80.11	24.57	30.67
56		2039- राज्य उत्पाद शुल्क	73.73	23.88	32.39
57	39	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2775.45	1030.28	37.12
58	40	2029- भू-राजस्व	653.52	214.24	32.78
59		3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	47.72	14.26	29.88
60		4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	37.57	15.09	40.17
61	41	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4949.77	510.39	10.31
62	42	2216- आवास	2928.64	1492.73	50.97
63		2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	935.15	637.04	68.12
64		2505- ग्राम रोजगार	2312.98	1149.82	49.71
65		2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	832.05	245.85	29.55
66		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	243.41	233.35	95.87
67	43	2203- तकनीकी शिक्षा	120.13	35.86	29.85
68		4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	42.21	17.35	41.10
69	44	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	20.00	20.00	100.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अस्पष्टि राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	44	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछँ वर्गों का कल्याण	1893.96	246.08	12.99
71	45	2401- फसल कृषि-कर्म	100.41	69.68	69.40
72	47	2041- वाहन कर	55.76	13.34	23.92
73	48	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	600.85	223.78	37.24
74		2217- शहरी विकास	2472.70	858.44	34.72
75		4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	37.73	37.73	100.00
76	49	2701- मध्यम सिंचाई	123.64	15.05	12.17
77		2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	261.80	39.14	14.95
78		4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	894.74	148.16	16.56
79		4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	176.97	65.37	36.94
80	50	2702- लघु सिंचाई	688.85	356.09	51.69
81		4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	322.67	122.12	37.85
82		2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5134.58	881.43	17.17
83	51	2236- पोषण	1655.99	564.52	34.09
84		4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	95.11	40.79	42.89
योग			76485.12	23168.70	30.29

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट— 2.11
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 44)
माह मार्च 2016 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)					
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय	माह मार्च 2016 में कुल व्यय	2015–16 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2016 में व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	कृषि विभाग	1766.17	701.91	39.74
2	9	सहकारिता विभाग	766.88	459.87	59.97
3	11	पिछङ्गा वर्ग एवं अतिपिछङ्गा वर्ग कल्याण विभाग	2589.53	1020.21	39.40
4	16	पंचायती राज विभाग	2923.32	1493.31	51.08
5	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1424.85	715.55	50.22
6	23	उद्योग विभाग	993.71	408.22	41.08
7	33	सामान्य प्रशासन विभाग	367.79	140.51	38.20
8	39	आपदा प्रबंधन विभाग	394.66	189.03	47.90
9	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1977.47	765.08	38.69
10	51	समाज कल्याण विभाग	5309.79	2013.66	37.92
योग			18514.17	7907.35	42.71

(स्रोत: लेखे पर टिप्पणियाँ 2015–16, बिहार सरकार)

परिशिष्ट- 2.12

(संदर्भ: कड़िका 2.4; पृष्ठ 44)

बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

(₹ लाख में)

क्रम सं०	शीष	विभाग का नाम	एसी विपत्र पर आहरित राशि की अवधि	एसी विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की अवधि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015	अपर निर्वाचन अधिकारी, सुपौल	06/06/08	9.39	07/08/10	1.11	25
2		प्रखंड विकास पदाधिकारी, लडनिया, मधुबनी	22/03/06	3.20	27/12/14	2.61	105
3		पदासीन अपर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	14/10/10	271.20	08/09/14	17.02	47
4		प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनसाही, कटिहार	19/02/11	0.61	29/08/14	0.18	42
5	2029	एन.डी.सी., शेखपुरा	31/03/05	9.65	19/08/10	2.94	65
6	2055	एन.डी.सी., दरभंगा	17/03/12	30.00	03/01/14	9.46	21
7		अपर पुलिस निदेशक सह लेखा प्रभारी, जहानाबाद	17/04/09	5.00	25/06/10	1.36	14
8		एन.डी.सी., दरभंगा	17/03/12	10.00	03/01/14	2.00	21
9		डी.एन.डी.सी., गया	25/11/05	8.62	23/07/10	5.25	56
10		डी.ओ., बाँका	08/06/09	80.00	26/06/15	2.56	72
11	2202	निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, पटना	08/03/14	191.00	20/03/15	2.92	13
13	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया	15/03/11	61.07	08/11/14	9.30	44
14	2245	एन.डी.सी., पूर्णिया	30/10/08	125.00	23/11/09	35.36	12
15		अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी	05/12/07	80.00	08/11/14	18.61	83
16		प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंसूरचक	31/03/08	18.00	08/01/13	8.60	57
17		अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर	31/03/08	2.00	22/07/10	1.76	28
18		अंचल अधिकारी भरगामा, अररिया	30/03/11	195.60	20/01/15	18.46	46
19		अंचल अधिकारी बिरौल, दरभंगा	07/09/07	6.43	04/09/08	0.88	12
20		अवर प्रमंडल कल्याण पदाधिकारी, फूलपरास	03/06/08	802.14	09/02/15	4.00	80
21		अंचल अधिकारी, सिंधिया, समस्तीपुर	31/03/08	157.00	30/03/10	107.32	24 to 50
22		अंचल अधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर	31/03/08	2.00	30/03/11	1.77	36

परिशिष्ट

क्रम सं०	शीर्ष	विभाग का नाम	एसी विपत्र पर आहरित राशि की अवधि	एसी विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की अवधि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	2245	अंचल अधिकारी विथान, समरसीपुर	20/01/11	7.50	04/06/12	1.73	16
24		अंचल अधिकारी बिरौल, दरभंगा	30/03/08	47.46	23/01/12	38.29	46
25	2250	जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण, बैतिया	31/10/11	70.50	27/07/13	2.90	21
26	2401	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना, मधुबनी	02/11/09	80.38	05/08/13	2.05	45
27		उपनिदेशक कृषि, पटना	31/03/04	25.20	13/01/11	7.00	81
28		जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	21/02/11	60.37	20/01/15	7.72	47
29		जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	29/03/13	9.00	15/01/14	5.92	10
30		प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी	19/08/10	9.91	23/04/15	6.24	56
31	2403	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	31/03/08	34.50	04/11/13	6.15	67
32	3454	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधौपुरा	31/03/10	1.34	13/02/14	1.04	46
33	4047	अंचल अधिकारी, बिरौल, दरभंगा	20/03/12	23.00	28/02/13	2.00	11
34		सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, पटना	29/03/05	224.00	07/09/12	81.45	89
35		अंचल अधिकारी, कहलगाँव, भागलपुर	06/03/12	15.00	21/01/15	6.40	35
36	4210	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पटना	31/03/06	54.40	25/08/15	7.68	113
37	4220	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी	28/02/09	21.69	16/01/15	1.40	71
38	5054	जिला अधिकारी, गया	31/12/09	310.00	26/05/14	15.32	53
39			10/05/10	231.50	26/05/14	5.08	49
योग				3350.71		453.78	

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के एफ.ए.डब्लू. अनुभाग से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.13
 (संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 44)
शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा

क्रम सं०	शीर्ष	विभाग का नाम	ए०सी० बिल पर आहरित राशि की अवधि	ए०सी० बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की अवधि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	(₹ लाख में) प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद	14/03/11	0.53	10/06/14	0.53	39
2	2205	जिला विकास अनुभाग, सचिवालय, दरभंगा	24/03/12	2.00	02/01/13	2.00	9
3	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया	27/02/09	2.20	08/11/14	2.20	68
4	2245	अंचल अधिकारी सिंधिया, समस्तीपुर	31/03/08	60.00	25/03/09	60.00	12
5	2245	अंचल अधिकारी, सुपौल	20/12/11	2.50	12/01/13	2.50	12
6	2245	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंसूरचक	12/03/11	1.00	09/01/13	1.00	22
7	2401	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जराल, शेखपुरा	23/12/09	4.75	28/01/13	4.75	37
8	2401	विशेष कर्य पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना	29/03/08	80.00	03/08/10	80.00	28
9	4047	अंचल अधिकारी रानीगंज, अररिया	03/03/12	5.00	09/04/13	5.00	13
10	4047	एन.डी.सी., जमुई	14/02/12	7.00	26/04/13	7.00	15
11	4055	सहायक डी.जी. पुलिस (क्यू), पटना	11/10/10	116.59	05/03/13	116.59	29
12	4885	सहायक उद्योग निदेशक, पटना	14/01/08	100.00	24/02/15	100.00	86
योग				381.57		381.57	

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार एफ.ए.डब्लू. अनुभाग से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 45)

वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की
असमाशोधित राशि की विवरणी

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	(₹ करोड़ में) असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014-न्याय प्रशासन	642.38	312.56
2	2015-निर्वाचन	441.35	395.41
3	2029-भू-राजस्व	431.14	394.77
4	2039-राज्य उत्पाद	49.63	35.04
5	2040-ब्रिटी, व्यापार आदि पर कर	90.22	51.57
6	2041-वाहन कर	39.77	21.70
7	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन	491.85	491.85
8	2049-ब्याज अदायगियाँ	7097.69	6733.16
9	2053-जिला प्रशासन	322.51	262.44
10	2054-कोषागार तथा लेखा प्रशासन	72.00	48.65
11	2055-पुलिस	4862.22	2140.47
12	2056-जेल	236.39	15.49
13	2059-लोक निर्माण कार्य	452.28	431.41
14	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	433.30	62.58
15	2071-पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	11850.36	11835.43
16	2202-सामान्य शिक्षा	18429.71	2781.49
17	2203-तकनीकी शिक्षा	106.42	42.70
18	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	34.98	29.35
19	2205-कला एवं संस्कृति	34.22	14.74
20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3115.54	2911.21
21	2211-परिवार कल्याण	365.03	344.25
22	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	610.13	577.25
23	2216-आवास	1435.68	1435.68
24	2217-शहरी विकास	1648.53	1270.90
25	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4055.63	3411.75
26	2230-श्रम तथा रोजगार	174.05	73.49
27	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4316.75	4072.49
28	2236-पोषण	1074.86	827.99
29	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	347.52	322.47
30	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	50.45	17.40
31	2401-फसल कृषि-कर्म	1703.80	1453.79
32	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	29.44	29.11
33	2406-वाणिकी तथा वन्य प्राणी	269.91	269.91
34	2408-खाद्य भंडारण एवं भंडागार	623.37	623.37
35	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	351.58	346.03
36	2425-सहकारिता	197.71	89.32
37	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	431.62	424.20
38	2505-ग्राम रोजगार	1140.83	1129.90
39	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3346.69	2158.33
40	2700-मुख्य सिंचाई	408.82	66.42
41	2701-मध्यम सिंचाई	106.94	46.74
42	2702-लघु सिंचाई	330.38	238.81

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
43	2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	213.56	61.31
44	2801-बिजली	6047.95	3300.00
45	2852-उद्योग	1112.35	544.52
46	3054-सड़क तथा सेतु	1709.07	1293.30
47	3451-सचिवालय—आर्थिक सेवायें	75.02	13.22
48	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	113.84	87.27
49	3456-सिविल पूर्ति	795.17	785.21
50	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	26.87	24.87
51	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	318.19	299.93
52	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1038.23	1038.23
53	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2233.73	2146.50
54	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	549.82	41.31
55	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1090.75	1090.75
56	4215-जलापूर्ति तथा सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	773.47	773.47
57	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	50.04	50.04
58	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	18.60	18.60
59	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	101.00	95.00
60	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	156.85	130.13
61	4401-फसल कृषि—कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	45.35	43.99
62	4402-भूमि और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	10.00	10.00
63	4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय	12.67	12.67
64	4408-खाद्य भंडारण तथा भाडांगार पर पूँजीगत परिव्यय	461.76	461.76
65	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	75.15	68.79
66	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	8012.63	92.55
67	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	735.60	735.36
68	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	97.45	97.45
69	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	200.48	200.48
70	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	651.12	651.12
71	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	53.40	53.40
72	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	19.99	19.99
73	5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	12.30	12.30
74	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4402.77	4402.77
75	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	33.77	33.77
76	5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	31.00	31.00
योग		103533.63	66962.68

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 46)

नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	माननीय विधान सभा के अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि हेतु तीन वाहन	0.42
2	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	(i) उद्यान पर अतिरिक्त व्यय	0.03
3			(ii) वाणिज्य सेवाओं में अतिरिक्त व्यय	0.30
4			(iii) घरेलू मामलों पर अतिरिक्त व्यय	0.10
5	2013	मंत्रिपरिषद्	माननीय मंत्री के आवासीय पदाधिकारी के विद्युत पर व्यय	0.30
6	2014	न्याय प्रशासन	उच्च न्यायालय के माननीय जजों हेतु नौ वाहन	0.71
7	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	वाणिज्य विभाग हेतु दो वाहन	0.25
8	2051	लोक सेवा आयोग	प्रतियोगिता परीक्षा के कार्य संपादन हेतु	5.00
9	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	वित्त विभाग हेतु वाहन	0.09
10			राजस्व बोर्ड, बिहार के लिए तीन स्कार्पियो वाहन हेतु	0.33
11			कार्यालय हेतु ऐनोवा वाहन	0.12
12			कर्मचारियों एवं उप निदेशक (उर्द्दु) को एम०ए०सी०पी० का वेतन एवं भत्ता	0.09
13			स्थायी आयोग कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली हेतु मारुति सियाज	0.15
14			मुख्यमंत्री के सचिव हेतु मारुति सियाज वाहन	0.07
15	2053	जिला प्रशासन	जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन हेतु	0.40
16	2059	लोक निर्माण कार्य	सी.एल.ए.जेड-जेड, एम्स.एल (मेट) वाहन खरीदने हेतु	0.10
17	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	नव नियुक्त हेतु प्रशिक्षण शुल्क	0.07
18			वेतन इत्यादि के अलावा अनुदान सं० 22 बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को अतिरिक्त देय	0.75
19			गणतंत्र दिवस एवं राज्यपाल भवन में एन.सी.सी. समारोह हेतु	0.12
20			प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया में भूमि हेतु	10.27
21	2202	शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं के पोशाक हेतु	27.78
22			माध्यमिक शिक्षा के बालकों के साईकिल हेतु	15.63
23			माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं के पोशाक हेतु	5.12
24			माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं हेतु साईकिल	15.88
25			राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास हेतु	67.35
26			माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रम	7.50
27			सर्वशिक्षा अभियान में राज्यांश	183.48
28			अनुबंधित शिक्षक के वेतन भुगतान हेतु	345.24
29			माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं के पोशाक हेतु	15.69
30			प्राथमिक शिक्षा के छात्रों हेतु पोशाक	40.00
31			प्राथमिक शिक्षा के छात्रों हेतु पोशाक	28.00
32			प्राथमिक शिक्षा के छात्रों हेतु छात्रवृति	27.07
33			प्राथमिक शिक्षा के बालिकाओं हेतु पोशाक	4.93
34			प्राथमिक शिक्षा के छात्राओं हेतु साईकिल	54.27

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	2202	शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा के छात्राओं हेतु साईकिल	40.18
36			माध्यमिक शिक्षा के छात्रों के छात्रवृति हेतु	17.95
37	2210		सदर एवं अनुमंडल अस्पताल में पेशेवर एवं विशेष (ममता कार्यकर्ता) हेतु भुगतान	41.00
38			ए.एन.एम.सी.एच., गया के वेतन एवं भत्ता और चिकित्सा हेतु	10.04
39			राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	3.50
40			डी.एम.सी.एच. लहेरियासराय के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	1.50
41			जे.एल.एन.एम.सी.एच. भागलपुर के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	2.05
42			जे.एल.एन.एम.सी.एच. भागलपुर के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	12.82
43			एन.एम.सी.एच. पटना के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	13.97
44			नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुबंध कर्मचारियों हेतु	2.22
45	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पी.एम.सी.एच. के विद्यार्थियों के वेतन, भत्ता एवं छात्रवृति हेतु	33.27
46			पी.एम.सी.एच. के अनुबंध कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के वेतन, भत्ता एवं छात्रवृति हेतु	9.92
47			केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	20.22
48			केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति में सहभागिता	119.78
49			राज्य प्रायोजित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में सहभागिता	500.00
50	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	आई.सी.डी.एस. के स्थापना व्यय के आंतरिक समायोजन हेतु	368.35
51			इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना में आंतरिक समायोजन हेतु	4.73
52			इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना हेतु	14.20
53			राजीव गाँधी कार्यक्रम योजना सबला के अंतर्गत बालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु	9.09
54			राजीव गाँधी कार्यक्रम योजना सबला के अंतर्गत बालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु	29.95
55			स्वास्थ्य पोषण के कार्यान्वयन के लिए	87.50
56			स्वास्थ्य पोषण के कार्यान्वयन के लिए	28.50
57			राजीव गाँधी कार्यक्रम योजना सबला के अंतर्गत बालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु	58.56
58	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	हज के अवसर पर खादीमुलहाजाज हेतु	0.24
59			राज्य धार्मिक बोर्ड के अनुग्रह राशि का भुगतान	2.00
60			बिहार राज्य हज समिति हेतु	0.20
61	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	स्वास्थ्य मंत्री हेतु दो वाहन	0.14
62			माननीय श्रम संसाधन मंत्री हेतु दो वाहन	0.27
63			वक्फ न्यायाधिकारण के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों हेतु वेतन	0.08
64			कला, संस्कृति एवं युवा मामलों के मुख्य सचिव हेतु वाहन	0.14
65	2705	कमान क्षेत्र विकास	कमान क्षेत्र के विकास हेतु	4.00
66	2852	उद्योग	गन्ना के अनुसंधान हेतु	8.95

परिशिष्ट

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	3054	सड़कें तथा पुल	डी.एफ.आई.डी.टी.एफ.टी.ए. कार्यक्रम हेतु	3.65
68	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	सहकारी विभाग के मुख्य सचिव हेतु वाहन	0.14
69			आर्थिक सेवा सचिवालय के मुख्य सचिव हेतु वाहन	0.14
70	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु पूंजीगत परिव्यय	अल्पसंख्यक समुदाय के भवन एवं सज्जा सामाग्री के मरम्मत हेतु	0.99
71	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चावल मिल एवं गैस अग्नि हेतु	14.94
72	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	पी.एम.जी.एस.वाई के संवृद्धि हेतु	213.39
73			सरकारी पंचायत भवन हेतु	124.00
74	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	गंडक बेसिन सिंचाई परियोजना हेतु	21.00
75			सोन बेसिन सिंचाई परियोजना हेतु	24.21
76	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	ए.आई.बी.पी. परियोजना हेतु	28.70
77	5054	सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	योजना एवं विकास विभाग के आंतरिक समायोजन हेतु	184.00
78	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	खाद्य वितरण एवं संरक्षण कार्यालय के आधुनिकीकरण हेतु	0.98
79	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	एन.सी.डी.सी. के ऋण का भुगतान	4.00
80	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	बिहार विधान मंडल के सदस्यों को मोटर कार के लिये अग्रिम	4.00
योग				2927.07

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा० एवं हक०) विहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट— 2.16
(संदर्भ: कंडिका 2.7.1; पृष्ठ 46)
पेंशन / पारिवारिक पेंशन का आधिक्य भुगतान की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	निप्र०सं० एवं वर्ष	कोषागार का नाम	बैंक का नाम	पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम	पी०पी०ओ० संख्या	अधिक भुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3/2015-16	सीतामढ़ी	बैंक ऑफ बड़ौदा, सीतामढ़ी	श्रीमती उषा देवी	एस/62134	3.01
2				श्रीमती फूलकुँवर देवी	एस/51749	4.40
3				श्रीमती वाणी पाठक	एस/102634	0.32
4				श्रीमती गीता देवी	एस/105797	0.34
5			बैंक ऑफ इंडिया, सीतामढ़ी	श्रीमती आशा देवी	एस/105418	2.17
6				सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीतामढ़ी	श्रीमती शैल कुमारी	104054
7				श्रीमती त्रिवेणी लाल दास	207522	4.06
8			फतमा खातून	फतमा खातून	225820	0.90
9				श्रीमती ईश्वरवती देवी	354816	2.83
10				इलाहाबाद बैंक, सीतामढ़ी	श्रीमती शहनाज खातून	119065
11				श्रीमती सुमित्रा देवी	119065	1.29
				योग (ए)		21.67
12	16/2015-16	गया	यूको बैंक, गया	अर्जुन प्रसाद	320566	0.20
13				नन्हक ठाकुर	325512	0.08
14				राजकिशोर प्रसाद शर्मा	320515	0.31
15				रमाशंकर प्रसाद सिंह	338039	0.34
16			बैंक ऑफ इंडिया, गया	रामराज सिंह	409705	0.62
17				श्रीमती शकुन्तला देवी	एस/101409	4.61
18			यूको बैंक, गया	सुरेन्द्र कुमार सिंहा	340402	0.43
19				विजय नारायण सिंह	309655	0.95
20				नरेन्द्र द्विवेदी	379340	1.52
				योग (बी)		9.06
21	15/2015-16	शिवहर	बैंक ऑफ इंडिया, शिवहर	श्रीमती सायरा खातून	238963	3.11
22				श्रीमती मनोरमा देवी	एस/88955	1.07
23			सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शिवहर	श्रीमती बीबी मरिला	एस/29015	2.14
24				श्रीमती शैल देवी	118062	1.66
25				श्रीमती सुनैना देवी	112586	1.80
26				श्रीमती सरस्वती देवी	S/105044	0.46
				योग (सी)		10.24
27	20/2015-16	दाऊदनगर	बैंक ऑफ बड़ौदा, दाऊदनगर	श्रीमती सीता देवी	S/118221	0.54
28				आइसा खातून	447855	1.21
29			पंजाब नेशनल बैंक, दाऊदनगर	श्रीमती सुमित्रा देवी	S/101904	2.97
30				श्री कन्हैया लाल	387482	1.55
31				श्रीमती हुस्न जहाँ खातून	S/113189	3.03
32				श्रीमती सूर्यमणि देवी	S/101899	2.63
33				श्री महंत कृष्ण कांत	390690	3.54

परिशिष्ट

क्रम सं०	नि०प्र०सं० एवं वर्ष	कोषागार का नाम	बैंक का नाम	पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम	पी०पी०ओ० संख्या	अधिक मुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	20/2015-16	दाऊदनगर	पंजाब नेशनल बैंक, दाऊदनगर	श्री सूर्यदेव सिंह	S/101810	2.87
35				श्रीमती मंजू देवी	एस/104458	2.15
36				श्री दरोगा सिंह	389718	1.12
37				श्री रामदेव साह	400263	0.71
38				श्री राम प्रसाद	324253	0.17
39				श्रीमती शोभा कुमारी	201211101120	2.00
				योग (डी)		24.49
40	12/2015-16	फारबिस—गंज	यूकों बैंक, बथनाहा	मीना देवी	393655	0.92
				योग (ई)		0.92
41	10/2015-16	रोसड़ा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रोसड़ा	रामपुकारी देवी	एस/112010	0.70
				योग (एफ)		0.70
42	6/2015-16	शेरघाटी	बैंक ऑफ बड़ौदा	श्रीमती उर्मिला देवी	एस/114007	0.25
				योग (जी)		0.25
43	11/2015-16	जमुई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जमुई	दीनानाथ चौरसिया	201211123005	1.43
44				आभिनंदन प्रसाद	201011122170	2.45
45				दिनेश प्रसाद मंडल	201411081268	0.51
46				सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	201511061596	0.17
47			टी.ओ. द्वारा भुगतान	विमूति भूषण प्रसाद	201511161068	0.02
48				ब्रह्मदेव प्रसाद	201411182266	0.02
49			बैंक ऑफ बड़ौदा, जमुई	उमेश प्रसाद सिंह	201311063813	0.47
50			यूकों बैंक, जमुई	निरंजन कुमार मालवीय	448575	1.24
51				कैदार नाथ सिंह	284166	1.29
52			बैंक ऑफ इंडिया, जमुई	श्रीमती कुसुन देवी	404326	0.21
53				श्रीमती सीता देवी	413039	4.56
54			यूकों बैंक, जमुई	उमेश प्रसाद सिंह	401102	4.42
55				सुरेश प्रसाद	377415	3.58
			योग (एच)			20.37
56	14/2015-16	लखीसराय	यूकों बैंक, सूरजगढ़	विन्देश्वरी प्रसाद	404299	0.59
57				उषा देवी	370510	3.76
58				आशा सिंह	एस/103018	4.40
59				तारणी प्रसाद महतो	395134	0.69
60				परमेश्वर देवी	एस/102096	2.77
61			बैंक ऑफ इंडिया, लखीसराय	भागीरथ सिंह	396140	0.12
			योग (आई)			12.33
			कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच+आई)			100.03

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ल० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.17
 (संदर्भ: कंडिका 2.7.2; पृष्ठ 47)
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान के पक्ष में अभिश्रवों का समर्पण नहीं होना

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अभिश्रवों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औरंगाबाद	170	9.37
2	अररिया	140	18.62
3	अरवल	128	7.47
4	बिहार भवन	4	0.04
5	भभुआ	143	2.95
6	बगहा	77	1.27
7	भागलपुर	343	26.32
8	बेगूसराय	299	12.88
9	भोजपुर, आरा	807	49.47
10	बाँका	282	14.07
11	बेनीपुर	104	2.14
12	बाढ़	110	1.27
13	वीरपुर	56	0.94
14	बारसोई	87	5.87
15	बक्सर	153	3.39
16	दलसिंहसराय	187	5.45
17	दरभंगा	352	32.02
18	डेहरी	141	2.68
19	झुमराँव	220	6.30
20	दानापुर	278	8.12
21	दाऊदनगर	71	1.40
22	पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	374	13.15
23	फारबिसगंज	26	0.60
24	गोपालगंज	356	11.03
25	गया	393	20.74
26	हिलसा	126	5.15
27	झंजारपुर	131	1.70
28	जमुई	252	5.99
29	जहानाबाद	304	19.71
30	खगड़िया	160	6.23
31	किशनगंज	141	8.14
32	कटिहार	252	8.56
33	लखीसराय	116	3.61
34	लालगंज	62	1.10
35	मधुबनी	381	29.27
36	मधेपुरा	249	8.44
37	मुंगेर	228	9.37
38	महुआ	80	1.28
39	मोकामा	56	1.27
40	मसौढ़ी	58	1.12
41	मुजफ्फरपुर	514	20.31

परिशिष्ट

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अभिश्रवों की संख्या	सम्मिलित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
42	नौगछिया	83	1.33
43	नरकठियागंज	83	6.59
44	बिहार शरीफ (नालंदा)	248	27.22
45	निर्मली	18	1.38
46	नवादा	228	7.25
47	पटना विकास भवन	144	633.39
48	पटना निर्माण भवन	122	334.00
49	पुणरी (सीतामढ़ी)	64	1.58
50	पूर्णिया	409	24.20
51	पटना सिटी	171	1.82
52	पटना	636	26.86
53	पटना सिंचाई भवन	368	197.92
54	राजगीर	153	3.39
55	रजौली	53	1.13
56	रोसड़ा	189	1.95
57	सासाराम (रोहतास)	357	25.46
58	सहरसा	331	30.97
59	शिवहर	66	2.80
60	सिकहरना	193	13.33
61	शेखपुरा	193	11.83
62	सीतामढ़ी	353	23.02
63	सुपौल	297	23.55
64	शाहपुरपटोरी	31	0.46
65	शेरधाटी	162	3.01
66	सारण	704	49.41
67	सीतामढ़ी	317	33.86
68	सिवान	302	8.64
69	तेघड़ा	120	4.64
70	टेकरी (गया)	160	2.27
71	त्रिवेणीगंज	71	3.88
72	वैशाली (हाजीपुर)	188	60.34
73	पश्चिमी चंपारण (बेतिया)	277	23.73
योग		15502	1980.02

(स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार से उपलब्ध आँकड़े)

परिशिष्ट—2.18
 (संदर्भःकडिका 2.8.2; पृष्ठ 48)
अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं0 1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल	पूरक	योग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2401- फसल कृषि-कर्म-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-0001-निदेशन	11.82	0.10	11.92	8.85
2	2401- फसल कृषि-कर्म-00-103-बीज-0109-बीज गुणन फार्म का विस्तार-खेती पर व्यय	152.52	27.22	179.74	107.66
3	2401- फसल कृषि-कर्म-00-108-वाणिज्यिक फसल-0320-राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम आँयल मिशन	1.17	0.74	1.91	0.67
4	2401- फसल कृषि-कर्म-00-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-0001-प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	230.95	0.04	230.99	148.30
5	2401- फसल कृषि-कर्म-00-113-कृषि अभियांत्रिकी-0105-प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	206.59	8.68	215.27	121.49
6	2401- फसल कृषि-कर्म-00-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 0324- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	10.92	20.12	31.04	10.29
7	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम	35.57	5.25	40.82	17.63
8	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0120-प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	52.97	1.67	54.64	16.54
9	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0125-बाढ़ / सुखाड़ की आपातकालीन योजना	23.00	32.00	55.00	11.20
10	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0334-राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम आँयल मिशन	0.30	0.14	0.44	0.09
11	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0336-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रोद्यौगिकी मिशन	9.00	5.28	14.28	0.19
12	2401- फसल कृषि-कर्म-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0338-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	4.00	7.37	11.37	3.33
13	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम	3.06	0.33	3.39	0.78
14	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0143-प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	5.30	0.10	5.40	0.86
15	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0147-बाढ़ / सुखाड़ की आपात कालीन योजना	2.30	2.00	4.30	0.89
16	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0356-राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम आँयल मिशन	0.03	0.01	0.04	0.01
17	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0357-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.28	0.24	0.52	0.07

परिशिष्ट

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल	पूरक	योग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0358-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.40	0.46	0.86	0.13
19	2401- फसल कृषि-कर्म-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0360-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्यौगिकी मिशन	0.90	0.33	1.23	0.23
20	2402- मृदा तथा जल संरक्षण-00-102-मृदा संरक्षण-0313-एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	15.60	25.27	40.87	3.73
21	2402- मृदा तथा जल संरक्षण-00-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -0302-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	4.00	4.87	8.87	0.70
22	2402- मृदा तथा जल संरक्षण-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0309-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	0.40	0.30	0.70	0.01
23	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि-कर्म-004-अनुसंधान-0107-मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	7.80	0.82	8.62	4.47
24	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि-कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0107-मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	2.00	0.16	2.16	0.57
25	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01-फसल कृषि-कर्म-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -0105-मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.20	0.01	0.21	0.01
26	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-01-विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-102-श्रीणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ-0003-बीज परीक्षण प्रयोगशाला	5.40	0.06	5.46	3.38
27	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ-00-106-भार और माप का नियमन-0001-माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	8.75	0.02	8.77	6.58
28	4401- फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय -00-051-निर्माण-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	10.00	7.12	17.12	5.56
29	4401- फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय -00-105-खाद और उर्वरक-0201-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	16.82	9.04	25.86	5.38
योग		822.05	159.75	982.80	479.60

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2015-16, बिहार सरकार)

परिशिष्ट—2.19
 (संदर्भ:कड़िका 2.8.4; पृष्ठ 49)
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं0	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2401—फसल कृषि कर्म—00—105—खाद तथा उर्वरक—0207—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	34.46	16.86	1719	31/03/2016
2	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0238—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	6.63	3.39	1719	31/03/2016
3	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0258—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.42	0.33	1719	31/03/2016
4	2401—फसल कृषि कर्म—00—105—खाद तथा उर्वरक—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	53.85	35.38	1719	31/03/2016
5	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0338—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	11.37	7.99	1719	31/03/2016
6	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0358—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.86	0.73	1719	31/03/2016
7	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण—0216—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	189.17	90.26	1721	31/03/2016
8	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0203—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	36.47	17.40	1721	31/03/2016
9	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0231—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	2.28	1.09	1721	31/03/2016
10	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण—0316—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	182.83	31.06	1721	31/03/2016
11	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	37.42	8.16	1721	31/03/2016
12	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0331—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	13.61	11.78	1721	31/03/2016

परिशिष्ट

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
13	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	66.08	26.19	1722	31/03/2016
14	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0236—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	12.74	4.59	1722	31/03/2016
15	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0260—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.80	0.35	1722	31/03/2016
16	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण—0317—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	62.48	17.91	1722	31/03/2016
17	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0336—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	14.28	10.40	1722	31/03/2016
18	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1.23	1.00	1722	31/03/2016
19	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0224—राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30.26	18.64	1723	31/03/2016
20	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—राष्ट्रीय बागवानी मिशन	5.83	3.59	1723	31/03/2016
21	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0257—राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.36	0.22	1723	31/03/2016
22	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0324—राष्ट्रीय बागवानी मिशन	31.04	20.75	1723	31/03/2016
23	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0335—राष्ट्रीय बागवानी मिशन	6.68	5.51	1723	31/03/2016
24	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0357—राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन	0.52	0.45	1723	31/03/2016
25	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—101—मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण—0001—सर्वे स्थापना	0.53	0.07	1733	31/03/2016
26	2402—फसल कृषि कर्म—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0001—मुख्यालय स्थापना	1.82	0.03	1732	31/03/2016
27	4402—भूमि और जल संरक्षण पर पूँजी परिव्यय—00—102—मृदा संरक्षण—0202—एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल०एम०पी०)	43.22	30.11	1735	31/03/2016

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
28	4401—फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—105—खाद और उर्वरक—0201—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	25.86	1.34	1725	31/03/2016
29	4401—फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0203—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	4.99	0.27	1725	31/03/2016
30	4401—फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0204—राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.31	0.01	1725	31/03/2016
31	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0213—एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	11.15	5.84	1724	31/03/2016
32	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0202—एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	2.15	1.15	1724	31/03/2016
33	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.13	0.12	1724	31/03/2016
34	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0313—एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	40.87	37.14	1724	31/03/2016
35	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0302—एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	8.87	8.17	1724	31/03/2016
36	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0309—एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	0.70	0.69	1724	31/03/2016
37	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—0103—बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	255.70	72.48	1708	31/03/2016
38	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0125—बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	55.00	43.22	1708	31/03/2016
39	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0147—बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	4.30	3.41	1708	31/03/2016
40	2401—फसल कृषि कर्म—00—102—खाद्यानों की फसलें—0201—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	73.79	38.84	1718	31/03/2016

परिशिष्ट

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
41	2401—फसल कृषि कर्म—00—789— अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0237—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.22	8.00	1718	31/03/2016
42	2401—फसल कृषि कर्म—00—102— खाद्यान्नों की फसलें—0301—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.89	0.73	1718	31/03/2016
43	2401—फसल कृषि कर्म—00—102— खाद्यान्नों की फसलें—0301—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	53.43	45.19	1718	31/03/2016
44	2401—फसल कृषि कर्म—00—789— अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0323—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.32	9.49	1718	31/03/2016
45	2401—फसल कृषि कर्म—00—796— जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0359— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.65	0.74	1718	31/03/2016
46	2401—फसल कृषि कर्म—00—113—कृषि इंजीनियरी—0105—प्रोमोशन ॲफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	215.27	8.61	1711	31/03/2016
47	2401—फसल कृषि कर्म—00—789— अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0120—प्रोमोशन ॲफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	54.64	23.60	1711	31/03/2016
48	2401—फसल कृषि कर्म—00—796— जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—प्रोमोशन ॲफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	5.40	3.65	1711	31/03/2016
49	2401—फसल कृषि कर्म—00—109— विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण— 0114—एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित परियोजना)	50.66	47.56	1710	31/03/2016
50	2401—फसल कृषि कर्म—00—789— अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0132—एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित परियोजना)	12.20	12.20	1710	31/03/2016
51	2401—फसल कृषि कर्म—00—796— जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0154— एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट(बाह्य संपोषित परियोजना)एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	1.22	1.22	1710	31/03/2016
52	2401—फसल कृषि कर्म—00—109— विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण— 0106—इनटेनसिफाईड फील्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	107.57	26.15	1709	31/03/2016
53	2401—फसल कृषि कर्म—00—789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0106—इनटेनसिफाईड फील्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	34.82	21.58	1709	31/03/2016

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
54	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0134 इनटेन्सिफाईड फील्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	3.69	3.41	1709	31/03/2016
55	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—277—शिक्षा—0101—राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.17	0.17	1715	31/03/2016
56	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0105—राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.03	0.03	1715	31/03/2016
57	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—004—अनुसंधान—0107—मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	8.62	3.25	1714	31/03/2016
58	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0107—मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	2.16	1.40	1714	31/03/2016
59	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0105—मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.21	0.19	1714	31/03/2016
60	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0112—भूमि संरक्षण कार्य	19.50	8.80	1713	31/03/2016
61	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0101—भूमि संरक्षण कार्य	5.00	2.99	1713	31/03/2016
62	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0108—भूमि संरक्षण कार्य	0.50	0.49	1713	31/03/2016
63	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0101—उद्यान विकास योजना	62.40	10.11	1712	31/03/2016
64	2401—फसल कृषि कर्म—00—789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0130—उद्यान विकास योजना	16.00	5.92	1712	31/03/2016
65	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0152—उद्यान विकास योजना	1.60	0.97	1712	31/03/2016
66	2401—फसल कृषि कर्म—00—103—संवर्धन बीज—0001—बीज संवर्धन फार्म	15.93	2.28	1727	31/03/2016

परिशिष्ट

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
67	3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0007—कृषि विभाग	3.36	0.25	1739	31/03/2016
68	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—106—भार और माप का विनियमन—0402—साविधिक भार एवं माप का सुदृढ़ीकरण	5.00	5.00	1704	31/03/2016
69	2401—फसल कृषि कर्म—00—103—बीज—0417—उन्नत बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	10.00	10.00	1703	31/03/2016
70	2401—फसल कृषि कर्म—00—105—खाद तथा उर्वरक—0001—कम्पोस्ट खाद योजना	2.74	0.87	1728	31/03/2016
71	2401—फसल कृषि कर्म—00—108—वाणिज्यिक फसलें—0001—पाट विकास योजना	4.49	1.74	1729	31/03/2016
72	2401—फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—0001—प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	230.99	81.54	1730	31/03/2016
73	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0001—उद्यान विकास योजना	15.82	4.44	1731	31/03/2016
74	4401—फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—051—निर्माण—0001—कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	17.12	11.57	1717	31/03/2016
75	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—277—शिक्षा—0108—बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	343.20	39.79	1716	31/03/2016
76	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0103—बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	88.00	9.81	1716	31/03/2016
77	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0104—बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	8.80	0.61	1716	31/03/2016
78	2401—फसल कृषि कर्म—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0001—निदेशन	11.92	2.92	1726	31/03/2016
79	2401—फसल कृषि कर्म—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0103—नई कार्य योजना का राज्यांश एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	7.80	7.80	1705	31/03/2016
80	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0124—एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	2.00	2.00	1705	31/03/2016
81	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0145—एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	0.20	0.20	1705	31/03/2016

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	अभ्यर्पण का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
82	2401—फसल कृषि कर्म—00—103—बीज—0109—बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय	179.74	27.59	1706	31/03/2016
83	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0117—बीच उत्पादन कार्यक्रम	40.82	7.17	1706	31/03/2016
84	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0140—बीज उत्पादन कार्यक्रम	3.39	0.42	1706	31/03/2016
85	2401—फसल कृषि कर्म—00—105—खाद तथा उर्वरक—0106—जैविक खेती का उन्नयन	156.00	16.39	1707	31/03/2016
86	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 0126—जैविक खेती का उन्नयन	40.00	14.22	1707	31/03/2016
87	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0148—जैविक खेती का उन्नयन	4.00	1.88	1707	31/03/2016
88	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—106—भार एवं माप का विनियमन—000—माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	8.77	2.19	1740	31/03/2016
89	2435—अन्य कृषि कार्यक्रम—01—विषण तथा गुणवत्ता नियंत्रण—102—श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ—0003—बीज परीक्षण प्रयोगशाला	5.46	2.07	1738	31/03/2016
90	2401—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—277—शिक्षा—0006—सेवा काल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना	2.85	0.99	1737	31/03/2016
91	2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—004—अनुसंधान—0006—मिट्टी जाँच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना	6.15	1.09	1736	31/03/2016
92	2402—मृदा तथा जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0004 क्षेत्रीय स्थापना	4.09	0.27	1734	31/03/2016
योग		3230.87	1078.47		

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2015–16 और अभ्यर्पण पत्र)

परिशिष्ट—2.20

(संदर्भ: कंडिका 2.8.5; पृष्ठ 50)

निधि के अनुपयोग के कारण शत्-प्रतिशत् अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)
1	2401- फसल कृषि कर्म—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0103—नई कार्य योजना का राज्यांश—कृषि विपणन	7.80
2	2401- फसल कृषि कर्म—00—103—बीज—0417—गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास सुदृढ़ीकरण	10.00
3	2401- फसल कृषि कर्म—00—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—0114—एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित योजना)	50.66
4	2401- फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0124—एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	2.00
5	2401- फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0132—एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित योजना)	12.20
6	2401- फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0145—एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	0.20
7	2401- फसल कृषि कर्म—00—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0154—एग्रीबिजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित परियोजना)	1.22
8	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—277—शिक्षा—0101—राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.17
9	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—01—फसल कृषि कर्म—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—0105—राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का अनुदान	0.03
10	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—106—भार और माप का विनियमन —0402—वैधानिक माप विद्या का सुदृढ़ीकरण	5.00
11	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—102—खाद्यान फसलें—0201—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	231.33
12	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—102—खाद्यान फसलें—0202—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	52.40
13	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—113—कृषि इंजीनियरी—0201—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	26.10
14	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—114— तिलहन विकास —0201—राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	2.09
15	4401-00-119- बागवानी और सब्जी की फसलें—0201—राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	36.46
16	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0202— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	30.42
17	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय—00—796—जन—जातीय क्षेत्रीय उप योजना—0203—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	1.90
योग		469.98

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख, 2015–16, बिहार सरकार)

परिशिष्ट—2.21
 (संदर्भ:कड़िका 2.9.2; पृष्ठ 51)
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग (अनुदान सं0 39)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनि योग	योग (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—01—सूखा—101—अनुग्रहित राहत (गैर योजना)—0001—निःसहायों एवं विकलागों को नकद अनुदान	30.00	7.50	37.50	0.008
2	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—01—सूखा—101—अनुग्रहित राहत—0002—खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00	2.50	12.50	0.04
3	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—01—सूखा—101—अनुग्रहित राहत—0005—अन्य कार्य	10.00	2.50	12.50	0.00
4	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—101—अनुग्रहित राहत—0002—खाद्यान्न की आपूर्ति	120.00	5.50	125.50	43.84
5	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—101—अनुग्रहित राहत—0006—आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	3.75	18.75	0.86
6	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—101—अनुग्रहित राहत—0007—आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रों के लिए अनुदान	10.00	2.50	12.50	2.23
7	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—101—अनुग्रहित राहत—0011—नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण	2.00	0.50	2.50	0.08
8	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—101—अनुग्रहित राहत—0012—विभिन्न पंचायतों में भुखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक किंवंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	5.34	1.34	6.68	0.00
9	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—102—पीने के पानी की आपूर्ति—0001—द्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति	3.76	0.93	4.69	0.00
10	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—104—चारे की पूर्ति—0001—चारे की पूर्ति	2.50	0.63	3.13	0.00
11	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—105—पशु चिकित्सा—0001—पशुओं के लिए दवा	2.25	0.56	2.81	0.00
12	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—106—खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना—0001—क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना	20.00	1.50	21.50	0.00
13	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—02—बाढ़, चक्रवात आदि—109—खराब जल—पूर्ति, जल—निकास तथा मल—जल निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना—0001—क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मत एवं पुनःस्थापना	2.00	0.50	2.50	0.11

परिशिष्ट

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनि योग	योग (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—112—जनसंख्या का निष्क्रमण—0002—जनसंख्या का निष्क्रमण	52.35	1.50	53.85	7.83
15	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—112—जनसंख्या का निष्क्रमण—0003—संचार उपकरणों का क्रय	15.00	3.75	18.75	0.00
16	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—112—जनसंख्या का निष्क्रमण—0004—संचार उपकरणों का क्रय	5.00	1.25	6.25	0.00
17	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02—बाढ़, चक्रवात आदि—113—घर की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए सहायता—0001—बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापन	4.00	1.00	5.00	0.12
18	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—114—कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता—0002—वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.50	0.13	0.63	0.00
19	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 01— बाढ़, चक्रवात आदि—114—कृषि लागतों क्रय के लिए किसानों को सहायता—0003—कृषि फसलों के लिए सहायता	0.50	0.13	0.63	0.00
20	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—117—पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता—0003—जीवनोपयोगी पशुओं का विस्थापन	1.25	0.13	1.38	0.03
21	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत— 02— बाढ़, चक्रवात आदि—800—अन्य व्यय— 0008— क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति	2.33	0.56	2.89	0.00
योग		315.28	39.04	354.32	55.14

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे और अनुदान लेखापरीक्षा पंजी 2015–16)

परिशिष्ट—2.22
 (संदर्भः कंडिका 2.9.3(i); पृष्ठ 51)
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 39)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं०	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—01—पुनर्वास—200—अन्य राहत उपाय—0003—शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	0.50	0.28	1392	31/03/2016
2	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—200—अन्य कार्यक्रम—0008—गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान	7.00	0.15	1390	31/03/2016
3	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—106—सिविल रक्षा—0001—मुख्यालय स्थापना	2.16	0.81	196	31/03/2016
4	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—106—सिविल रक्षा—0002—जिला प्रभार	0.84	0.48	197	31/03/2016
5	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—106—सिविल रक्षा—0004—प्रशिक्षण	1.03	0.42	198	31/03/2016
6	4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय—00—051—निर्माण—0104—वेयर हाउस	0.40	0.29	1398	31/03/2016
7	2251—सचिवालय सामाजिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0017—आपदा प्रबंधन विभाग	4.33	0.73	1391	31/03/2016
8	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—80—सामान्य—102—प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आकर्षिक योजना—0104—राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	22.00	7.59	1397	31/03/2016
9	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—80—सामान्य—102—प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आकर्षिक योजना—0005—जागरूकता एवं क्षमता निर्माण—0006—प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रम का प्रबंधन—0007—शताब्दी अन्न कलश योजना	0.25	0.19	1394	31/03/2016
10	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—80—सामान्य—001—निदेशन और प्रशासन—0001—आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	4.58	1.25	1393	31/03/2016
योग		43.09	12.19		

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2015–16 एवं विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट—2.23
 (संदर्भ: कंडिका 2.9.4; पृष्ठ 52)
अनुपयोगित प्रावधान (अनुदान सं0 39)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	विस्तृत/उद्देश्य	दत्तमत	पूरक प्रावधान	(₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2245-01-101-0003	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	7.50	0.00	7.50
2	2245-01-101-0004	प्रभावितों को कपड़ा तथा बर्तन का मुफ्त वितरण	1.00	0.00	1.00
3	2245-01-101-0005	अन्य कार्य	750.00	0.00	750.00
4	2245-01-101-0006	अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	975.00	0.00	975.00
5	2245-01-101-0007	स्वरोजगार	1.00	0.00	1.00
6	2245-01-102-0001	ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति	750.00	0.00	750.00
7	2245-01-104-0001	चारे की पूर्ति	75.00	0.00	75.00
8	2245-01-105-0001	पशुओं के लिए दवा	37.50	0.00	37.50
9	2245-01-282-0002	पानी की आपूर्ति हेतु कुँओं का मरम्मत	750.00	0.00	750.00
10	2245-02-102-0001	पेयजल की आपूर्ति	282.06	0.00	282.06
11	2245-02-104-0001	चारे की पूर्ति	187.50	0.00	187.50
12	2245-02-105-0001	पशुओं के लिए दवा	168.75	0.00	168.75
13	2245-02-106-0001	क्षतिग्रस्त सड़कों—पुलों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार	1850.00	0.00	1850.00
14	2245-02-107-0001	सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा मकानों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	10.00	0.00	10.00
15	2245-02-108-0001	सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	10.00	0.00	10.00
16	2245-02-112-0003	आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रो तथा निष्कासन संयंत्रो का क्रय	1125.00	0.00	1125.00
17	2245-02-112-0004	संचार उपकरणों का क्रय	375.00	0.00	375.00
18	2245-02-112-0104	संचार उपकरणों का क्रय	360.00	0.00	360.00
19	2245-02-113-0002	आग से जले मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण	1.00	0.00	1.00
20	2245-02-114-0002	वार्षिक फसलों के लिए सहायता	37.50	0.00	37.50
21	2245-02-114-0003	कृषि फसलों के लिए सहायता	37.50	0.00	37.50
22	2245-02-114-0004	बागवानी फसलों के लिए सहायता	7.50	0.00	7.50
23	2245-02-114-0005	शाश्वत फसलों के लिए सहायता	7.50	0.00	7.50
24	2245-02-115-0002	भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए	7.50	0.00	7.50
25	2245-02-116-0001	खराब चापाकलों के मरम्मति के लिए सहायता	7.50	0.00	7.50
26	2245-02-119-0001	पारस्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करघा उपकरणों की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु सहायता	5.00	0.00	5.00
27	2245-02-119-0002	सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	5.00	0.00	5.00
28	2245-02-119-0003	हस्तकरघा बुनकरों को सहायता अनुदान	13.00	0.00	13.00
29	2245-02-196-0001	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00
30	2245-02-197-0001	प्रखंड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत की सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	विस्तृत उद्देश्य	दत्तमत	पूरक प्रावधान	बचत / व्यपगत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	2245-02-800-0007	गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	10.00	0.00	10.00
32	2245-02-800-0008	क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	177.25	0.00	177.25
33	2245-80-800-0003	बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	4.00	0.00	4.00
योग					8,045.56

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2015–16 एवं विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट— 2.24
 (संदर्भ: कंडिका 2.9.5; पृष्ठ 52)
महालेखाकार (ले० एवं हक०) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े
के बीच भिन्नता (अनुदान सं० 39)

क्रम सं०	शीर्ष	विभागीय व्यय के आँकड़े	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	(₹ लाख में) अंतर (3)-(4)=(5)
				(1)
1	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	232.14	227.69	4.45
2	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	938.61	891.02	47.59
3	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,25,091.33	37,977.03	87,114.30
4	2251- सचिवालय –सामाजिक सेवाएँ	360.18	359.23	0.95
5	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	11.20	11.16	0.04
योग				87,167.33

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2015–16 एवं विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट—3.1
 (संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 55)
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	71	534.54
2	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग	33	90.58
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	57	12.31
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग कल्याण विभाग	22	1,913.42
5	बिहार मंत्रिमंडलीय विभाग	3	0.00
6	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	6	2.04
7	सहकारिता विभाग	27	211.27
8	आपदा प्रबंधन विभाग	55	213.61
9	शिक्षा विभाग	413	9,282.33
10	ऊर्जा विभाग	16	27.54
11	पर्यावरण एवं वन विभाग	1	2.00
12	वित्त विभाग	31	287.41
13	सामान्य प्रशासन विभाग	12	7.03
14	स्वास्थ्य विभाग	13	399.71
15	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
16	गृह (विशेष) विभाग	8	4.58
17	उद्योग विभाग	66	57.87
18	सूचना प्रावैधिकी विभाग	5	17.32
19	श्रम संसाधन विभाग	28	137.49
20	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	15	0.57
21	विधि विभाग	2	5.34
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	14	4.53
23	पंचायती राज विभाग	232	7,417.19
24	योजना एवं विकास विभाग	7	65.01
25	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1	0.58
26	ग्रामीण विकास विभाग	35	2,130.95
27	ग्रामीण (कार्य) विभाग	6	3.59
28	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	34	89.68
29	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4	16.79
30	समाज कल्याण विभाग	94	2,326.79
31	गन्ना विभाग	14	40.88
32	पर्यटन विभाग	0	0.00
33	नगर विकास विभाग	555	4,074.32
34	जल संसाधन विभाग	3	22.54
योग		1885	29,399.87

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट—3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 58)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के तहत चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

क्रम सं०	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला का नाम	अब तक का लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिक्षा (उच्च शिक्षा)	बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय	मुजफ्फरपुर	मार्च 2015
2		पटना विश्वविद्यालय	पटना	मार्च 2012
3		ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा	2014–15
4		मगध विश्वविद्यालय बोधगया	गया	मार्च 2012
5		ठी०ए०० भागलपुर विश्वविद्यालय	भागलपुर	मार्च 2016
6		कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा	मार्च 2010
7		जय प्रकाश विश्वविद्यालय	छपरा	मार्च 2010
8		भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय	मधेपुरा	मार्च 2013
9		वीर कुवरं सिंह विश्वविद्यालय	आरा	मार्च 2015
10		नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	पटना	मार्च 2016
11		आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	पटना	मार्च 2012
12	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	पटना	मार्च 2014
13		संरचना विकास प्राधिकार	पटना	फरवरी 2015
14	ऊर्जा	बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी (ब्रेडा)	पटना	मार्च 2013
15	जल संसाधन	सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी (स्काडा)	पटना	2014–15
16		गंडक कमान्ड क्षेत्रीय विकास एजेन्सी	मुजफ्फरपुर	मार्च 2015
17		कोशी कमाण्ड क्षेत्रीय विकास एजेन्सी	सहरसा	मार्च 2015
18		किछुल बदुआ चन्दन कमाण्ड क्षेत्रीय विकास एजेन्सी	भागलपुर	नवम्बर 2014
19	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	पटना	मार्च 2015
20		बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना	मार्च 2012
21		बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	पटना	2008–09
22		बिहार प्रचारिका निबंधन परिषद	पटना	2007–08
23		बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड	पटना	2006–07
24	मानव संसाधन	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	पटना	मार्च 2014
25		ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना	मार्च 2015
26		सिमुलतल्ला शिक्षा समाज	जमुई	दिसम्बर 2012
27		अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान	पटना	मार्च 2012
28		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस०एस०)	पटना	2011–12
29		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	पटना	2008–09
30	समाज कल्याण	महिला विकास निगम	पटना	मार्च 2015
31		राज्य महिला आयोग	पटना	मार्च 2013
32		बिहार राज्य समाज कल्याण समिति	पटना	2015–16
33		बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना	दिसम्बर 2012
34	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार	पटना	मार्च 2016
35	श्रम संसाधन	बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	पटना	मार्च 2016
36	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण	बिहार महादलित विकास आयोग	पटना	मार्च 2015
37		राज्य महादलित आयोग	पटना	2015–16
38		राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना	मार्च 2015
39		राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग	पटना	दिसम्बर 2012
40	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	पटना	2010–11
41		बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	पटना	मार्च 2016
42		सैयद शहीद शफदर पीर	पटना	2010–11

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना के आर्थिक और सामाजिक प्रक्षेत्रों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 59)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतिकरण में विलंब

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सांपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भिन्न जारी किया गया	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विद्यान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापन	लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब	अम्भुवित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	वर्ष 2009–10 तक	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	वर्ष 2001–02 तक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन विद्यान मंडल में दिनांक: 23.12.2009 को प्रस्तुत किया गया	—	वर्ष 2010–11 से अंकेक्षण के लिए प्राधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को पत्रांक-ई0एस0 (भु) 2016–17 / एस0ए0 आर0 / 1465 दिनांक: 20.07.2016 एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पटना, को पत्रांक ES(भुख्यालय)2014 –15 / 287 दिनांक: 04.07.2014 एवं ई0 एस0(भु) 2015–16 / 817 दिनांक: 07.12.2015 एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के विस्तार के बारे में
2	राजनन्द कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	वर्ष 2012–13 से आर0एस0 के पत्रांक दिनांक: 14.01.2016 को प्राप्त प्रधान सचिव, बिहार के राज्यपाल एवं पी0पी0 जी(भु) पत्रांक दिनांक 16.05.2016 को प्राप्त किया गया	वर्ष 2013–14	21/06/2016	2011-12	20/10/2000	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 दिनांक: 29.07.2009 को विभाग से विद्यान मंडल में भेजा गया।	—	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की तैयारी प्रगति पर है
3	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सर्वोर, भागलपुर	बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव के पत्रांक दिनांक 18.06.2015 के द्वारा वर्ष 2010–11 से प्राप्त	2013-14	वर्ष 2011–12 (दिनांक 24.09.2012) 2012–13 एवं 2013–14 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वाह्य लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षा को अवधि में उपलब्ध कराया गया।	2013-14	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए दिनांक: 28.10.2016 को निर्मात किया गया।	कोई नहीं	-	-
4	बिहार राज्य न्यायिक संगठन प्राधिकरण पटना	वर्ष 2013–14	2013-14	29/02/2016 सरकारी स्तर से लेखा अभिप्रामाणित नहीं किया गया।	2012-13	24/04/2015	अब तक सूचित नहीं किया गया।	एक वर्ष एक महीना	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने के कारण सही समय पर निर्गत नहीं किया गया।

परिशिष्ट

क्रम सं०	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेख प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भिन्न जारी किया गया	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापन	लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	बिहार राज्य आवास बोर्ड (वी० एस० एच० वी०) पटना।	2015-16	2011-12	03/04/2014	2008-09	25/03/2014	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए सचिव, यू०डी० और एच०डी०एच प्रबद्ध निवेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक-488 2013-14) 380 एवं एल०ए०/ एस०ए०-१/ एस०ए०आर० न०/488 (2013-14) 381 दिनांक: ९/०३/२०१६ के द्वारा पत्राचार	-	-

(धोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना के सामान्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्षेत्रों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट—3.4
(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 61)
लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन’

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0029	भूमि राजस्व	695.15	539.67	78
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	583.66	129.04	22
3	0055	पुलिस	66.05	33.45	51
4	0059	लोक निर्माण	7.47	7.39	99
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	72.61	66.25	91
6	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	40.47	17.78	44
7	0215	जलाधार्ति तथा सफाई	4.82	2.67	55
8	0220	सूचना एवं प्रचार	0.32	0.10	31
9	0230	श्रम एवं रोजगार	11.47	8.22	72
10	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.13	0.14	108 [#]
11	0250	अन्य सामाजिक सेवा	0.07	0.07	100
12	0401	फसल कृषि कर्म	15.53	4.00	26
13	0403	पशुपालन	0.61	0.06	10
14	0404	डेंरी विकास	0.001	0.001	100
15	0425	सहकारिता	2.29	0.85	37
16	0506	भूमि सुधार	0.18	0.19	106 [#]
17	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	23.92	12.21	51
18	0702	लघु सिचाई	5.33	1.98	37
19	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.05	0.04	80
20	0852	उद्योग	0.12	0.12	100
21	1053	नागर विमानन	4.19	4.19	100
22	1054	सड़क एवं सेतु	41.85	31.73	76
23	1056	अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन	0.003	0.003	100
24	1452	पर्यटन	0.94	0.94	100
25	1456	सिविल पूर्ति	0.09	0.09	100

[#] मुख्य शीर्ष 0235 एवं 0506 अंतर्गत ₹0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्भव नहीं है। इसलिये प्रतिशत 100 से अधिक है।
(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लिये लेखे की टिप्पणियाँ)

परिशिष्ट—3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 61)

लघु शीर्ष—800—‘अन्य व्यय’ का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	2.65	3.84	144.91 [#]
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	269.91	64.54	23.91

लेखा में ₹० 1.19 करोड़ की वसूलियाँ सम्मिलित हैं इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लिये लेखा की टिप्पणियाँ)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 61)

पी0डी0 खातों की विवरणी जहाँ राशि लगातार तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अव्ययित पड़ी रही

क्रम सं०	कोषागार	पी0डी0 खातों की संख्या	(₹ करोड़ में)
			राशि
1	दरभंगा	1	30.38
2	गया	1	21.21
3	जहानाबाद	1	0.30
4	लखीसराय	1	0.26
5	मोतिहारी	1	453.14
6	मुंगेर	1	4.83
7	मुजफ्फरपुर	1	4.63
8	नालन्दा	1	98.42
9	पटना	2	70.98
10	पूर्णियाँ	2	3.13
11	शिवहर	1	5.82
12	सीवान	1	24.13
योग		14	717.23

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के लिये लेखे की टिप्पणियाँ)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ए एण्ड ई	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आकस्मिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	ए आई ए	अखिल भारतीय औसत
5	ए पी	वार्षिक योजना
6	ए टी एस	आतंकवाद प्रतिरोधी दस्ता
7	बी ब ह	बिहार बजट हस्तक
8	बी ई	बजट अनुमान
9	ब प	बजट पदाधिकारी
10	बी पी एल	गरीबी रेखा के नीचे
11	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
12	सी ए जी	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
13	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
14	सी ई	पूँजीगत व्यय
15	सी एफ एस	राज्य के संचित निधि
16	सी एस एफ	संचित निक्षेप निधि
17	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
18	डी सी आर एफ	ऋण संकलन एंव राहत सुविधा
19	डी डी ओ	आहरण एंव संवितरण अधिकारी
20	डी ई	विकास व्यय
21	डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
22	एफ एफ सी	चौदवाँ वित्त आयोग
23	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
24	जी आई ए	सहायता अनुदान
25	जी ओ बी	बिहार सरकार
26	जी ओ आई	भारत सरकार
27	जी एस	सामान्य सेवाएँ
28	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
29	आई ए वाई	इंदिरा आवास योजना
30	आई जी ए एस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
31	एम टी एफ पी	मध्यकालिक राजकोषीय नीति
32	एन ए बी ए आर डी	राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक
33	एन सी डी सी	सहकारी राष्ट्रीय विकास निगम
34	एन पी आर ई	गैर—योजना राजस्व व्यय
35	एन एस एस	राष्ट्रीय लघु बचत

संकेताक्षरों की शब्दावली

36	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
37	एन टी आर	करेतर राजस्व
38	ओ टी आर	स्वयं कर राजस्व
39	पी ए सी	लोक लेखा समिति
40	पी एफ	भविष्य निधि
41	पी एम जी एस वाई	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना
42	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
43	आर ई	राजस्व व्यय
44	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
45	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
46	एस ए आर	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
47	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
48	एस एस ए	सर्व शिक्षा अभियान
49	टी एच एफ सी	तेरहवें वित्त आयोग
50	यू सी	उपयोगिता प्रमाण—पत्र
51	भी ए टी	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in